राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8]   तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का आठवां दिवस   [संख्या : 6

सोमवार,

05 मार्च, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री महेन्द्र सिंह।

नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

88. **श्री महेन्द्र सिंह** (नसीराबाद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जीर्ण शीर्ण सड़कों का नवीनीकरण/सुदृढीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में कौन-कौनसी सड़कें जीर्ण-शीर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अरबन रोड नसीराबाद, बलवन्ता चौराहे से नृसिंह मन्दिर व नसीराबाद रामसर चौकी से भैरूं मन्दिर सड़क का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) जी जहां। राज्य की अधिकांश क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण राज्य की विभिन्न योजनाओं यथा एसआरएफ, सीआरएस, 13वें वित्त आयोग, स्टेट हाइवे प्लान, आरआईडीएफ के अन्तर्गत कराया जाता है। क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

(2) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(3) अरबन रोड नसीराबाद (बलवन्ता चौराहे से नृसिंह मन्दिर) की लम्बाई 7.0 किलोमीटर है जिसमें से 4 किलोमीटर क्षतिग्रस्त अवस्था में है। इस सड़क का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

नसीराबाद रामसर चौकी से भैरूं मन्दिर सड़क एमडीआर 157 की लम्बाई 1.50 किलोमीटर है तथा क्षतिग्रस्त स्थिति में है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (अपग्रेडेशन) योजनान्तर्गत दिनांक 06.02.2015 तक गारन्टी अवधि में है, अतः अनुबन्धानुसार मरम्मत कराया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त दोनों सड़कों का वर्तमान में किसी प्रकार का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण की योजना नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): मुख्य मंत्री महोदय, पुलिस की लापरवाही से....

(माननीय सदस्य श्री देवीसिंह भाटी अपनी बात बोलते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय के समक्ष गये और वहां खड़े होकर अपनी बात कहते रहे)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्रश्नकाल में नहीं। अंकित नहीं होगा।

श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खुद वहां का दौरा किया, वहां सब काम सुचारु हैं, बढ़िया हैं। पूरे एरिये में अच्छे कार्य हुए हैं, हम संतुष्ट हैं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। अंकित नहीं हो रहा है। यह परम्परा उपयुक्त नहीं है। यह उचित नहीं है। आपका एडजोर्नमेंट है इसके ऊपर। अंकित नहीं होगा। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। अंकित नहीं होगा। मूल प्रश्नकर्ता।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय खुद विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में आये थे, हम बिलकुल संतुष्ट हैं।

(माननीय सदस्य श्री देवीसिंह भाटी पुनः जाकर अपनी सीट पर बैठे)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न संख्या 89, श्री राजेन्द्र राठौड़।

मोटर गैराज में व्याप्त अनियमितताएं

89. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या राजस्थान स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2009 से जनवरी, 2012 में स्टेट मोटर गैराज की स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग के आंतरिक जांच दल द्वारा कब-कब आडिट की गई व आडिट में कितनी राशि फिजूल खर्च किये जाने का उल्लेख किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मोटर गैराज विभाग के स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग द्वारा की गई आडिट में अधिकारियों व मुख्य मंत्री कार्यालय की सरकारी गाड़ियों का निजी कार्य में उपयोग लिये जाने का आक्षेप दर्ज किया गया है? यदि हां, तो कितने अधिकारियों के विरुद्ध उक्त आक्षेप हैं? क्या सरकार उक्त अधिकारियों से राशि वसूलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत 3 वर्षों में मोटर गैराज विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों की कितनी नई गाड़ियां कब-कब क्रय की गईं तथा इन गाड़ियों में औसत पैट्रोल व डीजल प्रति लीटर में कितने किलोमीटर चलाना निर्धारित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री (श्री मुरारीलाल मीणा): (1) जी नहीं। राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग का अंकेक्षण स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) विगत 3 वर्षों में मोटर गैराज द्वारा क्रय किये गये वाहनों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। वाहनों का औसत निर्धारण संबंधी आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि वर्ष 2008-09 और 2009-10 में इन्टरनल आडिट के तेरह दल बनाये गये और वह इन्टरनल आडिट 12.04.2010 से 28.05.2011 तक हुई? क्या यह सही है कि उस आडिट में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

86 लाख 74 हजार रुपये की गड़बड़ी पायी गयी जिसके अन्तर्गत राज्य के एक दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारियों से राशि वसूलने के आदेश दिये गये? क्या यह भी सही है कि 86 लाख 74 हजार 673 रुपये जिसकी लाग बुक में गड़बड़ी के कारण मांग निकाली गयी उसके लिए प्रमुख शासन सचिव, जीएडी ने कोई जांच के आदेश दिए? क्या यह भी सही है कि बिना लाग बुक के नियम विरुद्ध सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग हुआ है जिसमें मुख्य मंत्रीजी के पूल का है 2010-11 में 43 लाख 4 हजार 426 रुपये और सचिवालय पूल का 34 लाख 8 हजार 783 रुपये है? इसके साथ आपने कहा कि यह गांधीवादी सरकार आयी है तब से 502 गाड़ियां खरीदी गयी हैं। पिछली सरकार ने एक एण्डेवर खरीदी थी, बड़ा लम्बा चौड़ा एतराज किया था। जो शेवरलेट गाड़ी खरीदी गयी है, वह कब खरीदी गयी और वह किसकी सेवा में है, मुझे यह भी बता दें? आपने खण्ड तीन के अन्दर वाहनों का औसत निर्धारित करने की बात कही है, क्या यह सही है कि नौ किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से औसत का निर्धारण हुआ है जबकि आपने सबसे ज्यादा मारुति डिजायर खरीदी हैं एक सौ छब्बीस, इसमें कम्पनी यह कहती है कि 21.7 किलोमीटर एक लीटर में चलती है? आप इन सारे सवालों का जबाव दे दें।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य बहुत पुराने सदस्य हैं, पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग सरकारी विभाग है, वह आडिट नहीं करता है इसलिए आपका प्रश्न ही गलत है। निदेशक, निरीक्षण विभाग इसका निरीक्षण करता है। आपने यह पूछा कि जो आडिट हुई थी निरीक्षण विभाग के माध्यम से, उन्होंने आब्जेक्शंस लगाये थे। उनका पैरा नम्बर 22 था, आब्जेक्शन लगे थे। उन्होंने यह नहीं कहा था कि उनसे रिकवरी की जाए। लाग बुक में कुछ कमियां थीं- यात्राओं के रीजन नहीं लिखे गये थे, किसी में सिग्नेचर नहीं थे और किसी में कुछ कमी थी। उन कमियों को यह मानते हुए कि या तो इन कमियों की पूर्ति करवायी जाए और यदि संबंधित अधिकारी उनकी पूर्ति नहीं करता है तो उससे रिकवरी की जाए, तो संबंधित अधिकारियों से पूर्ति करवाने के वास्ते कार्यवाही जारी है। इस पैरा में क्लीयर लिखा हुआ है कि लाग बुकवार इंगित कमियों की पूर्ति करावें अथवा निर्धारित दरों के अनुसार संबंधित अधिकारियों ने राशि वसूल करके राजकोष में जमा करवाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का कागज पढ़कर सुना रहा हूं जिसमें आपने लिखा है कि लाग बुक भरते समय अधिकारीगण यात्रा का विवरण अंकित करेंगे। लाग बुक में यात्रा का प्रयोजन 'राजकीय' अथवा 'आफिशियल' नहीं लिखा जाए। इन निर्देशों की अवहेलना कोई करता है तो उसकी यात्रा को निजी माना जाकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से राशि वसूली जाएगी। यह आपकी आडिट के बाद, जो आपके परिशिष्ट में लगा हुआ है, आपने जबाव में भेजा है, उसमें आपने स्पष्ट रूप से उन अधिकारियों का नाम अंकित किया है। इसका मतलब उन अधिकारियों को बचाना चाहते हैं, क्यों? नम्बर एक।

नम्बर दो, मैंने मुख्य मंत्री पूल के लिए पूछा 44 लाख 3 हजार 426 का, इसका जबाव भी नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे यह पूछा कि गांधीवादी सरकार में शेवरलेट गाड़ी कहां है। जो गाडियां आपने खरीदीं, आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा गाड़ियां खरीदी गयी हैं, पांच सौ दो। मैं पूछ रहा हूं कि वह शेवरलेट गाड़ी किसकी सेवा में चल रही है। मैंने माइलेज वाला सवाल पूछा, उसका भी उत्तर नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, या तो आप सवाल को स्थगित फरमाएं या फिर उत्तर दिलवा दें। मुझे आपके संरक्षण की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी ने जैसा कि फरमाया, आपने स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग से जांच की बात की, वह तो इन्होंने करायी नहीं, फिर भी आपका जबाव दे रहे हैं।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक एवरेज का सवाल है, दो तरह के एवरेज फिक्स किये गये थे। एक तो वो जो स्विफ्ट के अलावा एवरेज फिक्स किये हुए हैं गाडी के वो शहरी क्षेत्रों में 8 किलोमीटर प्रति लीटर और जब बाहर गाड़ियां जाती हैं तब 9 किलोमीटर प्रति लीटर। यह एवरेज है वो इन्हीं के टाइम का, जब आपकी सरकार थी उसी टाइम पर 20.01.06 ...(व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट बैठिये।

श्री अध्यक्ष: जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिये।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): दूसरा, स्विफ्ट का जहां तक सवाल है उसका एवरेज 13.30 किलोमीटर प्रति लीटर, बाकायदा कमेटी बनाकर सारा एवरेज निकालकर फिक्स किया गया है।

तीसरा इन्होंने यह कहा है कि 502 गाड़ियां क्यों खरीदीं। 502

(श्री मुरारीलाल मीणा)

गाड़ियां खरीदीं, 173 गाड़ी तो उसमें से हमारे पूलों में हैं और बाकी गाड़ी जिला पूलों में दी गयी हैं। सरकार की सोच बचत है, मुख्य मंत्रीजी का सोच बचत के प्रति है। पहले अधिकतर पैट्रोल की गाड़ियां चलती थीं और गाड़ियों का बिलकुल फिक्स है, दो लाख किलोमीटर या आठ साल, तो वो गाडियां कंडम हो गयीं, उनके अगेंस्ट में गाड़ियां खरीदी हैं। हमने आपकी तरह वी.आई.पी. गाड़ी नहीं खरीदी जो बहुत बड़ी-बड़ी, आज तक खड़ी हुई हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे खुद के पास डिजायर है और वो डिजायर की एवरेज आ रही है 18 और 20 की।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) मूल प्रश्नकर्ता, मूल प्रश्नकर्ता।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): दोनों फैसला ले लो, वो कह रहे हैं 18, वो कह रहे हैं 21 और कम्पनी कह रही है 25...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता एक सवाल और पूछ लें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): कम्पनी का एवरेज कभी आता नहीं। पहले इन दोनों का फैसला कर लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे पुराने सवाल ही पुनः दोहरा रहा हूं। अभी तक इन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि इन्टरनल आडिट के आधार पर जिन अधिकारियों के विरुद्ध 86,74,673 की मांग निकाली गयी और जो आपने खुद कहा कि वसूल योग्य है, वो कब तक वसूल होंगे?

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): फिर आप गलत बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, इन्टरनल आडिट होती नहीं है, निदेशक, निरीक्षण विभाग द्वारा आडिट की गयी है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जवाब सुनेंगे कि नहीं आप? (व्यवधान) जबरदस्ती के सवाल करते हो ...(व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): जवाब सुनिये आप, सुनिये।

श्री अध्यक्ष: आप काहे के लिए खड़े हो, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके संरक्षण की जरूरत है। यह कह रहे हैं आडिट नहीं होती, मैं आडिट के कागज टेबल कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): उसमें क्लीयर यह लिखा हुआ है, या तो सम्बन्धित अधिकारी उसकी पूर्ति कर दे, यदि पूर्ति नहीं करता है तो फिर रिकवरी की जाएगी। सम्बन्धित सभी अधिकारियों को इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं कि जो भी लाग बुकों में कमी-खामियां हैं, उनकी पूर्ति करें और यदि पूर्ति नहीं करेंगे तो फिर रिकवरी की जाएगी।

अब रही बात सी.एम. पूल की, इसकी बात कर रहे हो? (व्यवधान) एक मिनट सुनिये।

श्री अध्यक्ष: जवाब सुन लीजिए आप। जवाब सुन लीजिए। जवाब दे रहे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का जवाब दे रहे हैं। अंकित नहीं होगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): आप अन्य पूलों की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मूल प्रश्नकर्ता का जवाब देने दीजिए। अंकित नहीं हो रहा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का जवाब देने दीजिए। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): मेरा जवाब पहले सुन लो आप। एक मिनट। जिन-जिन लोगों की लाग बुक में कमी है, आप कह रहे हैं, सारे अधिकारियों के हमारे पास में नाम हैं, सारे नेताओं के

(श्री मुरारीलाल मीणा)

नाम हैं और, माननीय सदस्य महोदय, उसमें आप स्वयं भी शामिल हो। नाम पढ़कर सुनाता हूं आपको ...(व्यवधान) श्री ओम बिरला, संसदीय सचिव, श्री राजेन्द्रजी राठौड़, श्री भवानी सिंहजी राजावत, श्री गुलाब चन्दजी कटारिया ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ये अख़बार में नाम आये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब तो सुनिये। जवाब तो सुनिये।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): आप सब लोग भी उसमें सम्मिलित हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल स्पेसिफिक था।

श्री अध्यक्ष: स्पेसिफिक का जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और यह इस बात को घुमा रहे हैं। (व्यवधान) इन्होंने यह कहा, अगर मैं शामिल था ...(व्यवधान) एक मिनट रुकिये, आपने मुझे नोटिस दिया क्या? आपने जी.ए.डी. की जांच प्रारम्भ कर दी। जिन अधिकारियों के विरुद्ध जी.ए.डी. की जांच प्रारम्भ कर दी उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करना चाहते।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे दिया, कार्यवाही कर रहे हैं, कि करेंगे, कह रहे हैं कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह उनको बचाना चाह रहे हैं। बचाना चाह रहे हो उनको। आई.ए.एस. अधिकारियों की...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कह रहे हैं, कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कठपुतली हैं यह।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): बिलकुल स्पेसिफिक जवाब है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सी.एम. पूल के अन्दर 43 लाख का घपला हुआ, उसकी बात नहीं बता रहे हैं यह। मुख्य मंत्री सचिवालय खुद में हो गया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने भी एक प्रश्न लगाया था और गुरूवार को लगा था, उसमें माना है ...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

विराटनगर विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृत पेयजल योजनाएं

90. श्री फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वर्ष 2009-10 से 2011-12 में पेयजल के कौन-कौन से प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौन से प्रस्ताव क्रियान्वित हुए तथा कौन-कौन से पेयजल सम्बन्धी प्रस्ताव समय पर क्रियान्वित नहीं होने के कारण राशि लैप्स हो गयी?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 1000 की आबादी के कौन-कौन से गांवों में पीने के पानी की सरकारी व्यवस्था नहीं है? क्या कई गांवों में पीने योग्य पानी नहीं है? यदि हां, तो इनमें सरकार पीने योग्य पानी की कब तक व्यवस्था करेगी?

(4) क्या सरकार ने उक्त विधान सभा क्षेत्र की कुछ स्कीमों को स्थगित किया है? यदि हां, तो इनको कब तक स्वीकृत कर पूरा किया जाएगा?

(5) उक्त क्षेत्र में पेयजल से समस्याग्रस्त ढाणियों के बारे में सरकार का क्या विचार है?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) वर्षवार सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्णित वर्षों में उक्त स्वीकृति अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों में से पूर्ण किये गये एवं प्रगतिरत कार्यों सम्बन्धी वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' में निहित है तथा उक्त स्वीकृत कार्यों हेतु आबंटित बजट राशि लैप्स नहीं हुई है।

(3) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 58 ग्राम 1000 तक आबादी के हैं जिन सभी में राजकीय पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है। इन सभी ग्रामों में पीने योग्य पानी उपलब्ध है।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

(4) जी नहीं। अपितु वर्ष 2008-09 में उपलब्ध बजट प्रावधान एवं बकाया दायित्वों को ध्यान में रखते हुए विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की अबेयंस की गई 11 पेयजल योजनाओं को भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संशोधित कर उक्त योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2011-12 में स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इन योजनाओं का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

(5) सभी समस्याग्रस्त ढाणियों को विभागीय नीति, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों व उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जल स्तर नीचे चला गया, पहले के हैण्डपम्प 100 फीट पर थे, फिर 200 फीट पर गाड़े गये, अब 200 से भी नीचे चला गया। स्वयं किसानों ने अपने बोरिंग बंद कर दिये, नलकूप बंद कर दिये पानी नहीं होने के कारण से। इस कारण से पीने के पानी की विशेष समस्या है। आप संसाधन की बात कर रहे हैं, अगर संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो ढाणियां क्या करेंगी? उनको दूर के स्रोत से पानी लाकर पिलाना पड़ेगा। इस व्यवस्था के बारे में मैंने निवेदन किया था। मेरे कुनेड़ और कारोली दो पंचायत हैडक्वार्टर ऐसे हैं जहां पानी की सरकारी व्यवस्था नहीं है जबकि आपने यह कहा है कि 1000 की आबादी पर सब जगह व्यवस्थाएं हैं। इन दोनों के बारे में पूछना चाहता हूं कि उनकी आप क्या व्यवस्था करेंगे।

दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो हैण्डपम्प नाकारा हो गये, जिन ढाणियों में नाकारा हैण्डपम्प हो गये, जिन बस्तियों में हैण्डपम्प नाकारा हो गये उनकी क्या व्यवस्था करेंगे क्योंकि अब वहां वो हैण्डपम्प सफल नहीं हैं?

तीसरा, मण्डा, छाबड़ा खुर्द, चिमनपुरा गांव ऐसे हैं जिनमें पानी के जो स्रोत पहले थे, वो पूरे के पूरे सूख गये हैं, उनकी आल्टरनेट व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है। दो तो पंचायत हैडक्वार्टर हैं, बाकी बड़ी आबादी के गांव हैं। जिस चिमनपुरा गांव की मैं बात कर रहा हूं, वहां 5300 लड़के सरकारी कालेज में हैं। इसके कारण से पानी की व्यवस्था के बारे में कोई पुख्ता आश्वासन

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

दिया जाए क्योंकि ढाणियों में जब स्रोत सूख गये तो किसान कहां से पानी लाएगा?

मैं मंत्री महोदय से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आश्वासन चाहता हूं कि गर्मी आ रही है, सभी जो समस्याग्रस्त ढाणियां हैं, उनमें पीने के पानी की व्यवस्था करवायी जाए।

डा. जितेन्द्र सिंह (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आनरेबल सर, माननीय विराटनगर से आने वाले सदस्य ने जो फरमाया गांव मण्डा का, इस गांव की पापुलेशन 5458 है और इसमें स्वजल धारा योजना चालू है। आनरेबल सर, 74 हैण्डपम्प इसमें चालू हैं और जल सेवा स्तर 30 एल.सी.पी.डी. है। जैसा माननीय विराटनगर से आने वाले सदस्य ने कहा, सर, ओवरआल बारिश की कमी से जल स्तर निश्चित रूप से नीचे गिरा है और बड़ा संकट है। जो टोटल ब्लाक्स, राजस्थान में थे उनमें से अधिकतर, 198 ब्लाक डार्क जोन घोषित हो चुके हैं।

जो आपने ड्राई हैण्डपम्प्स के लिए कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको एग्जामिन करा रहा हूं, क्योंकि 60 मीटर तक हैण्डपम्प्स की फिजिबिलिटी है। 60 मीटर के नीचे पानी चला जाता है, उसके बाद सिंगल फेज ट्यूबवैल ही फिर उसके अन्दर फिजिबल होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आपको कहना चाहूंगा कि उसके प्रस्ताव बना रहे हैं।

गांव कुनेड़ जिसकी जनसंख्या 1356 है, यह हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित है, 14 हैण्डपम्प हैं। आनरेबल सर, मैं एग्जामिन करवा लूंगा, अगर उन 14 हैण्डपम्पों में से ड्राई हुए हैं तो माननीय विराटनगर से आने वाले सदस्य मुझे उपलब्ध करा दें। अदरवाइज मैं मेरे अपने जो अधिकारी हैं, उन्हें डाइरेक्ट कर दूंगा। जो-जो हैण्डपम्प ड्राई हो गये उनकी सूची मुझे दे दें, उनकी एवज में, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगल फेज पाइण्ट प्रस्तावित कर दिये जाएंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय मंत्री महोदय क्या यह बताने का श्रम करेंगे...

श्री अध्यक्ष: यह विराटनगर से सम्बन्धित है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां।

जो विधायक कोष से सिंगल पाइण्ट के हमने ट्यूबवैल बनाये हैं, उनके लिए बिजली विभाग ने आदेश दिया है कि पांच साल का एडवांस पैसा जमा कराओगे तब कनेक्शन होगा। कौन जमा कराएगा पांच साल का?

डा. जितेन्द्र सिंह (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आनरेबल सर, जो हमारे डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन कह रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक सार्वजनिक प्राब्लम थी, सिंगल फेज ट्यूबवैल जो भी एम.एल.ए. या एम.पी. लैड से हुए, उसमें जो बिलों की राशि थी, डिमाण्ड नोट तो जमा करा दिये जाते थे लेकिन बिलों की राशि जमा नहीं हो पाती थी। उसके अन्दर यह निर्णय लिया गया कि जो भी हैण्डपम्प, हैण्डपम्प में तो यूज नहीं होता, थ्री फेज में इनमें जो पांच साल की राशि होती है बिल की, वह भुगतान नहीं होने के कारण सब डिस्कनैक्ट हो जाते हैं। उसमें यह प्रस्ताव रखा गया था कि पांच वर्ष की राशि एम एल ए और एम पी उसमें जमा कराएं ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, कैसे होगा? सारे एम एल ए सारा पैसा उसी में जमा करा देंगे ...(व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): मेरी सुनिये ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पांच लाख का एडवांस जमा करा दो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मंत्री महोदय, एक भी ट्यूबवैल नहीं लगेगा।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): मैं भी तो उनमें से ही हूं, मैं भी तो विधायक ही हूं बेसिकली। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से अमाउंट बहुत बड़ा है और इसके ऊपर निर्णय कर रहे हैं कि इस राशि को या तो समाप्त कर दिया जाए या दो वर्ष कर कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: आप पुनर्विचार कर लें। आप यह आश्वासन दे दें कि इस पर पुनर्विचार करेंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): इस पर पुनर्विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पानी जनता को पिलाना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि एम एल ए की जिम्मेदारी है? हम आपकी जिम्मेदारी में शेयर कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और आप चाह रहे हो हमारा ही सारा पैसा। यह सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष: पुनर्विचार का आश्वासन दिया है न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): प्रश्न यह है कि क्या सरकार की जिम्मेदारी पानी पिलाने की है या नहीं है। सारा पैसा पानी पिलाने के लिए हमको ही देना है, यह है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ...

श्री अध्यक्ष: आपको मैंने अलाउ ही नहीं किया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अलाउ कर दें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी ने जवाब दिया, आप बीच में ही, विराटनगर का मामला है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): विराटनगर का ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं है, दांतारामगढ़ का। मंत्रीजी ने जवाब दिया है, चर्चा समाप्त हो गयी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इन पर तो दे दिया लेकिन जो जनता जल योजना...

श्री अध्यक्ष: न, न, अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

सरस डेयरी द्वारा दुग्ध संकलन में वृद्धि हेतु कार्य योजना

91. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयुपर स्थित सरस डेयरी के पास वर्तमान में कितनी दुग्ध उत्पादक समितियां हैं एवं उनसे प्रतिदिन कितने लीटर दूध संकलित होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में अन्य कौन-कौन सी निजी डेयरियां संचालित हैं एवं उनके पास कितनी दुग्ध उत्पादक समितियां हैं और उनसे प्रतिदिन कितने लीटर दूध प्राप्त होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(3) क्या यह सही है कि राज्य में उत्पादित दूध का एक बड़ा हिस्सा मदर डेयरी के माध्यम से राज्य के बाहर भेजा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकारी डेयरियों के दूध संकलन में निरन्तर कमी आ रही है? यदि हां, तो क्यों एवं सरकार दूध की कमी को दूर करने हेतु क्या ठोस उपाय करने जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग (श्री बाबूलाल नागर): (1) जयपुर स्थित सरस डेयरी (जयपुर जिला दुग्ध संघ) के पास वर्तमान में कार्यशील दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां माह जनवरी, 2012 तक की संख्या 1494 है एवं उनसे प्राप्त (अप्रैल, 2011 से जनवरी, 2012 तक) दूध की मात्रा औसतन 5.74 लाख किलोग्राम प्रतिदिन है।

(2) राज्य पंजीकरण अधिकारी की सूचना के अनुसार 4 अगस्त, 2011 तक कुल पच्चीस निजी डेयरियां पंजीकृत की गई थीं जिनमें से उन्नीस डेयरियां कार्यशील हैं तथा छह डेयरियां अकार्यशील हैं। विवरण सूची प्रदर्श-क पर संलग्न है।

निजी डेयरियों के पास दूध उत्पादक समितियां नहीं हैं अपितु उनके स्वयं के नैटवर्क कार्यरत हैं।

उनसे प्रतिदिन दुग्ध प्राप्त होने की सूचना संधारित नहीं है।

(3) जी हां। मदर डेयरी द्वारा राज्य से अनुमानित 5.5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध संकलित किया व भेजा जा रहा है।

राज्य से बाहर दूध भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होने के कारण उक्त दूध बाहर भेजा जा रहा है।

(4) जी नहीं। वार्षिक औसत दूध संकलन निम्नानुसार रहा है:-

क्रम संख्या	वर्ष	वार्षिक औसत दुग्ध संकलन (लाख किलोग्राम प्रतिदिन)
1.	2009-2010	16.51
2.	2010-2011	16.27
3.	2011-2012 (माह फरवरी 2012 तक)	16.65

(श्री बाबूलाल नागर)

दुग्ध संकलन में और अधिक वृद्धि हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं:-

1. नये क्षेत्रों में दुग्ध संकलन केन्द्रों का गठन।

2. दुग्ध उत्पादकों को समयबद्ध भुगतान।

3. अधिकतम दुग्ध खरीद मूल्य।

4. दुग्ध उत्पादकों में विश्वास उत्पन्न करने हेतु आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट एवं इलेक्ट्रोनिक मिल्को टैस्टर की स्थापना।

5. समुचित दर पर संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर एवं यूरिया मोलासेस ब्रिक उपलब्ध कराना।

6. दुग्ध उत्पादकों एवं उनके पशुओं का बीमा कराया जाना।

7. पशुओं की चिकित्सा एवं टीकाकरण गतिविधियां एवं बांझ निवारण शिविरों का आयोजन।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखे।)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी द्वारा जो जवाब दिया गया उसमें खण्ड-ख में यह आया है कि छह डेयरियां अक्रियाशील हैं जो निजी डेयरियां हैं। जब अक्रियाशील डेयरियां निजी हैं तो उनका क्या औचित्य है, जब वे कार्य ही नहीं कर रही हैं?

दूसरा, मंत्रीजी द्वारा जो जवाब दिया गया उसमें निजी डेयरियों द्वारा कितना दूध संकलन किया जा रहा है, इस बात का कोई डेटा इनके पास में नहीं है।

तीसरा मदर डेयरी के माध्यम से मंत्रीजी द्वारा जवाब दिया गया है कि 5.5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध बाहर जा रहा है। मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन है कि सरस डेयरी द्वारा 2009-10 की तुलना में 2010-11 में भी दूध की कमी आयी है। एक गोल्ड ब्रांड जो दूध था, उसकी बिक्री भी करीब छह आठ महीने पहले बंद कर दी गई है।

एक ओर निजी डेयरियों को कितना दूध आ रहा है, इस बात का डेटा सरस डेयरी का लवाजमा, अधिकारी, सारा सिस्टम है, फिर भी नहीं कलैक्ट कर रहे हैं। दूसरा मदर डेयरी के माध्यम से 5.5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध राज्य के बाहर जा रहा है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तीसरा 2009-10 की तुलना में 2010-11 में इनका दूध कम हुआ है, तो मेरा पूरक प्रश्न यह है कि

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

क्या सरकार अक्रियाशील मानकर जो निजी डेयरियां हैं, उनका पंजीकरण निरस्त कर रही है? और कर रही है तो कब तक?

दूसरा सप्लीमेंट्री है कि क्या राज्य की जनता के हित में राज्य के बाहर दूध भेजने पर प्रतिबंध लगाने का विचार सरकार रखती है? अगर हां तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं? तीसरा 2009-10 की तुलना में 2010-11 में संकलन में कमी आयी है। ये तीन प्रश्न पहले बता दें, फिर एक क्वेश्चन और पूछूंगा, कि उन पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं जो कमी आयी है उसके आधार पर।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): अध्यक्ष महोदय, निजी डेयरियों का रजिस्ट्रेशन पशुपालन विभाग की स्टेट रजिस्टर अथोरिटी द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, सरस डेयरी कोआपरेटिव अधिनियम के तहत संचालित होती है और निष्क्रिय निजी डेयरियां हैं उनके संबंध में कोई भी कार्यवाही करनी है, डेयरी विभाग के कृत्य में यह शामिल नहीं है। इसके बाद भी माननीय सदस्य ने ऐसा कहा है, मैं इसका परीक्षण करवा लेता हूं। आवश्यकता पड़ी तो डेयरी विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलवा लेंगे। मैं निवेदन करूंगा सहकारिता विभाग से और जो भी प्रावधान होगा उसके प्रावधान के तहत इस पर कार्यवाही करेंगे।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि दूध की लगातार कमी हो रही है। इसके सम्बन्ध में आपको मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, 2003-04 में राजस्थान में 13.56 लाख, 2004-05 में 14.67 लाख, 2005-06 में 15.54 लाख 2006-07 में 13.59 लाख, 2007-08 में 16.53 लाख, 2008-09 में 16.51 लाख, 2009-10 में 16.27 लाख, 2011-12 फरवरी तक 16.65 लाख, तो दूध में कमी होने की बात हो रही है, उससे तो मैं विभागीय तौर पर सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि डेयरी विभाग कुछ प्रयास कर रहा है कि कैसे और अधिक दूध का संकलन किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया कि मदर डेयरी का राज्य में लगभग 5.65 लाख लीटर दूध कलेक्शन प्रतिदिन है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी कोआपरेटिव के अन्तर्गत रजिस्टर्ड संस्था है, अभी तक राजस्थान में ऐसा कोई नियम नहीं बना रखा है, वैसे कोआपरेटिव एक्ट के

(श्री बाबूलाल नागर)

अन्तर्गत राजस्थान सोसायटी अधिनियम, 2001 के नियम 2003 में स्पष्ट प्रोविजन जरूर दिया हुआ है क्योंकि डेयरी संचालन तो सहकारिता के कानून के अनुसार होता है। उसके 124 में, अध्यक्ष महोदय, कहा है कि अगर कोई भी राज्य में कोआपरेटिव के नियमों के अनुसार संस्था रजिस्टर्ड है और वह किसी अन्य राज्य में आकर कारोबार करती है तो वहां के सहकारिता रजिस्ट्रार से उसको अनुमति लेने की आवश्यकता है तीन महीने के अन्दर-अन्दर।

अध्यक्ष महोदय, यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, दूध की जो दर है, पशु पालकों को दूध का भुगतान किया जाता है, कच्चा माल, मांग और आपूर्ति के आधार पर इसका निदान होता है। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं क्योंकि निर्णय तो इसमें कोआपरेटिव विभाग को ही करना है, लेकिन मैं चाहूंगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो माननीय मुख्य मंत्री स्तर पर भी अनुरोध करूंगा क्योंकि इस निर्णय से कहीं ऐसा हो जाता है, अगर मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ जाए तो ऐसा नहीं हो कि दूध का जो भाव किसान को दे रहे हैं, दूध पालकों को दे रहे हैं उतना दूध का भाव उनको नहीं दे सकें और दूध की खपत ही नहीं हो पाए।

ऐसी स्थिति में मैं यह विश्वास दिलाता हूं, जल्दी से जल्दी मेरे विभाग के अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि वे सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर स्पष्ट जो नियम दिया है, नये सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के नियम 2003 में, कि बाहर जो डेयरियां रजिस्टर्ड हैं, राज्य में उनको कारोबार करना है तो हमारे कोआपरेटिव एक्ट के तहत उनको रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। मैं यह विश्वास देता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि 2010-11 में काफी बरसात हुई, दूध बढ़ना चाहिये था लेकिन कम हुआ।

दूसरा, 13.6.2011 को गोल्ड दूध जो काफी जनता में पापुलर था, उसको बन्द कर दिया गया। उसके बन्द करने के बाद में जो निजी डेयरियां हैं, उनमें चार गुणा, पांच गुणा, दस गुणा तक भी इस दूध की बिक्री बढ़ी है। सरस डेयरी अपनी डेयरी है, सरकार का उपक्रम है, इतना बड़ा लवाजमा है, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि दूध बहुत है, कहीं ऐसा न हो जाए कि भाव गिर जाएं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

दूसरी तरफ गोल्ड दूध जो बिक रहा था, अच्छी बिक्री थी, जनता में अच्छा प्रचलन था, अच्छा लोग खरीद रहे थे, शुद्धता के साथ बेच रहे थे, उसको आप बन्द कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस गोल्ड दूध को कब से वापस आप चालू कर रहे हैं? एक तरफ दूसरी डेयरियां दस-दस गुणा...

श्री अध्यक्ष: विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ गयी और आप बन्द कर रहे हैं। यह कहीं नये लोगों को फायदा देने के लिये तो नहीं किया जा रहा है, यह मैं पूछना चाहता हूं?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: आप विराजो। जवाब देने दो मंत्रीजी को।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): साथ-साथ ही जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं...

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): अलवर जिले के अन्दर सरस डेयरी के पैरेलल..

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, जवाब दें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): डेयरी विभाग के जितने अधिकारी हैं, दिल्ली और हरियाणा से जो डेयरियां हैं, उनको चालू करते हैं। उसका कारण है कि समय पर भुगतान नहीं करते, एक बात। दूसरा, उनसे मिलीभगत के कारण ऐसा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी। मंत्रीजी।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): प्राइवेट डेयरियां भयंकर रूप से किसानों को लूट करके चली जाती हैं और डेयरी विभाग के अधिकारी की शह रहती है। उसमें जांच कराएंगे क्या?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): अध्यक्ष महोदय, गोल्ड दूध की सप्लाई राजस्थान में जब दूध की कभी कमी आती है उस स्थिति में कुछ समय के लिये बन्द प्रति वर्ष करते आये हैं। हर वर्ष गोल्ड दूध की कुछ समय के लिये सप्लाई बन्द होती है, लेकिन अभी गोल्ड दूध की सप्लाई जारी है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जारी है?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): माननीय सदस्य को मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इसके अलावा भी...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गोल्ड दूध की सप्लाई कब से जारी है? माननीय मंत्री महोदय, कब से जारी है?

श्री अध्यक्ष: अब हो गया। अब कर दिया।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): प्रति वर्ष गोल्ड दूध...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बन्द है। अभी भी बन्द है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): नहीं, अभी जारी है। मुझे जो जानकारी दी अधिकारियों ने...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। बैठिये आप।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): उसके बाद भी आपको अगर कोई शंका है, तो कोई भी आप अगर सुझाव देंगे, मैं आपके सुझाव के अनुसार परीक्षण करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: डा. दिगम्बर सिंह।

डीग-कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में नरेगा योजनान्तर्गत करवाये गये कार्य

92. **डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर में नरेगा के तहत कितने, कहां-कहां और कितनी-कितनी राशि के कार्य करवाये गये? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में नरेगा कार्यों के तहत शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हां, तो कितनी और कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री महेन्द्र जीत सिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत उक्त विधान क्षेत्र की पंचायत समिति कुम्हेर में 16 तथा पंचायत समिति डीग में 15, कुल 31 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जिस तरह से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका ?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): प्रश्न ही तो कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: वही पूछिये। भाषण नहीं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): प्रश्न ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: पूछिये, पूछिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आपकी जो रिपोर्टस हैं, 2009 से 2010, 2010 से 2011 और 2011 से 2012, तीनों साल के अन्दर लेबर कम्पोनेंट, मैटीरियल कम्पोनेंट का टोटल और जो सृजित मानव दिवस हैं, उनमें लगातार गिरावट आयी है, उसका कारण क्या है?

नम्बर दो, 60:40 का रेशो मैटीरियल और लेबर कम्पोनेंट का, इसको मेन्टेन करने में मेरे जिले में या मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई दिक्कत आ रही है?

नम्बर तीन, पंचायतों के द्वारा जो प्रस्ताव अब तक दिये गये हैं, उनकी स्वीकृति में देरी क्यों है?

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मजदूरों की संख्या में गिरावट के बारे में माननीय सदस्य जानकारी चाह रहे हैं, नरेगा का एक एक्ट के तहत काम हो रहा है और यह काम जनता की डिमाण्ड के ऊपर स्वीकृत किया जाता है। जब-जब भी जनता की डिमाण्ड जिस तरह से आती है उसके अनुरूप कार्य स्वीकृत किये गये हैं पूरे जिले में और माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं उनके विधान सभा क्षेत्र में।

दूसरा प्रश्न उनका था 60:40 के रेशो का, माननीय सदस्य से मैं यही बात कहना चाहूंगा, जो हमने आपको जानकारी दी है उस जानकारी के अनुसार भरतपुर, पूरे जिले का अगर देखेंगे तो 40 प्रतिशत हमने मैटीरियल कम्पोनेंट बुक किया है। आपके खुद के विधान सभा क्षेत्र डीग और वहां पर देखेंगे तो वहां पर भी 40 पूरा खर्च किया है। वर्तमान में 36 प्रतिशत हमने खर्च कर दिया है और 31 मार्च तक यहां पर ही हम 40 प्रतिशत पूरा खर्च कर देंगे।

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

तीसरा प्रश्न पंचायतों के कार्य स्वीकृत करने के सम्बन्ध में है। अगर उस पंचायत की ग्राम सभा और वार्ड सभा से प्रस्ताव आये होंगे तो उस कार्य को हम अवश्य स्वीकृत करेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2009-10 में टोटल जो सृजित मानव दिवस हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के, वे 8,01,962 हैं, वर्ष 2010-11 में ये घटकर मात्र 3,37,877 हो गये। बजाय बढ़ने के, लोगों को रोजागार मिले, ये घट रहे हैं, यह बात मेरे समझ में नहीं आती। जितने भी प्रस्ताव ग्राम पंचायत से आज तक गये हैं, सब पंचायत में अनुमोदन के बाद पंचायत समिति के थ्रू ही वहां से जाते हैं, परन्तु उसकी स्वीकृति का कारण जो मुझे लगता है, माननीय मंत्री महोदय, मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या भारत निर्माण राजीव गांधी भवन बनाने के कारण से तो आपका यह रेशो डिस्टर्ब नहीं है?

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राजीव गांधी सभा भवन के बारे में अपनी जानकारी मेरे से प्राप्त कर रहे हैं या मैं भी इस बात को दे रहा हूं जवाब के रूप में। राजीव गांधी सेवा केन्द्र भी नरेगा का ही एक पार्ट है, राजीव गांधी सेवा केन्द्र को समय पर बनाना बहुत जरूरी था और इसलिये भी अन्य कार्य को स्वीकृत करने में दिक्कत आ रही है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, पूरा काम पक्का काम है राजीव गांधी सेवा केन्द्र का और बाकी जितने भी जरूरी काम हैं उस पंचायत के या उस क्षेत्र के या उस पंचायत समिति के, वे सारा इस रेशो के डिस्टर्ब होने की वजह से स्वीकृत हो नहीं पाते हैं। क्या सरकार इस राजीव गांधी केन्द्र को किसी और योजना में नहीं बना सकती है? जो और जरूरी काम हैं गांव के...

श्री अध्यक्ष: अब तो बन चुके होंगे अधिकांश। बन गये होंगे अब तो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अभी नहीं बने। जहां पर राजीव केन्द्र के भवन हैं, तीन साल के बाद भी...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी सेवा केन्द्र दो-दो सालों से अधूरे पड़े हैं। अभी भी दो साल से वे पूरे बन नहीं पाये हैं और सरपंच के लिये यह दुविधा हो रही है, उनका रेशो नहीं बैठने की वजह से...

श्री अध्यक्ष: जिनका मूल प्रश्न है यह...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सरपंच लोग, दो-दो साल से अधूरे पड़े हैं, नहीं बना रहे हैं राजीव गांधी सेवा केन्द्र।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी केन्द्र ज्यादातर गांवों से बाहर बन रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं यही चाह रहा हूं, उसका उपयोग भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दो साल बाद न इनकी खिड़की मिलेगी, न चौखट मिलेगी और यह पैसा बरबाद होगा गरीब लोगों का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि और जितने भी हमारे काम हैं, उनको भी प्रायोरिटी पर स्वीकृत करें।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): आपने देखा नहीं, ये कैसे बने हैं। कैसे बने हैं? कैसे हो गये, यह आपने देखा?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी दो पंचायतें...

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): उसके टैक्नोलोजी लगाने की बात आ गयी है...(व्यवधान) आपके वहां तो...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): बात तो सुनो आप। सीट लेकर बैठे हो। हमको भी डिस्टर्ब करना आता है, फिर मत कहना आप।

श्री अध्यक्ष: चलिये, चलिये, आप एक आखिरी सवाल पूछ लीजिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मेरे क्षेत्र की दो पंचायतें हैं, एक अभौहरा पंचायत है, जिसमें पूरा गांव दुःखी है, उसमें मात्र 30 लाख रुपये की जरूरत है। सारे गांव वाले नरक की जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके प्रस्ताव दिये हुए हैं। एक मेरे यहां बरताई गांव है उसराणी पंचायत के अन्दर, वहां श्मशान तक जाने का रास्ता नहीं है। पोखर की बगल से निकलते हैं। उसके लिए रास्ते की स्वीकृति तो कर दी, लेकिन जब तक पोखर पर पाल नहीं बनेगी, सेफ्टी वाल नहीं बनेगी, तब तक श्मशान में मुर्दे को ले जाने में बहुत मुश्किल है। मंत्रीजी, आप इसमें फरमाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को आज यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि पूरे देश में ...(व्यवधान) कोई अच्छी बात कह रहा हूं तो दिक्कत है क्या?

श्री अध्यक्ष: बोलिये, बोलिये आप।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलिये, बोलिये, समाप्त करिये...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि पूरे देश में मात्र राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसने 9177 पंचायतों में से 8000 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाकर पूरे देश में एक रिकार्ड कायम किया है। मुझे आज यह भी बताते हुए खुशी है कि पंचायतों में ये भवन बनने से राजीव गांधीजी का सपना था देश को 21वीं सदी में ले जाने का, वह सपना आज पूरा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आज यह भी बताते हुए खुशी है कि गांव में गरीब आदमी जो बैठा हुआ है, वह भी कहता है कि ...(व्यवधान) आने वाले समय में अगर मूल निवास प्रमाण-पत्र और जाति प्रमाण-पत्र यहां बैठे मुझे मिलेगा तो मुझे दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह आज गांव का किसान बोल रहा है ...(व्यवधान) आप बैठ जाइये, श्रीमान। मुझे आज यह बात भी कहते हुए खुशी है कि 2 रुपये किलो गेहूं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने देने की घोषणा की और गेहूं मिल रहा है। वह भी इस राजीव गांधी केन्द्र के अंदर मिलेगा।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): इस प्रश्न का उत्तर है क्या यह? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आज वृद्वावस्था पेंशन और विधवा पेंशन के फार्म जमा होंगे ...(व्यवधान)

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): इस प्रश्न का उत्तर है क्या यह, दो किलो? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): वे भी वहां पर जमा होने वाले हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): दो रुपये किलो गेहूं नहीं मिल रहा है ...(व्यवधान)

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): कहीं नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो राजीव गांधी सेवा केन्द्र दो साल से अधूरे पड़े हैं, बने भी नहीं हैं और जो बने हैं उनका भी उपयोग कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार का सारा पैसा दुरूपयोग किया है। पंचायतों की जो नरेगा की स्कीम थी, वह भी चलने में दुविधा हो गयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी का जवाब तो सुनें ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आटा सड़ा हुआ है ...(व्यवधान) दो रुपये नहीं है ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्योंकि उनका रेशो बिगड़ गया है ...(व्यवधान) राजीव गांधी सेवा केन्द्र अधूरे पड़े हैं और जो बने हैं उनका भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): बिलकुल नहीं मिल रहा है, त्राहि-त्राहि मच रही है ...(व्यवधान)...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): राजीव गांधी सेवा केन्द्र चालू नहीं हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): कहीं कुछ नहीं हो रहा है, केवल थोथी घोषणाएं हैं ...(व्यवधान)...

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): राजीव गांधीजी के नाम से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। (व्यवधान) प्लीज, प्लीज ...(व्यवधान)

श्री जगसीराम (रेवदर): अभी तक एक भी चालू नहीं हुआ है ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मंत्री महोदय, मेरी बात का जवाब नहीं दिया ...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): यह तो अपने नम्बर बढ़ा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या शुरू कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य विराजें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेन्ट्री प्रश्न है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा किसी का ... (व्यवधान)

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने जिनको अलाउ किया है, प्लीज ...(व्यवधान) हां, श्री मलिंगा क्या कह रहे हैं?

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): ×××

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे धौलपुर जिले के पुलिस अधीक्षक ने दो डाकुओं को मारा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: छोड़िये, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): उसमें हमारे एक पुलिस के जवान के गोली लगी है, उसकी कोई व्यवस्था कराई जाए। इससे पहले भी उन्होंने एक डकैत को मारा था।

श्री अध्यक्ष: श्री अब्दुल सगीर खां।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री अब्दुल सगीर खां।

मदरसों के शिक्षण स्तर में सुधार हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

93. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में मदरसों का शिक्षा स्तर सुधारने के लिए एसपीक्यूईएम नाम से कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त योजना का स्वरूप क्या है और इससे मदरसों में क्या-क्या सुविधाएं दी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

(2) क्या यह भी सही है कि गत दो वर्षों में केन्द्र सरकार की उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि का राज्य में उपयोग नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): (1) जी हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में पंजीकृत मदरसों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए एसपीक्यूईएम (स्कीम फार प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा योजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना का स्वरूप इस प्रकार है- मदरसों तथा मकतबों जैसी परम्परागत संस्थाओं को पाठ्यचर्या में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी तथा अंग्रेजी जैसे विषयों को शामिल करने हेतु वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित करना है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। पारम्परिक मदरसों तथा मकतबों की आधुनीकरण प्रक्रिया स्वैच्छिक होगी। मदरसों को दी जाने वाली सुविधाएं निम्न प्रकार हैं:- विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कम्प्यूटर अनुप्रयोग विषयों के शिक्षण हेतु 12 माह हेतु शिक्षक उपलब्ध कराना। पुस्तकालयों/पुस्तक बैंकों के सुदृढ़ीकरण हेतु अध्ययन एवं अध्यापन सामग्री उपलब्ध कराना। आधुनिक विषय के शिक्षण हेतु विज्ञान किट, गणित किट एवं अन्य आवश्यक शैक्षिक उपकरण उपलब्ध कराना। माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के मदरसों में विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशाला एवं अन्य कार्यशालाएं आयोजित कराना। मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षणिक कौशल अभिवृद्धि हेतु सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक स्तर के अनुसार प्रत्येक छात्र को नामांकन, परीक्षा शुल्क एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा निर्धारित मानदंड एवं मानक पूरा करने वाले मदरसों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था। एसपीक्यूईएम योजना की मानीटरिंग हेतु मदरसा बोर्ड का सुदृढ़ीकरण।

(2) जी नहीं। केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को गत दो वर्षों की राशि प्राप्त न होकर वित्तीय वर्ष 2010-11 राशि 547.46 लाख रुपये प्राप्त हुई है जिसके वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें, आपस में चर्चा नहीं।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, नम्बर एक, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में कुल कितने

(श्री अब्दुल सगीर खां)

रजिस्टर्ड मदरसे, मकतब हैं? नम्बर दो, इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए कितना पैसा खर्च किया गया है और इसमें किस तरह से प्रचार किया, उसका क्या स्वरूप था? तीसरा, जो मदरसे स्वेच्छा से अपने आपको इसमें रजिस्टर कराएंगे, अब तक इस योजना का लाभ लेने के लिए कितने मदरसों ने वे फार्मेलिटीज पूरी कर ली हैं, उसकी मकतबों और मदरसों की संख्या? चौथा, इस आधुनीकरण योजना का लाभ लेने के लिए जो यहां पर बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित इनके लिए 12 माह के लिए अध्यापक नियुक्त करेंगे। कितने अध्यापक जो 12 माह तक ट्रेनिंग देंगे, वे नियुक्त किये गये हैं?

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में फरवरी, 2012 तक कुल 3092 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, इनमें प्राइमरी लेवल के 2841 और मिडिल लेवल के 251 मदरसे हैं।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आगे भी प्रश्न है, हुजूर।

श्री अध्यक्ष: दुबारा पूछ लीजिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): दुबारा पूछ लेता हूं। मैंने आपसे यह निवेदन किया कि आपने इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए कितना खर्च किया और इस प्रचार-प्रसार का क्या स्वरूप था? एक-एक करके बताते जाएं।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): प्रचार-प्रसार तो विज्ञापन के जरिये कई बार किया गया है। पूरे राजस्थान के लोगों को इसकी भली-भांति जानकारी दी जा चुकी है। यह राशि वर्ष 2011 की है, भारत सरकार द्वारा पैसा 2011 में आया और राशि नवम्बर, 2011 में रिलीज हुई है। सभी 220 लाभान्वित मदरसों को चैक वितरित किये जा रहे हैं।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्रीजी, Please be specific, मेरा प्रश्न समझ लीजिये। ये विज्ञापन जो निकाले हैं, उन पर कितना खर्चा किया है? मैं दूसरी बात नहीं पूछ रहा हूं। Be specific आप मुझे उतना ही उत्तर दे दीजिये।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): विज्ञापन इन मदरसों का जारी किया गया है, एसपीक्यूईएम योजना का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। प्रचार-प्रसार मिलकर किया जा रहा है। वर्ष 2011 में 220 मदरसों ने फार्म भरा, जो स्वीकृति प्राप्त हुई है, वर्ष 2011-12 में 241 मदरसों ने फार्म भरा। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): Ask your Hon'ble Minister to give me a very specific answer to the question regarding money spent on the advertisement and publicity. That is my question. मंत्रीजी अगर प्रश्न नहीं समझ सकते तो, मुख्य मंत्रीजी, please consider how your Department is being handled.

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): मैं बताता हूं ... (व्यवधान) 21 मदरसों में 5 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। (व्यवधान) इसी तरह से 71 लाख 97 हजार रुपए इसी महीने में खर्च किए हैं रिन्युअल खर्च में भारत सरकार के और 3 करोड़ 92 लाख रुपए किए जा रहे हैं ...(व्यवधान)... 209 मदरसों की स्वीकृति मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: आगे चलो।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्रीजी, कितने अध्यापकों की नियुक्ति कर दी? आपने बोला कि 12 महीने की ट्रेनिंग देंगे, और कौन-कौन से जिलों में है?

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): बता दिया न। देखिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा के अनुसार 3500 मदरसों में पैरा टीचर्स, 500 उर्दू के टीचर्स, इनकी काउंसलिंग हो गई और इनके अपाइन्टमेंट के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आज से पहले ये कुछ भी नहीं थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। (व्यवधान) मैंने 12 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए पूछा था, यह माडर्नाइजेशन और स्प्रेडेशन के लिए बता रहे हैं। (व्यवधान) मैं क्या पूछ रहा हूं और क्या ये जवाब दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): प्रश्न संख्या 95.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपने बीच में श्री रामनारायणजी मीणा का प्रश्न...

श्री अध्यक्ष: यह आपको पता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पता नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि उपाध्यक्ष प्रश्न पूछ सकते हैं और बहस में भी भाग ले सकते हैं, या तो इसको स्थगित किया आपने...

श्री अध्यक्ष: आप विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, आप बताइए कि आप इस प्रश्न को किस कारण से नहीं पुकारने दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पूछ सकते हैं उपाध्यक्ष प्रश्न।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मेरे प्रश्न का जवाब दिलाइए। मंत्रीजी से मैं पूछ खेत की रहा हूं और वह खलिहान का जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मंत्रीजी तैयार ही नहीं हैं। मंत्रीजी को एबीसीडी का पता नहीं इस बारे में, क्या आप हैण्डल करेंगे माइनोरिटीज के बारे में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले वाले प्रश्न के बारे में व्यवस्था तो दे दो, आपने स्थगित किया है। हमारा भी ज्ञान बढ़ जाएगा, बताइए आप।

श्री अध्यक्ष: आप विराजो। आप तो पहले ही बड़े ज्ञानी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने माननीय उपाध्यक्ष का नाम क्यों नहीं पुकारा, मैं यह पूछना चाहता हूं? तैयारी से आए हैं। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या 94

(स्थगित)

कोटा जिले में आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति

95. **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कोटा में वर्ष 2009 से 2011 तक अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है? लाभान्वितों की संख्या एवं राशि का वर्षवार एवं श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितने छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया? वर्षवार एवं श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में जिला कोटा में कितने मानसिक रूप से अपरिपक्व एवं विमंदित बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित की गई? वर्षवार प्रदत्त राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओम बिरला)

(4) क्या यह सही है कि समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण नहीं हो पा रहा है? क्या सरकार इस हेतु समुचित धनराशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'): (1) जिला कोटा में वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में लाभान्वित विद्यार्थियों एवं वितरित छात्रवृत्ति की राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्रीजी का जवाब पढ़ लिया है, 2 क्वेश्चन का जवाब मंत्रीजी दे दें, पूरा उत्तर पढ़ने में टाइम जाया नहीं करें, समय निकलने वाला है।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): (2) उक्त अवधि में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में प्राप्त छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) गत तीन वर्षों में कोटा जिले में मानसिक रूप से अपरिपक्व एवं विमंदित बच्चों का छात्रवृत्ति हेतु कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त अवधि में ऐसे विद्यार्थियों को विभाग द्वारा योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया गया है।

(4) जी हां। समस्त पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण करने का प्रयास किया जाता है, परन्तु विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में कमियां/आक्षेप होने के कारण उन आवेदन पत्रों की आक्षेप पूर्ति में होने वाले विलम्ब के कारण देर होती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में उक्त अवधि के लम्बित पात्र आवेदकों को छात्रवृत्ति का वितरण किया जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय संसाधनों की सीमितता के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर छात्रवृत्ति दी जा रही है। उक्त योजना में सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत शेष रहे पात्र विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग की सूचना के अनुसार अल्पसंख्यक मैरिट कम-मींस छात्रवृत्ति योजना एवं अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ही छात्रवृत्ति दी

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

जाती है। उक्त योजनाओं में लक्ष्यों की पूर्ति के पश्चात् शेष रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया जा रहा है।

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार छात्रवृत्तियों का वितरण सम्बन्धित नियमों, दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं हेतु देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित छात्र संख्या सीमा के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में स्वीकृत/उपलब्ध राशि तक, अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में स्वीकृत उपलब्ध धनराशि तक प्राथमिकता के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति और अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति में जितने भी आवेदक आवेदन करते हैं, क्या सबको देने का नियम है? नम्बर दो, क्या सरकार द्वारा राज्य के जितने भी ओबीसी छात्रों ने आवेदन किया, उन सबको यह छात्रवृत्ति दी गई है? नम्बर तीन, जिनको छात्रवृत्ति नहीं दी जाती या जिनकी बाकी रह गई, क्या उनको अगले साल छात्रवृत्ति देने का नियम है या उसी वर्ष उनके आवेदन निरस्त हो जाते हैं?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ओबीसी की छात्रवृत्ति का भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जाता है। योजना के दिशा-निर्देशों में फण्ड की सीमितता वर्णित की गई है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभाग के आदेश दिनांक 4.10.11 के द्वारा प्राथमिकता तय की गई है। एक, बीपीएल परिवार का विद्यार्थी हो, उसको प्रथम प्राथमिकता देते हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): वह मैंने पढ़ लिया। मेरा सवाल का स्पेसिफिक जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल स्पेसिफिक सवाल पूछा है माननीय मंत्रीजी से। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नि:शक्त, विधवा, तलाकशुदा महिला की पुत्र-पुत्री ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्या उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी के सम्पूर्ण छात्रों को देने का नियम है, एक सवाल का जवाब दे दें? (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जो बजट भारत सरकार से हमें मिलता है, प्राथमिकता के आधार पर हम लोग उसका वितरण करते हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मेरा सवाल एक ही है कि क्या नियम है? सभी ओबीसी छात्रों को देने का नियम है क्या? मैं सवाल यह पूछ रहा हूं, हां या ना।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उपलब्ध बजट के आधार पर हम स्वीकृत करते हैं, उसकी प्राथमिकताएं तय हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बजट क्या होता है? मेरा सवाल है, नियम क्या कहता है? राजस्थान सरकार नियमों और प्रक्रियाओं से चलती है, मैं पूछ रहा हूं कि नियम क्या है, यह बता दें? (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): भुगतान नियमों के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार की गाइडलाइन है और जो बजट मिलता है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम है या नहीं है? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नियम बता दें कि नियम क्या है। मंत्रीजी, एक ही उत्तर दें, स्पष्ट कहें, हां या ना। (व्यवधान) ओबीसी के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का नियम है या नहीं, हां या ना, उत्तर दे दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अभी तक ऐसा नियम नहीं है परन्तु हम लोगों ने वर्ष ...(व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): क्या सरकार बिना नियम चल रही है? (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

माननीय सदस्य, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार भुगतान होता है और जो फण्ड मिलता है वह हम तत्परता से पूरा भुगतान करते हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि ऐसा नियम नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार का ऐसा नियम है कि जितने भी ओबीसी के छात्र हैं उन सबको छात्रवृत्ति दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, नहीं, यह नहीं लिखा है, नियमों में नहीं लिखा है। नियम पढ़कर सुना दें। आप नियम पढ़कर सुनाओ। (व्यवधान) मैं नियम पढ़ा दूं इनको? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नियम कोट करो न। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हमारे पास जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की गाइडलाइन है, उसके अनुसार भुगतान करते हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं गाइडलाइन की नहीं, नियमों की बात कर रहा हूं। मैं नियम और प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, गाइडलाइन की नहीं। नियम और प्रक्रिया की बात कर रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 2007-2008 में ये जो भुगतान करते थे, उससे चार गुना ज्यादा भुगतान हम लोगों ने किया है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सवाल यह नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की सरकार ओबीसी के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं देना चाहती। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): कल ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जोधपुर में घोषणा की है और यहां ये मुकर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह भाषण का अवसर नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय में जो भुगतान होता था, वह 2 करोड़ रुपए होता था और हमने प्रयास करके इसको बढ़ाया है। (व्यवधान) हमारी सरकार ने इस बारे में प्रयास किया है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ××× (व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ...(व्यवधान) अच्छा करके दिखाएंगे ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसलिए मैं सरकार की ओर से ...(व्यवधान) हम ओबीसी के बच्चों को छात्रवृति वितरण करेंगे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त करें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: अब तो समाप्त हो गया।

व्यवस्था का प्रश्न

शीतलहर व पाले से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे के विषय में सरकार का वक्तव्य

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को इसी हाउस के अन्दर जब पाले का प्रश्न उठा था, उसके ऊपर व्यवस्था दी गई थी कि सरकार उस बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू के ऊपर हमको वक्तव्य देगी। नगरीय विकास मंत्री यहां बैठे हुए हैं, उनका यहां स्टेटमेंट भी है जिसमें उन्होंने यह कह दिया था कि सरकार अपना स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है, आप लोग

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

खाली दिन निश्चित करिये। और उसी तरीके से चेयर से यही बात आई थी कि हां, यह तय होगा और हम लोग जल्दी से जल्दी इसके ऊपर वक्तव्य करेंगे इन्हीं दिनों के अन्दर। सात दिन निकल गये, इतने भारी नुकसान से किसान गुजर रहा है, उनकी पूरी यानी जो भी फसल थी, वह नष्ट हो गई। हमारे समय के अन्दर इन लोगों को हमने नुकसान का मुआवजा दिया था। सात दिन उनके ये निकल गये और अगर आज के दिन क्योंकि आज से, मैं देख रही हूं, कागज देख रही हूं, उसके अन्दर वक्तव्य की कोई बात कही नहीं गई है। इसका मतलब आज भी वक्तव्य नहीं होगा, अगले 15-20 दिन के बाद भी अगर यह बात उठती है तो आप यह समझिये कि एक महीने के बाद उस किसान की क्या हालत होगी। मेरा तो आपसे निवेदन है क्योंकि यह व्यवस्था दी गई थी, इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज के ही दिन सरकार की ओर से इसके ऊपर, इतने गम्भीर इश्यू के ऊपर वक्तव्य दिया जाना चाहिए ताकि राजस्थान के किसानों की गम्भीर हालत को हम किसी भी तरीके से सुधार सकें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आसन पांवों पर है, कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आसन पांवों पर है, कृपया विराजें। (व्यवधान) मुझे बात कहने दीजिए ...(व्यवधान) वही बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, कृपया विराजें। (व्यवधान) आसन पांवों पर है, कृपया विराजें ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

सदन कूप में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आप अपना वक्तव्य दे दें, यह इतना इम्पोर्टेंट इश्यू है, मैं समझती हूं कि इस इश्यू के ऊपर इस तरीके से बैठकर कोई साल्व नहीं होने वाला। किसानों का माने जो स्थिति हो रही है आज के दिन आपके गांवों के अन्दर और यह एक जगह पर नहीं है, पूरे राजस्थान के अन्दर पाले से दुःखी हैं लोग, मेरा आपसे फिर से आग्रह है कि जिस तरीके से आप लोगों ने वक्तव्य देने की बात कही थी, उसको आगे बढ़ाते हुए आप लोग वक्तव्य दें और किसान को मुआवजा देने का काम करें। इस सरकार से आप कहें, मैं तो समझती हूं कि यह बहुत जरूरी है। इसके ऊपर जिद्द करने की बात तो मैं समझती हूं, किसी सरकार को करनी नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब हाउस आर्डर में नहीं होगा तो मुझे कुछ नहीं कहना है। (व्यवधान)

(सदन कूप में आये हुए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण किया)

जब मैं एडजोर्नमेंट मोशन पर व्यवस्था देने खड़ा हुआ, आसन पांवों पर था, उसके बावजूद भी सम्मान करते हुए माननीय विरोधी दल के नेता को मैंने अलाउ किया, उन्होंने अपनी बात कही। उनकी मांग के आधार पर मैं व्यवस्था देने के लिए खड़ा हुआ, मैंने बार-बार यह कहा कि मैं इसी इश्यू पर व्यवस्था दे रहा हूं, स्टेटमेंट के संबंध में विरोधी दल के नेता ने जो कहा उस पर मैं व्यवस्था दे रहा हूं। लेकिन माननीय सदस्यों ने खड़े होकर आसन का अपमान करने की दृष्टि से, खड़े-खड़े मैं बार-बार कहता रहा, आसन पांवों पर है, कोई नहीं सुनी। आसन पांवों पर होता है तो एक मर्यादा होती है और

(श्री अध्यक्ष)

आपको पूरा सम्मान देने के बाद व्यवस्था देने की मैं घोषणा कर रहा हूं, उसके बावजूद अगर आप इस तरह की कार्यवाही करते हैं तो मजबूर होकर आसन के पास कोई हथियार नहीं होता, यही तरीका है कि चुप बैठकर अंकित नहीं होने दें। इसलिए इस प्रकार की परम्परा अगर आप हाउस में डालना चाहते हैं तो भविष्य के लिए मैं उचित नहीं मानता। यह कलंकित करता है आसन की कार्यवाही को, सदन की कार्यवाही को। अगर माननीय सदस्यों को इस बात का आभास...(व्यवधान) अब इस तरह से अगर आप इंटरवीन करेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलता है। आपको निवेदन करूंगा, या तो आप माननीय सदस्यों को कम से कम इस बात के लिए कहकर रखें कि कहीं न कहीं परम्पराओं का ध्यान रखना चाहिए। आसन दोनों पक्षों को पूरा कोआपरेट करते हुए भी अगर इस तरह की परिस्थिति पैदा करते हैं तो फिर उसका नतीजा किस प्रकार निकल सकता है, इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। अब आप बताइये, क्या कहना चाहती हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): व्यवस्था की हम लोग सब पूछ रहे हैं कि आप लोग तो व्यवस्था देने वाले थे कि आज वक्तव्य होने वाला है। इस पर वक्तव्य हो, सरकार मुआवजा देने की बात कहे, इस चीज के लिए हमारी मांग है। हमने उस दिन भी कहा था 28 तारीख को और हम आज फिर से पेश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सबसे खतरनाक स्थिति है, राजस्थान के किसान की फसल, एक साल की पूरी, उसकी आस पर पानी फिर गया, सब फसलें नष्ट हो गईं। और आसन से व्यवस्था हो गई अब मैं समझता हूं, बीस दिन के बाद दोबारा सदन होगा, राज्य का किसान जिस तरह से चिंतित है, सरकार में थोड़ी-बहुत भी, हमारे मुख्य मंत्री किसानों के प्रति संवेदनशील हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप, आप बैठिये। कृपया आप विराजें, कृपया विराजें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): गिरदावरी शुरू हो गई, प्रोसेस चल रहा है और केन्द्र सरकार से बात हो रही है। यहां सिर्फ माइलेज लेने की राजनीति हो रही है, और कुछ नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप तो गिरदावरी कराओ। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह गिरदावरी के बाद ही दिया जाता है पैसा, ऐसे ही कहां से दें? (व्यवधान) उसका जायजा ले रही है गवर्नमेंट, केन्द्र सरकार से बात हो रही है। आप सिर्फ हल्ला करके पोलिटिकल माइलेज लेने....(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आज सरकार को बयान देना चाहिए कि उन फसल के...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.47 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई।)

(13.47 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री नवलकिशोर मीणा (बामनवास): ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नोट अलाउड, नाट अलाउड। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। आसन पांव पर है। माननीय सदस्य, आपको नियमों का पता ही नहीं है। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं, पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन के लिए कोई बात आपको उठानी है तो जरा एक स्लिप दे दें, इससे पता लगे कि किस बात पर आप बोलना चाहते हैं। यह व्यवस्था दी जा चुकी है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

1. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से राज्य में गेहूं की खरीद के लिए समर्थन मूल्य के खरीद केन्द्र शुरू नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

2. श्री हेमसिंह भड़ाना एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से अलवर से सरिस्का होते हुए स्टेट हाई वे नं. 11 की मरम्मत करवाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री बहादुर सिंह कोली एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्राम खोरा पिदावली निवासी धाकड़ समाज के लोगों से मारपीट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के संबंध में।

4. श्री जसवंत सिंह यादव एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की तसींग से कान्हाबास तक रोड की स्थिति अत्यन्त खराब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से ग्रामीण क्षेत्र की ढाणियों में निवास करने वाले किसानों को घरेलू विद्युत कनेक्शन देना बंद कर देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा, सदस्य की ओर से धौलपुर नगरपालिका प्रशासन द्वारा खुली नीलामी द्वारा बेचे गए भूखण्डों से NHAI द्वारा अधिक भूमि लेकर कम भूमि का मुआवजा प्रस्तावित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री अमराराम एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से भंवरी देवी प्रकरण में 80 वर्षीय अमरी देवी एवं अन्य निर्दोष महिलाओं के साथ सी.बी.आई. द्वारा पूछताछ के नाम ज्यादती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी माननीय सदस्य श्री बहादुर सिंह का इसी विषय का स्थगन प्रस्ताव दिनांक 01 मार्च, 2012 को अग्राह्य किया जा चुका है तथा माननीय सदस्य श्री बोहरा अपने प्रस्ताव के विषय पर आज पर्ची के माध्यम से बोलने जा रहे हैं।

8. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन संख्या एफ14(38)policy/rpc/clv/1510-41 दिनांक 24.6.2011 से उद्योगों को होने वाली कठिनाई के संबंध में।

9. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से राज्य में गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त किसानों को आज तक खातेदारी अधिकार देकर उनका म्यूटेशन नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

10. श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य की ओर से जिला बीकानेर के पुलिस थाना बज्जू क्षेत्र के गांव देवणों की ढाणी में दिनांक 2 मार्च, 2012 को हुए हत्याकांड के संबंध में।

11. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से निजी शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता संबंधी नियमों में बदलाव करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती किरण...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह महत्वपूर्ण नहीं है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये । माननीय सदस्य श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री देवीसिंह भाटी एवं श्री वासुदेव देवनानी को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती अनीता सिंह (नगर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर के पहाड़ी माइनर के पानी को लिफ्ट से सीकरी डायवर्जन में डलवाने के संबंध में।

2. श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पत्थर के ओवरलोड ट्रकों पर परिवहन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं), सदस्य की ओर से ग्राम कालाडेरा स्थित कोकाकोला प्लान्ट को बन्द कराकर अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में।

4. श्री महावीर प्रसाद जीनगर (शाहपुरा), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के शाहपुरा के सैटेलाइट अस्पताल को 50 बैड के स्थान पर 100 बैड का किये जाने के संबंध में।

5. श्रीमती गोलमा (महुवा), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दौसा तथा महुवा में पाला पड़ने से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

6. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल), सदस्य की ओर से जयपुर शहर की चारदीवारी के अन्दर व्याप्त गंदगी का समाधान करने के संबंध में।

7. श्री कमल बैरवा (निवाई), सदस्य की ओर से निवाई कस्बे के एन.एच. 12 सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से का पुनर्निर्माण करवाने के संबंध में।

8. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर), सदस्य की ओर से राज्य में वृद्धावस्था पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में आ रही अड़चनों के संबंध में।

9. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़), सदस्य की ओर से धानका समाज को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध आ रही कठिनाई के संबंध में।

10. श्री नगराज (धरियावद), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धरियावद की कतिपय सड़कों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में।

11. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण), सदस्य की ओर से अनुसूचित जाति के विकास पथ में बाधक सभी नियम-कानूनों की समीक्षा करने के संबंध में।

12. श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना), सदस्य की ओर से मकराना नगरपालिका क्षेत्र की सड़कों के लिए बजट 2012-13 में विशेष पैकेज राशि स्वीकृत करने के संबंध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी लेकिन मेरी राय यह है कि इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए जिससे कि समय की बचत हो।

(पढ़े हुए माने गये प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अब मैंने इन पर व्यवस्था दी है, बोलने का अवसर दूंगा, उससे पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो आपने चर्चा की थी, उसके संबंध में अपनी बात कहेंगे।

शासकीय वक्तव्य

शीतलहर प्रभावित किसानों को मुआवजे की व्यवस्था

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 28 फरवरी को रिलीफ मिनिस्टर ओला साहब ने यहां पर एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें साफ तौर पर कोल्ड वेव से जो ग्रसित किसान हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उसके बाबत में साफ-साफ यह कहा था कि पहली स्टेज इसकी गिरदावरी होती है। गिरदावरी 1 फरवरी से चालू हो गयी है। 5 मार्च, जो आज है, करीब-करीब उस पर खतम हो जाएगी। हो सकता है कि दो-पांच रोज और कहीं-कहीं जहां पर नहीं हुई हो वहां पर वो हो रही हो लेकिन 5 मार्च उसकी कैलेण्डर की तारीख थी। यह स्टेटमेंट आलरेडी हो चुका था। उसके बावजूद भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा यह मांग उठी कि सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दिलाया जाए। मुख्य मंत्रीजी ने अपने धन्यवाद के भाषण में कुछ न कुछ इस बात के लिए किसानों की समस्याओं को लेकर जिक्र किया था। मेरा खयाल है, या तो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने उस बात पर गौर नहीं किया या उसको गलत समझा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि ज्यों ही कोल्ड वेव स्टार्ट हुई जनवरी के महीने में, अचानक...

(13.53 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बिना किसी प्रोग्राम के मुख्य मंत्रीजी दिल्ली गये और दिल्ली जाकर गवर्नमेंट आफ इंडिया के होम मिनिस्टर से मिले और मिलकर उन्होंने अपना एक पत्र भी हाथों-हाथ सौंपा। सौंपने के दो-चार रोज के बाद में जो उनको जवाब मिला, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, आपकी सेवा में-

Dear Shri Gahlotji,

Please Refer to your D.O. letter No……dt. 18.1.12..” क्यों? जनवरी में कोल्ड वेव स्टार्ट हो गयी थी। “...regarding inclusion of cold wave/frosts in the notified list of natural calamities for providing financial assistance to the affected farmers. The Group of Ministers (GOM) constituted to look into the above mentioned issues, had constituted a working group of Agriculturists, Scientists and Experts from the Ministry of Agriculture for examining the aspects relating the quantifying the damages caused by cold wave/frosts and for suggesting the norms for assistance. The working group has submitted its report….”

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया, उसने अपनी रिपोर्ट जीओएम को सौंप दी है "...and the same is likely to be considered by the GOM…."

वो अब उस पर विचार कर रहे हैं "...Based on the outcome and the GOM's deliberations and decisions in the matter the changes in the notified list of natural calamities would be appropriately considered. "

यह लैटर तो था हिन्दुस्तान के गृह मंत्रीजी का। एक दूसरा लैटर उनको और मिला जो कि स्टेट मिनिस्टर मुल्लापल्ली रामचंद्रनजी का था, उसमें भी करीब-करीब ऐसी बात लिखी वो भी मैं पढ़ कर सुना देता हूं आपको। यह लैटर मिला उनको।

एक माननीय सदस्य: मान लिया ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): नहीं-नहीं, रिकार्ड पर आ जाए बात।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, माना क्या आपने, यह बताओ?

एक माननीय सदस्य: ...(व्यवधान) इसको पढ़ा हुआ मान लिया हमने।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, यह बताओ कि जो सरकार कर रही है, आप उससे सैटिस्फाइड हो? यही माना न आपने? तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। या फिर मेरी पूरी बात सुनिये। जब आपने गवर्नमेंट से स्टेटमेंट मांगा है, चीफ मिनिस्टर ने मुझे आथोराइज किया तो मुझे बोलने दीजिये। (व्यवधान) हां तो सुनिये आप। आप हल्ला करके अखबारों में छपना चाहो या न्यूज वो बनाना चाहो कि हम किसानों के प्रति बड़े हमदर्द हैं। सोहेला हमारे टाइम पर नहीं हुआ, घड़साना हमारे टाइम पर नहीं हुआ। सोहेला हमारे टाइम पर नहीं हुआ।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप तो किसानों पर बोलो न। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ...गुर्जर हमारी गोलियों से नहीं मरे। तब तो बात अलग है। ताज्जुब की बात यह है कि 1 फरवरी से गिरदावरी चालू है और आज 34 दिन हो गये और

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

आपको पता ही नहीं है कि राजस्थान में गिरदावरी हो रही है। वाह! वाह! ...(व्यवधान) गिरदावरी नहीं तो हम किस बात पर मदद करते?

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ...(व्यवधान) गिरदावरी केवल कागजों में हो रही है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...(व्यवधान) किसानों को मुआवजा देने की बात करो। (व्यवधान) किसानों को मुआवजा देने की बात करो। (व्यवधान) आप ये लंबे-लंबे भाषण देकर, माननीय मंत्रीजी, ...(व्यवधान) कम टू द पाइंट।

श्री उपाध्यक्ष: आप बात सुनिये पहले।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ...(व्यवधान) गिरदावरी नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...(व्यवधान) क्या सरकार किसानों को मुआवजा दे रही है? (व्यवधान) ये लंबे-लंबे भाषण मत दीजिये। ये लंबे-लंबे भाषण नहीं सुनने हैं। (व्यवधान) किसान जो कर्जे में डूबा है, उस किसान को मुआवजा सरकार दे रही है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: आपके सदस्य नहीं मान रहे हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): किसानों को लाठियां ही नहीं मारीं, आपने गोलियां भी मारीं। पिछले दो-तीन साल के अन्दर पानी मांगा तो लाठी, पानी मांगा तो गोली। बिजली नहीं। पानी नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बिरलाजी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सौ मरे थे पूरे, सौ। सौ किसान मरे थे पुलिस की गोलियों से।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मंत्रीजी, आपके राज में तो किसानों पर जो घटित हुआ है न ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बिरलाजी, आपके सीनियर सदस्य खड़े हैं, आप अपनी पार्टी में तो थोड़ा ध्यान दीजिये। आपके वरिष्ठ सदस्य खड़े हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा लैटर भी पढ़कर सुनाना चाहता हूं आपकी इजाजत हो तो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, ये क्या कहना चाहते हैं, सुन लीजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपकी इजाजत हो तो मैं दूसरा भी पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष: हां-हां, बिलकुल। एक मिनट, इनकी बात सुन लें। एक मिनट, धारीवाल साहब।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): गवर्नमेंट का स्टेटमेंट हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट की व्यवस्था पर ये स्टेटमेंट हो रहा है, पहले स्टेटमेंट आ जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं आपसे विनम्र प्रार्थना एक ही कर रहा हूं। जब कभी भी स्टेटमेंट दिया जाता है, क्योंकि मुझे भी कुछ वर्षों तक यहां रहने का अनुभव है, मंत्री अपना स्टेटमेंट जो बनाकर लाते हैं, पूरा का पूरा डिटेल उसको पढ़ देते हैं। उसमें कोई सवाल करना हो तो जिन्होंने इस विषय को खड़ा किया है, वो सवाल-जवाब करेंगे। अब ये तो बीच-बीच में ही भाषण ठोक करके गाड़ी को इधर से उधर कर दें तो ये नहीं ...(व्यवधान) एक बार आप पढ़ तो दो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो पोलिटिक्स करो और हम चुपचाप बैठे रहें, यह नहीं हो सकता। राजनीति कौन कर रहा है? सामने से हो रही है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मैं स्वागत करता हूं, आप करिये। आप करिये सवाल।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक बार पूरा पढ़ा दो इनको, फिर उसके बाद सवाल करेंगे। एक बार पूरा पढ़ा दो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): गवर्नमेंट कैसे जवाब देगी, यह तो हमारे ऊपर है न।

श्री उपाध्यक्ष: आप इनको बता देने दीजिये। माननीय धारीवालजी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): गवर्नमेंट का जवाब आप लोग थोड़े ही डिक्टेट करोगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पढ़ें तो सही ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय धारीवालजी। माननीय मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको तो मुख्य मंत्री की इमेज खराब करनी है, वो काम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कोई बात नहीं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): और आपको किसकी करनी है?

श्री उपाध्यक्ष: आप मुद्दे से मत हटिये। आप मुद्दे से मत हटिये, आपको प्रश्न करने का मौका मिलेगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी अपना वक्तव्य गलत दे रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं खुद बीस पंचायतों में जाकर आया हूं, गिरदावरी शुरू भी नहीं की है और मंत्रीजी कह रहे हैं कि पूरी होने जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्न बाद में करना। बाद में प्रश्न करना, बीच में करोगे तो फिर बात खतम हो जाएगी आपकी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ...(व्यवधान) सारी सरसों कट चुकी है, क्या गिरदावरी करोगे आप?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): फसल कट गयी इसका मतलब तो अच्छी हुई है फसल। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ये सदन को गुमराह करने के काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): गिरदावरी हो रही है, वो तो एक साधारण रुटीन का काम है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): खराब फसलों को कौन चाहता है? (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय मंत्री महोदय, गिरदावरी का काम एक साधारण रुटीन का काम है। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): किसान की मजाक उड़ा रहे हैं ये ...(व्यवधान) किसान की मजाक उड़ा रहे हैं ...(व्यवधान) यहां पर किसान की मजाक उड़ा रहे हो सदन के अन्दर। (व्यवधान) शर्म नहीं आती ...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ...(व्यवधान) ये रुटीन का काम है गिरदावरी कराना सरकार का ...(व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ...(व्यवधान) क्या गिरदावरी कराओगे ...(व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ...(व्यवधान)... किसान के साथ मजाक कर रहे हो ...(व्यवधान) किसान का मजाक उड़ा रहे हो यहां पर। किसान मर रहा है, उसकी फसल उजड़ गयी, आप उसका मजाक उड़ा रहे हो यहां पर। वक्तव्य दो तो किसान की फसल पर दो। (व्यवधान)

(14.00 बजे)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सचेतक महोदय, आप कह रहे हो फसल कट गई तो इसका मतलब अच्छी हुई है। जिनकी फसल खराब हो गई, तो क्या वे अपनी फसल काटेंगे नहीं? (व्यवधान) वे अपनी फसल काटेंगे नहीं क्या जिनकी फसल खराब हुई है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ...(व्यवधान) किसान की मजाक उड़ा रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: आप पूरा वक्तव्य सुन लीजिए उसके बाद प्रश्न करने का आपको पूरा अधिकार होगा। बीच में व्यवधान करोगे तो बात भी नहीं आ पाएगी। आपके सदस्य नहीं चाहते।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय धारीवाल साहब, आप सरकार को श्रद्धांजलि दीजिए, आप दीजिए श्रद्धांजलि।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, आप वक्तव्य पूरा करवाइए।

श्री उपाध्यक्ष: आपके सदस्य नहीं चाहते, वक्तव्य पूरा हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम सब बैठे हैं, आप करवाइए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय धारीवालजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, गिरदावरी एक फरवरी से चालू हो गई और 20 फरवरी के पहले राजस्थान में कोई फसल नहीं कटती। एक फरवरी से चालू है, मेरा यह निवेदन है। चिदम्बरम साहब के इस पत्र के बाद ...(व्यवधान) +++ ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या, साहब, यह विधान सभा है या कोई रंगमंच है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इस पत्र के बाद एक दूसरा पत्र मुख्य मंत्रीजी को फिर लिखा गया, यह पत्र लिखा गया है मुल्लापल्ली रामचन्द्रन साहब का जो कि स्टेट होम मिनिस्टर साहब हैं गवर्नमेंट आफ इण्डिया में। उन्होंने यह लिखा :

"Please refer to your DO letter …..dt. 02.3.11. In this regard the Govt. of India have constituted a Group of Ministers under the Chairmanship of Hon'ble Finance Minister (Pranabh Mukherjee) to look into the issue of inclusion of cold wave/frosts as an eligible calamity for relief under the National Disaster Response Fund and State Disaster Response Fund. The GOMs, in its meeting has considered the matter and suggested setting up of a working group of Agricultural Scientists/Experts for examining the issue of quantifying the damages caused by cold wave and to suggest the norms for assistance. The working group so constituted has submitted its recommendations and it is under the process for placing it before the GOMs for its decision." साफ यह लिखा हुआ है, हमें इस बात का इंतजार तो करना पड़ेगा। गिरदावरी की हमारे पास फाइनल रिपोर्ट आ गई, आने के बाद में हम सेंट्रल गवर्नमेंट में फिर जाएंगे और जाकर उनसे कहेंगे कि यह हमारा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई के लिये आप हमारा कुछ न कुछ इंतजाम कीजिए। यह विश्वास रखना चाहिये आपको कि जितने चिंतित आप लोग नहीं हो, उससे कहीं ज्यादा चिंतित इस राजस्थान के किसानों के लिये राज्य की सरकार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप मुद्दे पर आने दो, लीडर आफ अपोजिशन बोल रही हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, ये तो चिट्ठियां थी जो पढी गई, हम तो वक्तव्य सोच रहे थे कि सरकार हमको वक्तव्य देगी। पर यह नहीं हुआ, इसको भी छोडिये। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि जब हमारे समय में पाला पडा था, यह गिरदावरी तो हमेशा होती है जो 5 मार्च तक खतम होती है, रूटीन की गिरदावरी है परन्तु जब ऐसी कोई कैलेमिटी होती है, जैसे पाला पडा हमारे समय में भी, हम लोगों ने तुरंत ही उसे करवाया। चार पांच दिन में तो हमारे पास रिपोर्ट आ गई थीं और आठ दिन में उनको चैक मिल गये थे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ... (व्यवधान) बगैर गिरदावरी के ही करवा दिया? (व्यवधान) हो ही नहीं सकता ऐसा, गलत बयानी है ...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) आपके चिल्ला-चिल्ला कर बोलने से कुछ नहीं होगा ...(व्यवधान) जितनी आवाज आपकी है, उतनी आवाज हमारी भी है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह आवाज उठा-उठा कर बोलने से हम लोग दबने वाले नहीं हैं, हमारी जो बात है वह हम सबके सामने रखेंगे और मैं तो समझती हूं कि हाउस में मर्यादा होनी चाहिये। जब मंत्री महोदय ऐसे चिल्ला-चिल्ला कर बोलेंगे ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ...(व्यवधान) गलत बयानी नहीं सुनेंगे हम। नहीं, नहीं, गलत बयानी नहीं सुनेंगे हम। और यह मर्यादा पूरी है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): यह सोच रहे हैं कि हम इससे दब जाएंगे। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ...(व्यवधान) आप गलत कह रही हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से एक्टिंग करके माननीय धारीवालजी अपनी बात को रख रहे हैं, यह केन्द्र सरकार की चिट्ठी जिसकी भी है, इस मुल्ला की है चाहे किसी की भी है, इससे हमारा लेना-देना नहीं है। यह आपके लिये है चिट्ठी। हमें तो यह बता दीजिए कि उस गरीब किसान को मुआवजा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? (व्यवधान) आप घुमा क्यों रहे हो? आपकी गिरदावरी रुटीन में होती है ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ...(व्यवधान) राजस्थान के किसान को जो पाला पडा है उसमें राज्य सरकार मुआवजा दे रही है या नहीं दे रही? आप नहीं दे रहे हैं तो मना कर दें। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाड़पुरा): ...(व्यवधान) किसान बरबाद हो गया, आप केवल पत्र व्यवहार कर रहे हो। यह पत्र व्यवहार सुनने के लिये प्रतिपक्ष नहीं बैठा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप तो बताओ कि किसानों को मुआवजा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की नेता के खड़े होने पर क्या धारीवाल साहब को फिट्स आते हैं? दौरे आते हैं क्या? जैसे ही प्रतिपक्ष की नेता खड़ी होती है, इनको दौरा आता है ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ...(व्यवधान) किसानों के लिये आंसू बहाने वाली ...(व्यवधान) बारां जिले के किसानों की फसलें नष्ट हो गई थीं, अफीम के सारे पौधे नष्ट हो गये थे, एक पैसे का भी मुआवजा आपने दिया था क्या? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह तर्क-वितर्क का विषय नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कटारियाजी बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तर्क वितर्क का विषय नहीं है कि किस समय कितना मिला और किस समय कितना नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो प्रश्न पूछिए, उन्होंने जो भी कहा, उसको आप मान लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतनी ही प्रार्थना कर रहा हूं कि जो घटनाक्रम हो चुका और जो सरकार के ध्यान में आ गया, जिस प्रक्रिया से आप चल रहे हो वह प्रक्रिया तो आपकी महीनों तक चलती रहेगी। सवाल यह है कि किसान को जो आज नुकसान हुआ, उसका पहले भी सात दिन के अन्दर-अन्दर स्पेशल टीम लगाकर, कलक्टर को डाइरेक्शन देकर, आप कृपा करके अपना पुराना रिकार्ड उठाकर देखो कि वास्तव में उस समय जो पाला या ओलावृष्टि हुई, उसका मुआवजा हमने किसान को सात दिन में दिया कि नहीं दिया। आप साफ कह दो कि हम नहीं देना चाहते, तो चलो यह भी कह दो कि हम देना नहीं चाहते। अगर आप देना चाहते हो तो जब वह बीमार है तभी दोगे या वह मर जाएगा उसके बाद उसके कफन के लिये दोगे, कब दोगे ? सरकार की यह नीयत होनी चाहिये कि आज उसको जो तकलीफ है। आप दिल्ली से कितना और एक्स्ट्रा मिलेगा, वह बाद में और बढा दीजिए, आज उसे जो तकलीफ हुई है उस तकलीफ को शांत करने के लिये बिजली का बिल माफ किया जा सकता है, यह आपके अधिकार क्षेत्र में है। जो रिलीफ आप अपने स्तर पर दे सकते हैं उसकी तो सरकार घोषण कर ही सकती है। आप कितना प्रति बीघा दोगे? नहीं दोगे, हमने 2000 रुपये प्रति बीघा दिया, आप उसको 5000 रुपये प्रति बीघा देना चाहते हो तो वह दो। 2000 नहीं देकर आप उसे 1000 देना चाहते हो तो वह दो। या यह साफ कह दो कि जो कुछ होना था वह हो गया, दिल्ली से मिलेगा तो दे देंगे और दिल्ली से नहीं मिलेगा तो नहीं देंगे। कम से कम यह कह दो ताकि कम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से कम राजस्थान के उस किसान को पता लगे कि हमारे वोट से जीत कर जाने वाले और हमारे रात-दिन गुणगान करने वाले लोगों को हमारा दर्द कितना महसूस होता है कि नहीं होता है। मैं यहां कोई भाषण या वाद-विवाद खड़ा करने के लिये विषय खड़ा नहीं कर रहा हूं, विषय खड़ा इसलिए कर रहा हूं कि जिस प्रकार से उसकी बरबादी हुई है उस समय लोकतंत्र के रक्षक बन कर जो यहां बैठे हैं उनकी ईमानदारी से मंशा क्या है। अगर आप दिल्ली से आएगा तो ही देंगे तो यह कह दो, कोई बात नहीं। अगर आप कहते हो कि हमारे लेवल पर हम यह-यह कर रहे हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा और देंगे तो वह बात कह दो। कम से कम घुमाओ मत, हमारे किसान की उस तकलीफ को यहां हंसी, खेल, तमाशा करके। आप कुछ कहोगे, हम कुछ कहेंगे और नाटकबाजी होकर सबको यह लगेगा कि हमने अपना धर्म पूरा कर दिया। हम अपना धर्म पूरा नहीं करना चाहते हैं, जिसको तकलीफ हुई है उसको ईमानदारी से मदद पहुंचाना चाहते हैं। आपका और हमारा दोनों का दायित्व यह है, उस दायित्व के ऊपर आप आ जाओ, जो बोलना चाहते हो वह बोलो।

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) आप एक-एक करके बोलो।

श्री पेमाराम (धोद): राजस्थान में पाला पड़ने के बाद, फसलें बरबाद होने के बाद ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पेमारामजी बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोल लेना।

श्री पेमाराम (धोद): इन्होंने मार्च तक वसूली करने के आदेश दे रखे हैं, बिजली के नाम पर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप शोर्ट कीजिए।

श्री पेमाराम (धोद): अभी कनेक्शन काट कर ...

श्री उपाध्यक्ष: यह बहस का विषय नहीं है। माननीय पेमारामजी, आप मेरी बात सुन लीजिए, यह बहस का विषय नहीं है, जो भी मंत्रीजी बोले हैं, जिस मुद्दे पर भी, इस पर आप प्रश्न पूछिये। आपका क्लैरिफिकेशन है, इन्होंने पत्र दे दिया, ...(व्यवधान) आप इनके स्टेटमेंट के बाद पूछिये... (व्यवधान) क्या दिक्कत है?

श्री पेमाराम (धोद): यही तो पूछ रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): पूछ रहे हैं, तो यह

(श्री रतन देसाई उर्फ देवासी)

कोई बहस थोड़े ही चल रही है। (व्यवधान) बहस थोड़े ही चल रही है। जवाब सुनिये ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बहस का मुद्दा नहीं है। (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): जवाब तो सुनिये।

श्री पेमाराम (धोद): बिजली का बिल ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, यह पूछिये आप। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): पाले से प्रभावित किसान है उनके बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, वसूली की जा रही है ...(व्यवधान) सरकार उनसे बात करने का इरादा रखती है या नहीं? (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): जवाब सुनिये। (व्यवधान)..

श्री पेमाराम (धोद): मुआवजा देती है या नहीं ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: उनकी सुन लीजिए पहले।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आप भी टौंक से आते हैं, टौंक जिले की उड़द-मूंग की पूरी फसल बरबाद हुई थी और एक रुपया तक मुआवजा नहीं दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, आप वहीं से आते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। (व्यवधान) अभी शीतलहर से फसल बरबाद हो गई। मेरी प्रार्थना है, अगर मुआवजा नहीं दें तो इनके गृह मंत्री के ये लैटर, किसानों को इसकी फोटो कापी करवाकर दे दें, किसानों को इससे खाद-बीज मिल जाएगा? (व्यवधान) यह फोटो कापी यहां पढ़ रहे हैं ...(व्यवधान) किसानों को तो मुआवजा चाहिये, इनके बीच में क्या पत्र व्यवहार है किसानों को उससे क्या लेना-देना है? (व्यवधान) वोट ले लिये। वोट इस सरकार ने किसानों के लिए हैं यहां से। यह भवन बनवाते हैं तो कहते हैं राजीव गांधी का सपना है, किसानों को मुआवजा नहीं देना +++ है क्या फिर यह? (व्यवधान) सपना एक तो स्वीकार करें कौनसा है। (व्यवधान) उड़द-मूंग....

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह यह नाम ले-लेकर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, आप अलाउ कर रहे हैं क्या ये सब चीजें? आप कार्यवाही से निकालो इनको। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): पूरे जिले की फसल बरबाद हुई, मैं 10 दिन तक भूख हड़ताल पर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इसमें जो-जो ऐसी टिप्पणी है जो सदन को स्वीकृत नहीं है, उसको आप डिलीट कर दें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): भूख हड़ताल पर गया ...(व्यवधान) एक रुपया भी मुआवजा नहीं मिला। दूसरी फसल बरबाद हो रही है ...(व्यवधान)... आप धरना उठवाने के लिए गये ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: यह बहस नहीं हो रही है। आपको कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो जो मंत्रीजी का वक्तव्य ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): एक रुपया मुआवजा नहीं मिला ...(व्यवधान) बहस तो मुआवजे की है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिना आपकी अनुमति के खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बहस नहीं है, भाषण नहीं है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, लोग बार बिना आपकी अनुमति के खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मेरी प्रार्थना इतनी है कि किसान को मुआवजा मिलेगा कि नहीं। भाषण हम नहीं देंगे। आप हां करते हैं तो हां कर दो, ना करते हो तो ना कर दो। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप केवल क्वेश्चन पूछ लीजिए। (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, वापस बीच-बीच में खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान) जवाब ही पूरा नहीं हुआ, आप इनका जवाब तो पूरा होने दीजिए। आप इनका जवाब तो पूरा होने दीजिए, आप तो बहस कर रहे हो सारे के सारे (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरे को अलाउ किया है।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): आप इनका जवाब पूरा होने दो, आप तो बहस कर रहे हो सारे के सारे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आसन ने मंजूर किया है। (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): भाषण तो आपके लोग कर रहे हैं ...(व्यवधान) सुनना ही नहीं चाहते। वैल में आ जाते हो, खड़े हो जाते हो, सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आसन ने मंजूर किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्य सचेतकजी ...(व्यवधान) यह साफ है, अंतिम सवाल पूछेंगे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, सवाल-जवाब नहीं होगा ....(व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): जवाब दे रहे हैं। ...(व्यवधान)... क्या सवाल है, जवाब दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंतिम प्रश्न होगा, अंतिम प्रश्न है यह (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): क्या सवाल है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह अंतिम सवाल है, उसके बाद आप ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा, आपने दिल्ली में चिट्ठी लिखी, दो मंत्रियों के पत्र का वर्णन भी आपने किया ...(व्यवधान)...

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): यह सवाल-जवाब हो गया क्या? (व्यवधान) पहले जवाब तो सुन लीजिए।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह क्वेश्चन आवर नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। कोई क्वेश्चन आवर नहीं है...(व्यवधान) यह सदन तरीके से चलेगा, सदन नियम और प्रक्रिया से चलेगा, मजाक बना लिया इसको। यह क्वेश्चन आवर नहीं है । (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): पहले जवाब तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह अंतिम प्रश्न है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सरकार स्टेटमेंट दे रही है। (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): क्या सही है, सवाल-जवाब, यह क्वेश्चन आवर है क्या? (व्यवधान) कोई नियम, कोई प्रक्रिया है, यह हाउस प्रक्रिया से चलता है। मजाक बना रखा है इसको। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): कोई अपराध थोड़े ही है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी मुख्य सचेतक ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मैं किसी का भाषण सुनने नहीं आया...(व्यवधान) यहां सरकार की तरफ से जवाब आ रहा है और जवाब तो सुनना चाहिये। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मुआवजा देना है तो हां करो, नहीं देना है तो ना करो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पहलवान जी। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नेता प्रतिपक्ष पर विश्वास नहीं है इनको । (व्यवधान) गवर्नमेंट जवाब दे रही है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं अगला बिजनस ले लेता हूं फिर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक मिनट।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नेता प्रतिपक्ष से ज्यादा बुद्धिमान हो क्या आप? (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): नहीं दे रहे हैं तो ना कर दो । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्रीजी के वक्तव्य का ...(व्यवधान) अधिकार है, सवाल पूछ सकता हूं, सरकारी मुख्य सचेतक शायद इस कानून से अनभिज्ञ हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय ...(व्यवधान) आपको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, साफ है, फिर भी आपको इजाजत मिल रही है । आपको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होते हुए भी सदन की भावना के मुताबिक आप मंत्रीजी से बात कर रहे हैं। आप देखिये ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मुआवजा के लिए हां या ना पूछ रहे हैं और कुछ नहीं पूछ रहे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इतना समय दिया जा चुका है, अब मैं अगला बिजनेस लूंगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, सदन की प्रतिपक्ष की नेता ने जब कह दिया उससे बड़ी बात क्या है? आप उनसे बड़े हैं क्या? उसका जवाब गवर्नमेंट दे रही है। बीच-बीच में खड़े हो रहे हो। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह खुद बीच में खड़े होकर ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप खड़े होते हो सब, हम थोड़े ही खड़े हो रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): या तो यकीन रखो अपनी नेता पर। यकीन रखो, नेता ने जब बोल दिया ...(व्यवधान) गवर्नमेंट का जवाब सुनोंगे या नहीं सुनोगे (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): तीन साल से राजस्थान सरकार ने ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): हम सभी सत्ता पक्ष के लोग उनसे ज्यादा चिंतित, हमारी जवाबदेही ज्यादा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इस किताब को लेकर ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): हमारे से भी सवाल जवाब पूछ लिये जाते हैं क्षेत्र के अन्दर ...(व्यवधान) ये सिर्फ अपने आपको किसानों का बहुत बड़ा हितैषी बनाने के चक्कर में है ...(व्यवधान) ये इस चीज को बार-बार लेकर आ रहे हैं। मंत्रीजी ने जवाब दिया है ...(व्यवधान)... आ जाएगा। अभी तो सत्र वापस चलेगा 26 तारीख से और उससे पहले ही फैसला हो गया ...(व्यवधान) सरकार फैसले की घोषणा कर देगी?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आपको कुछ बोलना है? (व्यवधान) आपने अपनी बात समाप्त कर ली क्या? आपको और कुछ नहीं कहना, आपने अपनी बात समाप्त कर ली? (व्यवधान) इनकी बात सुन लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष: बोलिये क्या कहना है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं.....

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार स्टेटमेंट दे रही है ...(व्यवधान) व्यवस्था है ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप चैलेंज कर रहे हो क्या? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ऐसे नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)...सरकार जवाब दे रही है, जवाब सुनिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): वर्तमान मुख्य मंत्री से ज्यादा कोई संवेदनशील हो नहीं सकता किसानों के लिए ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपने अलाउ किया है । (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपके नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल किया है उसका जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका क्या कहना है? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): गिरदावरी की रिपोर्ट आई है ...(व्यवधान) सरकार जवाब दे रही है। आकलन करके भेजा है, उस पर मन्तव्य करेगी, घोषणा करेगी। जरूरी है क्या, ये कहें जब ही घोषणा हो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ऐसी परम्परा मत डालो। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से जवाब ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जब इन्होंने अलाउ कर दिया तो बीच में क्यों बोल रहे हो आप? अलाउ कर दिया, आप बीच-बीच में क्यों बोल रहे हो? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): गवर्नमेंट जवाब दे रही है। नेता प्रतिपक्ष बोल रही हैं? उसके बाद ...(व्यवधान) गवर्नमेंट जवाब दे रही है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप ही बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अपनी मर्जी से सदन नहीं चलेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): किसानों के हितैषी आप ही हो

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

क्या? (व्यवधान) हम लोग किसानों के हितैषी नहीं हैं क्या? (व्यवधान) आपसे ज्यादा इनकी पीड़ा समझने की जिम्मेदारी हमारी भी है। (व्यवधान).

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): जवाब पूरा सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): इस मुद्दे को लेकर किसानों के ज्यादा हितैषी बनना चाह रहे हो। किसानों के नाम पर राजनीति करना बंद कर दो। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बार-बार खड़े हो रहे हो। जिस तरह बार-बार हर व्यक्ति खड़ा हो रहा है ...(व्यवधान) जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जाड़ावतजी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सुबह से ही बार-बार ...(व्यवधान) हम किसान नहीं हैं, हमें कोई ताल्लुक नहीं...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ): ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ...(व्यवधान)... उपाध्यक्ष महोदय, यह घड़ियाली आंसू हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वक्तव्य पूरा होते ही सब कुछ आ जाएगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जवाब दे रहे हैं, पहले सरकार जवाब तो दे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप समझो । (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): संवेदनशील है, जैसे ही पाला पडा, शीतलहर चली ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप आसन को बाध्य क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान) आपको आसन पर विश्वास नहीं है क्या? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: निचले स्तर के अधिकारी को निर्देश दे दिया। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सदन की परम्परा है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): हम किसानों के हितैषी नहीं हैं क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपया शांत रहें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बोल रहे थे, आसन की परम्परा मालूम है आपको? खड़े हो रहे हैं ...(व्यवधान) विपरीत मुंह करके खड़े होना, नारे लगवाना, ...(व्यवधान) आसन की यह मर्यादा रही है ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सिर्फ किसानों के हितैषी बनने के लिए ...(व्यवधान) आपकी सरकार किसानों को मार रही थी तब आप लोग कहां गये थे? तब आप लोग सत्ता में थे, तब आपको किसानों की चिंता नहीं हुई? (व्यवधान) कहां-कहां पर गोलियां नहीं चलवाई, तब आपको किसानों की चिंता नहीं हुई? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आज की बात करो। आप कल की बात मत करो। (व्यवधान) पिछले तीन साल में ही जी रहे हो क्या? (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): रावला-घड़साना, सोहेला गोलीकाण्ड, कहां-कहां किसानों पर आपने गोलियां नहीं चलवाई हैं? आप किसानों के इतने बड़े हमदर्दी, इतने बड़े हितैषी...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आज की बात करो, आज की। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ये बयान क्यों नहीं दे रहे, साहब? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): तीन साल पुरानी बात हो गई, गीत गा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): जाड़ावत साहब, हमें मालूम है, आप तो आसन को डिस्टर्ब करेंगे। (व्यवधान) हां, आसन को डिस्टर्ब करेंगे। (व्यवधान) हमको पता है, आप आसन को डिस्टर्ब करोगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आपको बहुत मालूम है। (व्यवधान) आप उसकी चिन्ता मत करो। मैं तो वहां प्रजातांत्रिक हैसियत से था। (व्यवधान) यह बार-बार मेरे को कह करके...(व्यवधान) मैं दोनों पक्षों की बात रखकर करता था। यहां था तो मेरे ...(व्यवधान) और आज भी मेरी वही प्रतिज्ञा रहेगी। वहां जाऊंगा तो वही प्रतिज्ञा और यहां रहूंगा तो यह भूमिका। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमारे सचेतक बोलेंगे तो ये बीच-बीच में खड़े होंगे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह चर्चा थोड़े ही हो रही है। (व्यवधान) यह चर्चा नहीं हो रही है। (व्यवधान) प्रतिपक्ष की माननीय नेता ने सरकार से जवाब मांगा है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): लेकिन आप लोग ... (व्यवधान) यह साबित करना चाहते हैं कि किसानों के हितैषी सिर्फ आप हो और हम विरोधी। (व्यवधान) कांग्रेस तो ठेठ से मानती आई है कि देश की रीढ़ की हड्डी किसान हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जाड़ावतजी, एक मिनट, शांत रहेंगे आप? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो आपने अनुमति दी थी तब खड़ा हूं मैं। (व्यवधान) मुझे आपने परमीशन दी है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह नई परम्परा डल जाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह सब ठीक है। मैंने उनको इजाजत दी है, कृपया एक बार बोलने दें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नेता, प्रतिपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जो भी, मैंने माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ को एक मिनट का समय दिया है, एक प्रश्न पूछने का। (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): परम्परा रही है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: परम्परा नहीं है। परम्परा का सवाल नहीं है। यह मैटर आगे बढ़े। क्योंकि माननीय मंत्रीजी के बीच में बोल लिये। एक दफा, माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष को इजाजत दे दी। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक मिनट निवेदन सुन लो, उसके बाद बुलवा लेना आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: फरमाइये आप। (व्यवधान) एक मिनट, राजेन्द्रजी, एक मिनट। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सदन में प्रतिपक्ष के नेता ने सरकार से जवाब मांगा है।

एक माननीय सदस्य: ये बिना बात के बोल रहे हैं। एक मिनट सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, साहब। आप बात को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते क्या?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सरकार से जवाब मांगा, उपाध्यक्ष महोदय। आपने व्यवस्था दी, सरकार जवाब दे रही है। अब सदन की प्रतिपक्ष के नेता से बड़े हैं क्या उनके सचेतक या दूसरे माननीय सदस्य? मेरा कहना सिर्फ यह है कि सवाल कोई करे तो नेता, प्रतिपक्ष करें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न नहीं है। प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय नेता, प्रतिपक्ष यहां विराज रही हैं, अगर सवाल भी करेंगी, वे ही करेंगी। (व्यवधान) आप बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हो, यह है मेरी दिक्कत।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप कौन हो, आप कौन हो? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जब आपने अलाउ कर दिया तो बीच में क्यों खड़े होते हैं? आपने अलाउ किया है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष की माननीय नेता बैठी हैं यहां। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, हमें पता है, वे बैठी हैं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आसन ने अलाउ किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आसन के स्वविवेक से ये कुछ कहना चाहते हैं, प्रश्न पूछने का सवाल नहीं है। मैं कह चुका हूं, प्रश्न नहीं है इसमें। ये कोई बात कहना चाहते हैं, इनकी सुन लें। यदि ये बात सही नहीं कहेंगे, लाइन की नहीं कहेंगे, अपन इनको कहेंगे कि आप विराजिये और मंत्रीजी को जो पूरा करना है, करके बात आगे बढ़ जाएगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अर्ज यह है कि यह परम्परा के विपरीत है। (व्यवधान) किसी एक चीज पर प्रतिपक्ष की माननीय नेता ने जो प्रश्न कर दिया है, उसके बाद माननीय सदस्य खड़े नहीं हो सकते। (व्यवधान) मतलब, ये नेता नहीं मानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: परम्पराएं सब हैं। (व्यवधान) आसन ने व्यवस्था दे दी। (व्यवधान) मैं पहले भी कह चुका, प्रश्न नहीं है। प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, वे कह सकते हैं, क्या दिक्कत है? मुख्य सचेतक हैं ये। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, भले आप परम्परा डाल रहे हैं, पर यह परम्परा के खिलाफ है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी व्यवस्था है, उस पर माननीय मुख्य सचेतक महोदय को भी आपत्ति नहीं करनी चाहिए। आपने टाइम दिया है माननीय सदस्य राजेन्द्रजी राठौड़ को, तो उनको बोलने देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जवाब तलब किया, उसका जवाब तलब होने के बाद में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: देखिये, आप देखिये कि अपनी बात करना चाहते हैं। अब आप परम्परा का हवाला देकर आधा घण्टा खराब कर रहे हैं सदन का। मैं माफी चाहता हूं आपसे, आप विराजिये। ये क्या कहना चाहते हैं, यदि ये सही बात नहीं कहेंगे तो अब मंत्रीजी पूरी बात करके आगे बिजनस बढ़ेगा। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सरकार जवाबदेह है। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): उसके बाद में कोई बात आती, सरकार के जवाब देने के बाद में और भी पूछते। प्रतिपक्ष के नेता का जवाब दे रही है सरकार। उस जवाब के बाद आप माननीय सदस्य बोल सकते हैं। उसके पहले अलाउ करना...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): आसन की व्यवस्था हो गई, आप विराजिये।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): आसन से गलत परम्परा डाल रहे हैं। भले आप अलाउ कर दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सदन की प्रतिपक्ष की नेता के लिये अपमानजनक बात है यह। मैं आपको साफ शब्दों में बता रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। मैं तो सिर्फ आपकी अनुमति से एक बात.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: लेकिन आप कोई उत्तेजक बात नहीं कहेंगे। आपको क्या बात करनी है, काफी सोच कर कहिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं, क्या राजस्थान सरकार अपने संसाधनों से राजस्थान के किसानों को कोई पैकेज देना चाहती है या नहीं देना चाहती है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बस, आपकी बात समाप्त हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सिर्फ इतनी-सी बात है। क्या राजस्थान के किसानों को अपने संसाधनों से कोई पैसा देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह कटारिया साहब ने बोल दी। (व्यवधान) बोल दिया, यह कटारिया साहब ने बोल दिया। केवल अपनी छाप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह बात है, यह बता दें न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये, आपकी बात हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह बता दें मंत्रीजी। पहले बता दें मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष: हां, अब बता रहे हैं। आप बैठिये। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, क्या अपनी बात अधूरी रह गई? पूरी कर दें ताकि बिजनस आगे बढ़े। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): पूरी हो गई इनकी तो पहले ही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब नहीं, माननीय दिगम्बरजी, आपको बहुत मौका मिला है, देखिए, ऐसे नहीं। अपनी बात करेंगे मंत्रीजी। आपको पूरा मौका दिया है। मंत्रीजी, अगर कोई आपकी बात रह गई हो बता दीजिए, ताकि बिजनस आगे बढ़ाएं। (व्यवधान) आप कृपा करके शांत रहिये। मंत्रीजी की जो बात हो, सुनें। (व्यवधान) मैं मंत्रीजी की बात सुने बिना बिजनस आगे लूं क्या? मंत्रीजी अपनी बात पूरी करेंगे। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुआवजे के पहले हमेशा गिरदावरी, चाहे सरकार आपकी हो या हमारी हो, यह करवाई जाती है। उसका एक कैलेण्डर बना हुआ है। एक फरवरी से लेकर पांच मार्च तक का एक कैलेण्डर है। दो-पांच रोज इधर-उधर हो जाएं, किसी जगह नहीं हो पाई, हो जाते हैं। और उसके बाद 30 मार्च एक ऐसी तारीख तय की जाती है सरकार के द्वारा, जब वह कम्पाइल करके रिपोर्ट पेश हो जाती है। उसके बाद अप्रैल में जाकर फाइनल रिपोर्ट पेश होती है। लेकिन हमने इन सब तारीखों को आगे बढ़ाते हुए, चीफ सैक्रेटरी से चिट्ठी लिखवाई हर कलक्टर को, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से चिट्ठी लिखवाई और एग्रीकल्चर सैक्रेटरी से चिट्ठी लिखवाई। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मुआवजा देंगे क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये, बात तो सुनिये। बात तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कि इन तारीखों को प्रीपोन किया जाए और आगे जल्दी किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार हो जाए जिससे हम जाकर दिल्ली में यह बता सकें कि हमारा इतना नुकसान हुआ है। जो कुछ दिल्ली में प्रयास हो रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वह मैं आपको निवेदन कर चुका हूं। यह विश्वास राजस्थान की सरकार पर किसान भी करता है और यहां के सारे माननीय सदस्य भी करते हैं, लेकिन पोलिटिकल रीजन से यह आवाज उठाई जाती है। मुआवजा सरकार निश्चित तौर पर देगी। (व्यवधान) मुआवजा सरकार निश्चित तौर पर देगी और उचित मुआवजा देगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसका मतलब यह तय हुआ कि यह सरकार अपने संसाधनों से पैसा नहीं देना चाहती है। हम यह सुनने नहीं आये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बात आ गई। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम सुनना चाहते हैं, मुआवजा क्या दे रही है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मुआवजा देने की बात कह दी न सरकार ने, और क्या चाहिए? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सरकार क्या मुआवजा देना चाहती है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा। (व्यवधान) श्रीमती किरण माहेश्वरी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किसान को सरकार कोई पैसा देना नहीं चाहती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। चर्चा समाप्त हो गई। (व्यवधान) बात समाप्त हो गई। अब मैं अलाउ नहीं करुंगा। अंकित नहीं होगा। श्रीमती किरणजी माहेश्वरी। श्रीमती किरणजी माहेश्वरी बोलिये। (व्यवधान) कृपया बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको एश्योरेंस मिल गया। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं। (व्यवधान) आपको सदन चलाना है। बात हो गई, सरकार का जवाब आ गया।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के द्वारा सदन-कूप में धरना)

श्री उपाध्यक्ष: काफी कुछ कह दिया। (व्यवधान) मैंने पूरा समय दिया है, अब आप सदन तो चलाइये। सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की होती है, एक पक्ष की नहीं होती है, दोनों की होती है। (व्यवधान) सदन चलाइये, मैं आपसे निवेदन करुंगा, सदन चलाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारेबाजी)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री नवल किशोर मीणा (बामनवास): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी। यह दो मिनट बोलने का मौका दिया था पुष्पेन्द्र सिंहजी को। माननीय श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी। माननीय श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री देवीसिंहजी भाटी। माननीय श्री देवीसिंहजी भाटी। माननीय श्री देवीसिंहजी भाटी। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

माननीय श्री वासुदेवजी देवनानी। माननीय श्री वासुदेवजी देवनानी। एब्सेंट। श्री वासुदेव देवनानी। (अनुपस्थित)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ×××

श्री उपाध्यक्ष: शून्य काल में बोलने के लिए ये चार पर्चियां निकली हैं- माननीय श्री सुखरामजी। श्री सुखरामजी। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।) माननीय श्री रामहेत सिंहजी। श्री रामहेत सिंह। एब्सेंट। श्री रामहेत सिंह (अनुपस्थित) माननीय श्री रविन्द्र सिंहजी बोहरा। नहीं बोलना चाहते हैं? श्री रविन्द्र सिंह बोहरा। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।) माननीय श्री ग्यारसा रामजी कोली। माननीय श्री ग्यारसा राम कोली। एब्सेंट। (अनुपस्थित)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारेबाजी)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले प्रतिवेदन। माननीय श्री शांतीकुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2010-11

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2010-11; एवं

राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के अन्तर्गत राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11.

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय कार्य। माननीय श्री शांती कुमार धारीवाल।

अनुपूरक अनुदान की मांगों वर्ष 2011-12 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2011-12 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

अतिरेक मांगों वर्ष 2007-08 का उपस्थापन

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अतिरेक मांगों वर्ष 2007-08 का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अनुपूरक अनुदान की मांगों वर्ष 2011-2012 (द्वितीय संकलन) एवं अतिरेक मांगें वर्ष 2007-2008 मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारेबाजी)

अनुपूरक अनुदान की मांगें मुखबंद कर प्रस्तुत की जा रही है। (व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

मुखबंद

अनुपूरक अनुदान की मांगों (द्वितीय संकलन) का पारण

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-2-मंत्रिपरिषद के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 90,00,000/- (नब्बे लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-3-सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारेबाजी)

(व्यवधान)... आप अपनी चेयर पर जाओ पहले, फिर कहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। इसके बाद में आप कह देना। माननीय घनश्यामजी। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-5-प्रशासनिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,55,16,000/- (ग्यारह करोड़ पचपन लाख सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-6-न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,04,07,000/- (छत्तीस करोड़ चार लाख सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-7-निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,96,98,000/- (तीन करोड़ छियानवे लाख अठानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-9-वन के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,31,72,000/- (बाइस करोड़ इकतीस लाख बहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ना-ना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक ही हो न?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-10

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-10-विविध सामान्य सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,11,47,89,000/- (एक अरब ग्यारह करोड़ सैंतालीस लाख नवासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

वाइस वोट से जीत रहे हो। (व्यवधान)

मांग संख्या–11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-11-विविध सामाजिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,91,86,000/- (चार करोड़ इक्यानवे लाख छियासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-12-अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,06,13,000/- (ग्यारह करोड़ छह लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-14-बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,54,53,06,000/- (दो अरब चौवन करोड़ तिरेपन लाख छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,93,18,42,000/- (एक अरब तिरानवे करोड़ अठारह लाख बयालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-17-कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,92,43,000/- (छह करोड़ बानवे लाख तियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-18-जन सम्पर्क के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,83,13,000/- (तेरह करोड़ तिरासी लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19-लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,89,75,000/- (इक्यावन करोड़ नवासी लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-20-आवास के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,23,35,000/- (तीन करोड़ तेइस लाख पैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-21-सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,00,41,42,000/- (चार अरब इकतालीस लाख बयालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22-क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-23-श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 39,67,54,000/- (उनतालीस करोड़ सड़सठ लाख चौवन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,96,78,38,000/- (छह अरब छियानवे करोड़ अठहत्तर लाख अड़तीस हज़ार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-25-कोषागार व लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,57,00,000/- (दो करोड़ सत्तावन लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,50,69,94,000/- (चार अरब पचास करोड़ उनहत्तर लाख चौरानवे हज़ार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27-पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,23,46,59,000/- (एक

(श्री उपाध्यक्ष)

अरब तेइस करोड़ छियालीस लाख उनसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,16,51,000/- (छह करोड़ सोलह लाख इक्यावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,97,17,09,000/- (एक अरब सत्तानवे करोड़ सत्रह लाख नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,76,59,15,000/- (दो अरब छिहत्तर करोड़ उनसठ लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या–32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-32-नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 84,05,31,000/- (चौरासी करोड़ पांच लाख इकतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,85,60,12,000/- (एक अरब पिचासी करोड़ साठ लाख बारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,00,40,42,000/- (तीन अरब चालीस लाख बयालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,67,09,000/- (पैंतालीस करोड़ सडसठ लाख नौ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,81,38,14,000/- (चार अरब इक्यासी करोड़ अड़तीस लाख चौदह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,84,10,000/- (छह करोड़ चौरासी लाख दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,94,22,000/- (एक करोड़ चौरानवे लाख बाइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,87,000/- (अड़तीस लाख सतासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 65,22,000/- (पैंसठ लाख बाइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,46,94,000/- (इकसठ करोड़ छियालीस लाख चौरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,94,40,000/- (सात करोड़ चौरानवे लाख चालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,000/- (बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,77,09,000/- (छह करोड़ सतहत्तर लाख नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,49,02,76,000/- (बाइस अरब उनचास करोड़ दो लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-49

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,52,06,000/- (इकतीस करोड़ बावन लाख छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-51

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संगठक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,84,71,87,000/- (तीन अरब चौरासी करोड़ इकहत्तर लाख सतासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अतिरेक अनुदान की मांगों (वर्ष 2007-08) का पारण

मांग संख्या-17

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-17-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,70,758/- (अठारह लाख सत्तर हजार सात सौ अठावन) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-22-क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,23,082/- (दो लाख तेइस हजार बयासी) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-27

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,71,87,538/- (आठ करोड़ इकहत्तर लाख सतासी हजार पांच सौ अड़तीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-33

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,33,78,220/- (दस करोड़ तैंतीस लाख अठहत्तर हजार दो सौ बीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2012

श्री शांती कुमारजी धारीवाल प्रभारी मंत्री।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री श्री शांती कुमार धारीवाल प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

विधेयक पर विचार

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे तो अनुमति होगी। (व्यवधान) जो बिजनस हाउस में चल रहा है, कृपा करके उसी पर बोलें।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 व 3 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

(15.00 बजे)

खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2012 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहें, इसी पर?

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का मौका दो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

माननीय सदस्य, जो बिजनस चल रहा है, उसी पर बोलना है, हो।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): बिलकुल, उसी पर बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2012 पारित किया गया।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2012

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सदस्य इस पर? (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): हां।

श्री उपाध्यक्ष: इस पर, इस पर कहां?

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): बोलेंगे। (व्यवधान) हां, इसी पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, विधेयक के बारे में चल रही है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): हां, इसी के ऊपर बोल रहे हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सबसे गम्भीर मुद्दा इस बात का है ...(व्यवधान) इसी पर बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी पर बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को फसल का मुआवजा देने वाली नहीं ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरा राजस्थान आपकी ओर देख रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

एक माननीय सदस्य: अपनी सीट से बोलो, अपनी सीट से।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सरकार सदन से भागना चाहती है। (व्यवधान) पाले और शीतलहर से पीड़ित राज्य के किसानों को ...(व्यवधान) मुआवजा देने की घोषणा करे।

एक माननीय सदस्य: हनुमानजी, अपनी सीट से बोलो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और घोषणा पत्र के अनुरूप जब सदन के नेता बाहर गांव-गांव में घूमते हैं और कहते हैं ...(व्यवधान) किसान की सरकार है, आप इस तरह भाग कर चले जाएंगे तो यह सरकार किसान विरोधी सरकार कहलायेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: खण्डशः विचार।

खण्ड-2 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: इस सब्जैक्ट पर, बिजनस पर नहीं बोल रहे?

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): बिजनस पर ही बोल रहे हैं, आप पांच मिनट का टाइम तो दो। आप पांच मिनट का टाइम दो, इसी विषय पर बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2012 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2012 पारित किया गया।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

श्री दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री अमराराम। श्री पेमाराम।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): पेमारामजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इसी पर?

श्री पेमाराम (धोद): हां, इसी पर।

श्री उपाध्यक्ष: इसी पर? अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 पर? (व्यवधान) आपके साथी नहीं बोलने देना चाहते, अपन क्या करें। (व्यवधान)

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री ओम बिरला। श्रीमती अनिता भदेल। श्री राजेन्द्र राठौड़। डा. दिगम्बर सिंह। श्री रोहिताश कुमार।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यह विश्वविद्यालयों का जो कानून लेकर आये हैं, यह लूट का अड्डा लेकर आये हैं। एक तरफ राजस्थान में शेखावाटी के लोग विश्वविद्यालय की मांग करते हैं, उनकी मांग को ठुकराते हैं, किसान मुआवजे की मांग करते हैं उसको ठुकराते हैं। दूसरी तरफ निजी विश्वविद्यालयों का कानून लेकर राजस्थान की जनता की जेब पर डाका डालने का कानून जो बनाना चाहते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। ये लूट के अड्डा बंद किये जाने चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड- 2 से 48 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 2 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड- 2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गईं।

खण्ड-1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: तो कोई नहीं है इसमें बोलने वाला, है?

तत्पश्चात आसन की ओर से, ...(व्यवधान) नहीं, इसी पर, बिजनस पर? (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 पारित किया गया।

गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर, विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर, विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: यह विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव है, माननीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। आप नहीं बोलना चाहें मैं कम्पैल नहीं कर सकता। श्री अमराराम।

श्री पेमाराम (धोद): पहले मुआवजा का तय हो।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पेमाराम। आप बोलना चाहते हैं इसी में? श्री पवन दुग्गलजी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): किसानों को उनकी फसल का मुआवजा दिया जाए। लूट के अड्डे बंद करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, ये जो लूट के अड्डे, जो भ्रष्टाचार के अड्डे यहां पास कर रहे हैं इनको बंद किया जाए और किसानों को, जिनकी फसल बर्बाद हुई है, मुआवजा दिया जाए।

श्री पेमाराम (धोद): बिजली के बिल माफ किये जाएं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल। श्री राजेन्द्र राठौड़। डा. दिगम्बर सिंह। श्री रोहिताश कुमार।

प्रश्न यह है कि गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2 से 48 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाएं?

जो पक्ष में हो हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री उपाध्यक्ष: आवाज धीमी कैसे है?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गईं।

खण्ड-1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि गीतांजली विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012 पारित किया गया।

श्री दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री पवन दुग्गल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): किसान की फसल के मुआवजे की घोषणा की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला, श्री अमराराम, श्री पेमाराम, श्रीमती अनिता भदेल, श्री राजेन्द्र राठौड़, डा. दिगम्बर सिंह, श्री रोहिताश कुमार।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय की दुकान बंद करके पहले किसान की चिन्ता की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): राजस्थान की जनता तमाशा देख रही है। उपाध्यक्ष महोदय, महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय को बंद करके पहले किसान की चिन्ता की जाए। ये जो लूट के अड्डे पास कर रहे हैं, छह करोड़ जनता राजस्थान की तमाशा देख रही है राजस्थान की विधान सभा का। अतः किसान के ऊपर पहले चर्चा की जाए, बाद में ये जो लूट के अड्डे हैं, इनको पास करवाया जाए। हम तो फिर भी नहीं करेंगे, यह तो जो है हां पक्ष वाले ही नहीं कर रहे हैं।

खण्डशः विचार

खण्ड- 2 से 48 – कोई संशोधन नहीं

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2 – कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गयीं।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि - कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

(श्री उपाध्यक्ष)

डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, 2012 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 पारित किया गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

आप सुन लीजिए, कृपा करके सुन लीजिए, फिर नहीं सुनोगे आप। मैं बोलूं, माननीय राजेन्द्र जी, मैं बोलूं? मैं बोल रहा हूं।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 2012 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.13 बजे 26 मार्च, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

एमडी ग्राम जिला राजसमन्द में संचालित पशु चिकित्सालय में रिक्त पद

96. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमंद) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला राजसमंद के एमडी ग्राम में पशु चिकित्सालय कब से प्रारम्भ हुआ और इसमें किस-किस संवर्ग के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद कितने समय से रिक्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में विगत 15 वर्षों से पशु चिकित्सक की नियमित नियुक्ति नहीं की गई? यदि हां, तो सरकार कब तक इस चिकित्सालय में रिक्त सभी पदों पर नियमित नियुक्ति करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजसमंद जिले के एमडी ग्राम में पशु चिकित्सालय वर्ष 1977 से प्रारम्भ हुआ है। इसमें स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः-

पद	स्वीकृत	रिक्त	कब से रिक्त हैं
पशु चिकित्सा अधिकारी	1	1	वर्ष 2003 से
पशु चिकित्सा सहायक	1	-	-
पशुधन परिचर	2	1	वर्ष 2004 से
सफाईकर्ता	1	-	-

(2) पशु चिकित्सक का पद 9 वर्ष से रिक्त है। रिक्त पदों को उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

चौमूं क्षेत्र के वीर हनुमान मन्दिर हेतु सड़क निर्माण

97. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील चौमूं में वीर हनुमानजी का मन्दिर

(श्री भगवान सहाय सैनी)

पहाड़ी पर स्थित है, जो सामोद वाले बालाजी के नाम से जाना जाता है? यदि हां, तो पहाड़ी पर जाने का रास्ता क्या है?

(2) क्या सरकार उक्त स्थान तक जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त सड़क की लम्बाई क्या होगी तथा इस पर अनुमानित खर्चा कितना आएगा?

(4) नांगल भरड़ा से पहाड़ी होते हुए मन्दिर तक यह रास्ता किस-किस राजस्व ग्राम सीमा से गुजरेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मन्दिर की तलहटी तक डामर सड़क है तथा पहाड़ी पर जाने हेतु सीढियों का रास्ता है।

(2) जी हां। पहाड़ी स्थित मन्दिर तक सड़क का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(3) उक्त सड़क की लम्बाई 2 कि.मी. एवं लागत 6.85 करोड़ रुपये आयेगी।

(4) नांगल भरड़ा से पहाड़ी की तलहटी तक 3 कि.मी. डामर सड़क रास्ते में से 2.50 कि.मी. भाग नांगल भरड़ा राजस्व ग्राम में तथा शेष 0.500 कि.मी. डामर सड़क एवं पहाड़ी तक पूर्ण भाग राजस्व ग्राम सामोद में आता है।

बीसलपुर बांध से जिला टोंक के ग्रामों हेतु पेयजल आपूर्ति

98. **श्री प्रभुलाल सैनी** (हिण्डौली) : जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर बांध से टोंक, देवली, उनियारा के 436 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना की शीघ्र स्वीकृति जारी करने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विधान सभा बजट सत्र 2009 में घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना पर कार्य करवाये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये की लागत के टेन्डर भी जारी किये गये थे? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना को एन.यू.टी. बेस पर करवाने का सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो अब तक की गई प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त योजना को शीघ्र क्रियान्वित कर टोंक जिले के तहसील देवली, टोंक, उनियारा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । टोंक जिले के 436 गांवों (तहसील टोंक के 106 गांव, तहसील उनियारा के 196 गांव एवं तहसील देवली के 134 गांव) एवं दो कस्बों क्रमश: टोंक एवं उनियारा की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु बीसलपुर बांध से बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 17 सितम्बर, 2005 को राशि रुपये 85.00 करोड़ तथा संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 1 फरवरी, 2007 को राशि रुपये 247.00 करोड़ की जारी की गई थी । योजना की उक्त स्वीकृतियों की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां । दिनांक 8 जुलाई, 2009 के बजट भाषण में उक्त परियोजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रारम्भ करना प्रस्तावित किया गया था । उक्त घोषणा उपरान्त वर्णित योजना के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है ।

(3) जी हां । उक्त परियोजना की मुख्य ट्रांसमिशन लाइन के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 06.12.2007 एवं दिनांक 02.05.2008 द्वारा आमंत्रित की गई निविदाएं वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण नत्थीबद्ध कर दी गई थीं ।

(4) जी नहीं । उक्त परियोजना का क्रियान्वयन राज्य आयोजना मद के तहत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के द्वारा करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य आयोजना मद के अन्तर्गत 'नाबार्ड' से वित्तीय ऋण लेने की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है। उक्त परियोजना के संबंध में अब तक की प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'स' में निहित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(5) जी हां । वित्तीय संसाधनों एवं बीसलपुर बांध में उक्त परियोजना हेतु पानी की पर्याप्त उपलब्धता के अनुसार परियोजना की क्रियान्विति पर विचार किया जावेगा ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झाडोल विधान सभा क्षेत्र में संचालित योजनाओं पर व्यय राशि

99. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडोल) : जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्र विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र झाडोल में संचालित किन-किन योजनाओं में विगत तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र झाडोल में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा ब्लास्टिंग द्वारा कुए गहरे कराना, पशु नस्ल सुधार, उद्यान विकास, आश्रम छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय संचालन, मां बाड़ी केन्द्रों का संचालन, क्षय रोग नियंत्रण, हैंडपम्प स्थापना आदि योजनाऐं संचालित की जा रही हैं। विगत तीन वर्षों में की गई व्यय राशि का विवरण का परिशिष्ट-अ(I) (II)(III) संलग्न है।

परिशिष्ट–अ (I)

विशेष केन्द्रीय सहायता वर्ष 2008-09

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	योजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र झाडोल
1	2	3
1	उद्यान एवं बंजर भूमि विकास	9.97
2	पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम	3.95
3	सामुदायिक डीजल/व्यक्तिगत पम्पसेट वितरण	10.32
4	वाटरशेड डवलपमेंट	18.00
5	एनिकट/चेकडेम योजना	20.00
6	ब्लास्टिंग द्वारा कुएं गहरे कराना	2.53
7	वाटरशेड डवलपमेंट	9.00
	योग	**73.77**

विशेष केन्द्रीय सहायता वर्ष 2009-10

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	योजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र झाडोल
1	2	3
1	पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम	4.35
2	वाटरशेड डवलपमेंट	9.00
3	सामुदायिक डीजल/व्यक्तिगत पम्पसेट वितरण	16.22
4	ब्लास्टिंग द्वारा कुएं गहरे कराना	2.84
5	उद्यान की विकास योजना	11.36
6	बंजर भूमि विकास	11.68
	योग	**55.68**

विशेष केन्द्रीय सहायता वर्ष 2010-11

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	योजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र झाडोल
1	2	3
1	पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम	4.78
2	ब्लास्टिंग द्वारा कुएं गहरे कराना	2.80
3	उद्यान की विकास योजना	4.00
4	बंजर भूमि विकास	3.38
	योग	**14.96**

परिशिष्ट-अ (II)

महाराष्ट्र प्रणाली वर्ष 2008-09

(राशि लाख रु. में.)

क्र.सं.	योजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र झाडोल
1	जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरण	0.44
2	आश्रम छात्रावास भवन निर्माण	100.00
3	आश्रम छात्रावास संचालन	80.83
4	क्षय रोग नियंत्रण एवं स्वास्थ्यकर्मी योजना	10.72
5	टीआरआई के माध्यम से योजनाओं का संचालन	0.21
6	टीआरआई के माध्यम से योजनाओं का संचालन	0.15
7	मां बाडी केन्द्रों का संचालन	21.16
8	नवीन सड़क निर्माण	6.50
9	आश्रम छात्रावासों में बाउण्ड्री वाल निर्माण	24.54
10	हैण्डपम्प स्थापना	12.50
11	बस्ती विद्युतीकरण	9.44
12	कृषि कूप उर्जीकरण	11.59
13	पम्प एण्ड टेंक निर्माण	19.75
14	गैर कृषि गतिविधियों एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण	0.07
	योग	**297.89**

महाराष्ट्र प्रणाली वर्ष 2009-10

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	योजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र झाडोल
1	आश्रम छात्रावास संचालन	83.80
2	आश्रम छात्रावास में कक्षा आठवीं के छात्रों को विशेष कोचिंग	0.51
3	कुओं का विद्युतिकरण	7.91
4	क्षय रोग नियंत्रण	8.62
5	मां बाड़ी योजना	18.23
	योग	**119.07**

महाराष्ट्र प्रणाली वर्ष 2010-11

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	योजना का नाम	विद्यान सभा क्षेत्र झाडोल
1	आश्रम छात्रावास संचालन	87.23
2	क्षय रोग नियंत्रण	9.50
3	मां बाडी योजना	27.69
4	योग	124.42

परिशिष्ट-अ (III)

वर्ष 2008-09 धारा 275 (1)

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	स्वी. संख्या	योजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र झाडोल
1	2	3	4
1	98	आ. छा. मरम्मत एवं अन्य सुविधा	20.00
		आवासीय विद्यालय संचालन	19.63
		योग	**39.63**
वर्ष 2009-10 धारा 275 (1)			
आवासीय विद्यालय संचालन			22.25
वर्ष 2010-11 धारा 275 (1)			
आवासीय विद्यालय संचालन			29.00

राज्य के मदरसों में कार्यरत शिक्षकों को वेतन एवं अन्य सुविधाएं

100. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने मदरसे हैं और इनमें से कितने पंजीकृत है? मदरसों में कार्यरत अध्यापकों के नाम की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मदरसों में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं तथा राज्य सरकार

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

द्वारा इनमें कार्यरत कार्मिकों को कितना-कितना वेतन/मानदेय दिये जाने का प्रावधान है?

(3) क्या यह सही है कि इन मदरसों पर गणतन्त्र दिवस एवं स्वतन्त्रता दिवस पर ध्वजा रोहण कार्यक्रम आयोजित नहीं करवाया जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या ध्वजारोहण नहीं करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) मदरसों में नियुक्त कार्मिकों को वेतन एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के क्या मानदण्ड हैं?

उत्तर

(1) राज्य में लगभग 5000 मदरसे हैं। इनमें से राजस्थान मदरसा बोर्ड से 3092 मदरसे पंजीकृत हैं। पंजीकृत मदरसों में कार्यरत मदरसा शिक्षा सहयोगी एवं कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों को मांग एवं आवश्यकता अनुरूप निम्न सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं:-

1. मदरसा शिक्षा सहयोगी
2. कम्प्यूटर सुविधा
3. कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी
4. एक कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए 1 लाख रुपये का अनुदान
5. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए SPQEM (स्कीम फोर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एज्यूकेशन इन मदरसा) योजना अन्तर्गत भारत सरकार के निम्न निर्धारित मानदण्डानुसार अनुदान दिया जाता है।

- विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कम्प्यूटर अनुप्रयोग विषयों के शिक्षण हेतु 12 माह हेतु शिक्षक उपलब्ध कराने।
- पुस्तकालयों/पुस्तक बैंकों के सुद्रढ़ीकरण हेतु अध्ययन एवं अध्यापन सामग्री उपलब्ध कराना।
- आधुनिक विषय के शिक्षण हेतु विज्ञान किट, गणित किट एवं अन्य आवश्यक शैक्षिक उपकरण उपलब्ध कराना।
- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के मदरसों में विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशाला एवं अन्य कार्यशालाएं आयोजित कराना।
- मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षणिक कौशल अभिवृद्धि हेतु सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

(अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री)

- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के स्तर अनुसार प्रत्येक छात्र के नामांकन, परीक्षा शुल्क एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा निर्धारित मानदण्ड एवं मानक पुरा करने वाले मदरसों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था।
- SPQEM योजना के मानिटरिंग हेतु मदरसा बोर्ड का सुदृढ़ीकरण।

6. दरियां/फर्श एवं फर्नीचर आदि।

राज्य में पंजीकृत मदरसों में कार्यरत मदरसा शिक्षा सहयोगी एवं कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों को प्रतिमाह रु. 3500/- से 6700/- का मानदेय देने का प्रावधान है।

(3) जी नहीं। राज्य के पंजीकृत मदरसों में गणतन्त्र दिवस एवं स्वतन्त्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया जाता है।

(4) मदरसों में कार्यरत मदरसा शिक्षा सहयोगियों को निम्न सुविधायें दी जाती हैं:-

1. प्रतिमाह 3500/- से 6700/- मानदेय।
2. एक वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात् प्रतिवर्ष 400 रुपये की मानदेय अभिवृद्धि।
3. महिला शिक्षा सहयोगी को वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1 (जी) एफडी (नियम)/2007/19.06.2009 के आदेशानुसार 180 दिन प्रसूति अवकाश अवधि का मानदेय भुगतान।
4. शिक्षा सहयोगियों को कलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का विशेष अवकाश।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद हेतु खोले गये केन्द्र

101. श्री पेमाराम (धोद) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2011 में सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब तथा प्रदेश में

(श्री पेमाराम)

कहां-कहां खरीद केन्द्र खोले गये तथा खरीद की एजेन्सी कौन थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेशों के बाद प्रदेश में किस-किस खरीद केन्द्र पर कितना-कितना बाजरा खरीदा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) खरीद के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश में बाजरा मानदण्डों के अनुसार सही नहीं था? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद करने हेतु राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ लि., जयपुर को खरीद एजेन्सी नियुक्ति के आदेश दिनांक 25.10.2011 को जारी किए गए एवं राज्य में बाजरा खरीद केन्द्रों के आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-1(अ), 1(ब) पर संलग्न है।

(2) राज्य में समर्थन मूल्य पर बाजरे का खरीद केन्द्र एवं बाजरा खरीद की सूचना की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद करने हेतु निर्धारित गुणवत्ता मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी हां। राजफैड द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा लाए गए बाजरे के काफी सैम्पल्स भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाए गए।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अजमेर शहर में विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु दी जाने वाली सहायता

102. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु कोई सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो क्या व कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधवाओं द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन

(श्रीमती अनिता भदेल)

करने व आवेदन स्वीकृत होने के उपरान्त भी उन्हें बजट के अभाव में सहायता राशि का भुगतान औसत आठ या नौ माह पश्चात किया जाता है? क्या सरकार विधवाओं को उक्त सहायता राशि का तुरन्त भुगतान किये जाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि अजमेर शहर में कई विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु सहायता राशि स्वीकृत हुई लेकिन भुगतान विलम्ब से हुआ? गत दो वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधवा महिला जिसके परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का सदस्य न हो, महिला द्वारा पुनर्विवाह नहीं किया गया हो तथा विधवा के परिवार की वार्षिक आय 50000/- रुपये से अधिक न हो ऐसी महिला की दो वयस्क पुत्रियों तक के विवाह पर प्रति कन्या राशि 10000/- रुपये विभाग द्वारा सहायता दी जाती है।

(2) जी नहीं। जिला कार्यालय द्वारा विधवा पुत्री विवाह योजना अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के तुरन्त पश्चात् उस आवेदिका के आवेदन पत्रों की जांच छात्रावास अधीक्षकों से करवाई जाकर उपलब्ध बजट के अनुसार स्वीकृति जारी कर राशि आहरण उपरान्त संबंधित आवेदिका को जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से भुगतान किया जाता है। जिले में विधवा पुत्री विवाह योजना में पिछले दो वर्षों में बजट का अभाव नहीं रहा। अतः बजट अभाव में कोई आवेदन पत्र विधवा की पुत्री विवाह योजनान्तर्गत लम्बित नहीं है।

(3) जी नहीं। जिला कार्यालय द्वारा अजमेर शहर में निवासरत विधवाओं के निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच छात्रावास अधीक्षकों से करवाई जाकर तुरन्त भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही उपलब्ध बजट के अनुसार की जाकर नियमानुसार राशि आहरण कर सम्बन्धित आवेदिकाओं को जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक से यथाशीघ्र भुगतान किया जाता है।

वर्ष 2009-10 से 2011-12 (माह फरवरी तक) में स्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की प्राप्ति दिनांक, स्वीकृति दिनांक, भुगतान राशि, मय आहरण दिनांक की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

अजमेर शहर में निवासरत विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर दी गयी सहायता राशि का विवरण वर्ष 2009-10 से 2010-11 तक

क्र. सं.	आवेदिका का नाम मय पता	आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक	आवेदन पत्र स्वीकृति दिनांक	आहरण दिनांक	भुगतान राशि
1	श्रीमती लता देवी/गोरधन बाबूगढ़, अजमेर	11.05.2009	22.06.2009	13.08.2009	10000
2	श्रीमती शकुन्तला देवी/देबीशंकर पाल बीचला, अजमेर	27.04.2009	22.06.2009	13.08.2009	10000
3	श्रीमती विमला देवी/हरिराम कोली सतगुरू कालोनी अजयनगर, अजमेर	16.06.2009	01.10.2009	07.10.2009	10000
4	श्रीमती शान्ति देवी/पूरणसिंह नोनकरण का आहटा नगरा, अजमेर	24.09.2009	01.10.2009	07.10.2009	20000
5	श्रीमती राधारानी/शिवचरण गर्ग मेहन्दीपुर बालाजी का चौक कोटडा, अजमेर	01.12.2009	09.02.2010	30.03.2010	10000
6	श्रीमती लक्ष्मी देवी/विरेन्द्र कुमार महावीर मौहल्ला केसरगंज, अजमेर	20.10.2009	09.12.2009	30.03.2010	20000
7	श्रीमती राजो देवी/विमल कुमार कोली गौतमनगर, अजमेर	13.10.2009	22.03.2010	16.04.2010	10000

क्र. सं.	आवेदिका का नाम मय पता	आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक	आवेदन पत्र स्वीकृति दिनांक	आहरण दिनांक	भुगतान राशि
8	श्रीमती रईसा बानो/महबूब खान संजयनगर, खानपुर रोड, अजमेर	22.12.2009	09.02.2010	30.03.2010	20000
9	श्रीमती सुशीला देवी/सुरेन्द्र कुमार फाईसागर रोड, अजमेर	01.10.2009	22.03.2010	16.04.2010	20000
10	श्रीमती ईश्वरी देवी/चन्दीराम प्रसन्द नगर, कोटड़ा, अजमेर	13.01.2010	22.03.2010	16.04.2010	10000
11	श्रीमती पार्वती देवी/मोती राम मेहरा धोलाभाटा, अजमेर	25.02.2010	22.03.2010	16.04.2010	10000
12	श्रीमती शान्ता देवी/मुरलीधर देहलीगेट, अजमेर	16.1.2010	22.03.2010	16.04.2010	10000
13	श्रीमती कमलेश/सुधीर कुमार केसरगंज, अजमेर	22.01.2010	22.03.2010	16.04.2010	10000
वित्तीय वर्ष 2010-11					
1	श्रीमती संतोष/दिनेश शर्मा पुलिस लाइन, अजमेर	19.02.2010	22.03.2010	30.03.2010	10000
2	श्रीमती सुनिता देवी/विजयप्रकाश नई बस्ती रामगंज, अजमेर	07.05.2010	03.08.2010	20.09.2010	10000
3	श्रीमती संजना देवी/चेतन कुमार डिग्गी बाजार, अजमेर	07.05.2010	03.08.2010	20.09.2010	10000
4	श्रीमती सुशीला देवी/भयन भाण्डे अम्बेडकर नगर पहाडगंज, अजमेर	09.06.2010	03.08.2010	20.09.2010	10000

क्र. सं.	आवेदिका का नाम मय पता	आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक	आवेदन पत्र स्वीकृति दिनांक	आहरण दिनांक	भुगतान राशि
5	श्रीमती कमला देवी/ लालचन्द मूलचन्दानी गांधीगृह झूलेलाल मन्दिर के पास वैशालीनगर, अजमेर	09.09.2010	23.02.2011	30.03.2011	10000
6	श्रीमती हेमलता देवी/प्रेमचन्द कमला बावडी बाबूगढ़गंज, अजमेर	28.10.2011	10.03.2011	30.03.2011	10000
7	श्रीमती मैना देवी/मगनाराम रेगर बालूपुरा रोड, अजमेर	16.11.2010	13.01.2011	10.02.2011	10000
8	कु. रजनी/शिवलाल कोली 909/35, गुजरटीला नगरा, अजमेर	18.11.2010	13.01.2011	10.02.2011	10000
9	श्रीमती लीलावती/मानसिंह कोली गोतमनगर भगवानगंज अजमेर	18.11.2010	10.03.2011	30.03.2011	20000
10	श्रीमती माया देवी/शंकरलाल भरोसा गली पाल बिचला, अजमेर	06.12.2010	13.01.2011	10.02.2011	10000
11	श्रीमती गुरमीत कोर/सोहनसिंह केसरगंज, अजमेर	28.12.2010	10.03.2011	30.03.2011	10000
12	श्रीमती नारायणी देवी/नानगसिंह 1215/30, गुजरधरतीनगरा, अजमेर	28.02.2010	20.07.2011	30.08.2011	10000
13	श्रीमती भंवरी देवी/सत्यनारायण गणेशगढ़ रोड कच्ची बस्ती, अजमेर	16.03.2011	27.04.2011	26.05.2011	10000
14	श्रीमती केकई/अशोक सिंधी डिग्गी बाजार, अजमेर	08.03.2011	27.04.2011	26.05.2011	10000

नागौर जिले में प्याज भण्डारण संरचना के तहत लाभान्वित कृषक

103. **श्री महेन्द्र चौधरी** (नावां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत फसलोत्तर प्रबंध कार्यक्रम के अन्तर्गत प्याज भण्डारण संरचना का लाभ दिए जाने हेतु सरकार द्वारा मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं? निर्धारित मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में जिला नागौर में विधान सभा क्षेत्रवार कितने कृषकों ने प्याज भण्डारण संरचना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन किया तथा उनमें से कितने कृषकों को स्वीकृतियां जारी की गई एवं किन-किन को कितना-कितना अनुदान मिला? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना अन्तर्गत उक्त जिले के कौन-कौन से विधान सभा क्षेत्र में कितने-कितने कृषकों द्वारा प्याज भंडारण संरचना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रखा है? क्या सरकार उक्त शेष रहे कृषकों को इस योजना का लाभ दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत फसलोत्तर प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्याज भण्डारण संरचना का लाभ दिये जाने हेतु सरकार द्वारा मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। निर्धारित मानदण्डों की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में जिला नागौर में विधान सभा क्षेत्रवार प्याज भण्डारण संरचना के लाभार्थी कृषकों की सूचना इस प्रकार है:-

(कृषि मंत्री)

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कृषकों के प्राप्त आवेदन (संख्या)		प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी		वित्तीय स्वीकृतियां जारी		किन-किन को कितना अनुदान मिला
		2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	
1	लाडनूं	232	12	131	113	-	73	दिनांक 23.02.2012 तक जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों में प्रत्येक कृषक को रुपये 50000/- का अनुदान जारी किया गया है। विधानसभावार क्षेत्रवार कृषकों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।
2	डीडवाना	59	-	7	52	-	3	
3	नावां	673	1	33	641	-	28	
4	डेगाना	-	-	-	-	-	-	
5	मकराना	3	-	-	3	-	-	
6	परबतसर	-	-	-	-	-	-	
7	जायल	-	-	-	-	-	-	
8	मुण्डवा	-	-	-		-	-	
9	नागौर	-	-	-	-	-	-	
10	मेड़ता	-	-	-	-	-	-	
	योग	**967**	**13**	**171**	**809**	-	**104**	

(कृषि मंत्री)

(3) उक्त योजना अन्तर्गत नागौर जिले में डीडवाना विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2010-11 में 59, लाडनूं विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2010-11 में 232 एवं वर्ष 2011-12 में 12, नावां विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2010-11 में 673 एवं वर्ष 2011-12 में 1 तथा मकराना विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2010-11 में 3 कृषकों ने प्याज भण्डारण संरचना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रखा है।

नागौर जिले में उक्तानुसार विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक रूप से कृषकों के आवेदन वर्षवार प्राप्त हुये हैं। जिनका पंजीयन वरीयता से 'पहले आओ-पहले पाओ' आधार पर किया गया है। जिले को वित्तीय वर्ष 2010-11 में 171 के लक्ष्य प्राप्त हुये थे तथा 171 की प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की गयी थीं तथा वर्ष 2011-12 में 809 आवेदनों की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। इस प्रकार नागौर जिले में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में प्राप्त कुल आवेदन पत्र संख्या 980 के विरुद्ध समस्त आवेदन पत्रों की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। कुल जारी प्रशासनिक स्वीकृतियां (980) में से 104 कृषकों द्वारा भण्डारण संरचना बनायी जा चुकी है तथा उनका भुगतान वित्तीय वर्ष 2011-12 में किया गया है। शेष कृषकों द्वारा कार्य पूर्ण कर पत्रावलियां प्रस्तुत किये जाने पर कमेटी द्वारा सत्यापन किये जाने पर भुगतान किया जा सकेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

डेगाना उप खण्ड मुख्यालय में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन केन्द्र की स्थापना

104. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उप खण्ड मुख्यालय डेगाना में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक उप खण्ड मुख्यालय डेगाना में उक्त ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित कर दिया जावेगा?

उत्तर

जी हां। उप खण्ड मुख्यालय डेगाना में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित नहीं है।

उप खण्ड डेगाना में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनाने हेतु प्रस्ताव अजमेर विद्युत वितरण निगम से दिनांक 27.02.2012 को प्राप्त हुआ है।

(ऊर्जा मंत्री)

प्रस्ताव का तकनीकी व आर्थिक परीक्षण किया जा रहा है। प्रस्ताव के जांच में साध्य पाये जाने पर तथा संसाधनों की उपलब्धतानुसार इस पर आगे की कार्यवाही की जायेगी।

मनरेगा संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण हेतु कार्य योजना

105. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित संविदा कर्मियों का भविष्य क्या है? क्या सरकार उक्त कार्मिकों के नियमितीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि महात्मा गांधी नरेगा में संविदा कर्मियों को कुशल कारीगर से भी कम मानदेय दिया जा रहा है? जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छठे वेतनमान के अनुरूप पारिश्रमिक दिया जा रहा है? क्या सरकार उक्त कार्मिकों को छठे वेतनमान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में नियोजित संविदा कार्मिक लगातार चार-पांच वर्षो से अपनी सेवायें देने के कारण वे अन्य भर्तियों हेतु निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महानरेगा संविदाकर्मियों के भविष्य को लेकर कोई ठोस नियमितिकरण की योजना बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत पदों पर नियोजित संविदाकर्मी अनुबन्ध की शर्तों एवं प्रावधानों के अध्याधीन कार्यरत रहेंगे।

जी नहीं। उक्त कार्मिकों को नियमित किये जाने का कोई विचार वर्तमान में नही है, क्योंकि योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं प्रबन्धन व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप योजनान्तर्गत स्थायी एवं नियमित प्रकृति के पदों का सृजन नहीं किया जा सकता है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

तहत अधिसूचित कुशल कारीगरों की मजदूरी दर रु. 4030/- प्रतिमाह है एवं राज्य सरकार द्वारा किसी भी संविदा कार्मिक को देय मानदेय 4030/- से कम नहीं है।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 01.04.2011 से संविदा पदस्थ अमले को छठवां वेतनमान के समकक्ष संविदा पारिश्रमिक दिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं परन्तु मध्य पदेश सरकार द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों को 3200/- रुपये (फिक्स) प्रदान किया जा रहा है। राज्य में संविदा कार्मिकों को इस तरह का लाभ देने का कोई विचार नहीं है क्योंकि योजनान्तर्गत अनुबन्धित कार्मिकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किया जा रहा है।

(3) नरेगा योजनान्तर्गत संविदा कार्मिकों को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर रखा जाता है। अन्य भर्तियों हेतु निर्धारित आयु सीमा पार किये जाने का प्रश्न प्रासंगिक नहीं है।

वर्तमान में नरेगा योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप स्थायी एवं नियमित पदों का सृजन नही होने से महानरेगा संविदाकर्मियों का नियमन किया जाना सम्भव नही है।

पाली की गृह निर्माण सहकारी समिति के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

106. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली शहर की महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति का पंजीयन कब किया गया एवं पंजीयन के समय समिति के पदाधिकारी कौन-कौन थे और समिति के उद्देश्य क्या-क्या थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समिति द्वारा किस वर्ष से भूखण्ड आबंटन शुरू किया गया था व समिति के पास कुल कितने स्वीकृत भूखण्ड किस-किस माप के थे तथा भूखण्ड किस-किस व्यक्ति को किस-किस समय आबंटित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) समिति के पंजीयन के बाद इसके लेखों की आडिट सरकार द्वारा कब-कब करवाई गई एवं इनमें क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई तथा सरकार द्वारा समिति को क्या-क्या निर्देश दिये गये व समिति ने कौन-कौन से निर्देशों की कब-कब पालना की एवं सरकार द्वारा समिति के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

की गयी? आडिट रिपोर्ट के सारांश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त समिति ने सार्वजनिक उपयोगार्थ छोड़ी गयी भूमि के भी आबंटन पत्र जारी कर दिये गये? यदि हां, तो क्या समिति द्वारा इसकी जानकारी सरकार को दी गई? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

(5) क्या यह भी सही है कि समिति द्वारा अनेकों भूखण्डों के दो-दो आबंटन पत्र जारी कर दिये गये? यदि हां, तो सरकार द्वारा समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

(6) क्या सरकार महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति पाली द्वारा की गई अनियमितताओं, फर्जी आबंटन के प्रकरणों की गहन जांच करवाकर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली शहर की महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति का पंजीयन संख्या 1209/टी पर दिनांक 29.07.1981 को किया गया। कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पाली में मूल पंजीयन पत्रावली उपलब्ध नहीं है। आडिट रिपोर्ट वर्ष 1981-82 के अनुसार प्रबन्धकारिणी दिनांक 15.07.1981 की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है और समिति के उपनियम के अनुसार वक्त पंजीयन के उद्देश्य परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) समिति द्वारा वर्ष 1981 से भूखण्ड आबंटन शुरू किया था। समिति के पास 691 भूखण्ड 40×60 फुट माप के तथा 231 भूखण्ड 30×60 फुट माप के इस प्रकार 922 भूखण्ड थे। उनमें 800 सदस्यों को वर्ष 1981 में तथा 122 सदस्यों को 1982 से 1984 तक भूखण्ड आबंटित किये गये जिनकी सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) समिति के पंजीयन के बाद इसके लेखों का आडिट 1981-82, 1982-84 तथा वर्ष 1984-1990 तक किया गया। आडिट में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गई :-

अनावश्यक पोता राशि पर ब्याज 15257.35 रु. कोषाध्यक्ष से वसूल नहीं किये गये। भूखण्ड आबंटन से हानि 10946.50 की वसूली प्रबन्धकारिणी से नहीं की गई।

(सहकारिता मंत्री)

बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया।

सदस्यों से घोषणा पत्र प्राप्त नहीं किये गये।

उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पाली द्वारा अधिनियमान्तर्गत कराई गई जांच में मनमाने तौर से भूखण्ड आबंटन करना, एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों को सदस्य बनाकर भूखण्ड आबंटन करना, कृषि भूमि को रूपान्तरण कराये बिना भूखण्ड आबंटन आदि अनियमिततायें पाई गईं।

समिति द्वारा अनियमिततायें करने के कारण समिति में प्रशासक दिनांक 28.07.1992 से तारीख प्रशासक नियुक्त है। प्रशासक द्वारा रिकार्ड प्राप्ति हेतु केस संख्या 333/09 सी.जे.एम. कोर्ट पाली में विचाराधीन है। ऑडिट रिकार्ड सारांश की प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) समिति द्वारा सार्वजनिक उपयोगार्थ छोड़ी गई जमीन, पार्क इत्यादि संबंधित स्थानीय निकाय नगर परिषद के अधीन है। समिति द्वारा विभाग को अन्य कोई जानकारी नहीं दी गई है। पूर्व पदाधिकारियों द्वारा रिकार्ड प्रशासक को नहीं दिया गया है।

(5) भू-खण्ड समिति द्वारा आबंटित किये गये हैं। दोहरे आबंटन की जानकारी समिति का रिकार्ड प्रशासक को प्राप्त नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। प्रशासक द्वारा दिनांक 5.10.2009 को रिकार्ड प्राप्ति हेतु सी.जे.एम. पाली में केस संख्या 333/09 दायर किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

(6) समिति द्वारा अनियमिततायें किये जाने के कारण उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, पाली ने दिनांक 27/28.07.1992 को समिति का संचालन भंग कर प्रशासक नियुक्त किया गया तथा प्रशासक द्वारा समिति के विरुद्व सी.जे.एम. कोर्ट पाली में केस सं. 333/09 विचाराधीन है। समिति का रिकार्ड उपलब्ध होने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर जिले के छात्रावासों में रिक्त पद

107. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में वर्तमान में कितने छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं? उक्त छात्रावासों में कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं? छात्रावास सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामहेत सिंह)

(2) विगत तीन वर्षों में उक्त छात्रावासों के लिए क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया? इसके लिये कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में उपलब्ध करवाई गई तथा किस-किस मद में व्यय की गई? छात्रावासवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावासों में लम्बे समय से छात्रावास अधीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में विभाग द्वारा वर्तमान में 29 राजकीय छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं जिनमें वर्तमान में 1093 बच्चे लाभान्वित किये जा रहे हैं। छात्रावासवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त छात्रावासों में राज्य सरकार द्वारा छात्र-छात्राओं की सुविधाओं हेतु वर्ष 2008-09 में 725 रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से कुल 9½ माह के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान था जिसमें से 535 रुपये प्रति आवासी प्रतिमाह भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन के लिए स्वीकृत किया जाता था तथा शेष 190 रुपये की राशि प्रतिमाह प्रति आवासी पोशाक, साबुन, वस्त्र धुलाई, बिजली-पानी, पत्र-पत्रिकाओं व अन्य सुविधाओं के लिए दिये जाने का प्रावधान था। इसी प्रकार वर्ष 2009-10 व 2010-11 में 1000 रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से कुल 9½ माह के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान था जिसमें से 750 रुपये प्रति आवासी प्रतिमाह भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन के लिए स्वीकृत किया जाता था तथा शेष 250 रुपये की राशि प्रतिमाह प्रति आवासी पोशाक, साबुन, वस्त्र धुलाई, बिजली-पानी, पत्र-पत्रिकाओं व अन्य सुविधाओं के लिए दिये जाने का प्रावधान था। विगत तीन वर्षों का छात्रावासवार व्यय विवरण परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(3) हां। यह सही है कि विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। उक्त पदों के रिक्त होने के कारण अपने पद से त्याग पत्र देना, सेवानिवृत्त होना तथा नवीन भर्ती

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

नहीं होना है। अलवर जिले के छात्रावासों के रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-'स' पर उपलब्ध है।

(4) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डीडवाना तहसील के किसानों को मुआवजा

108. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील डीडवाना में खरीफ 2009 की फसल बीमा का मुआवजा किसानों को नहीं देने के क्या कारण रहे?

(2) क्या यह सही है कि क्रोप कटिंग जांच में अनियमितता मिली है? क्या उक्त कारण मुआवजा नहीं मिला है? यदि हां तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

(3) क्या सरकार डीडवाना के किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2009 में जिला नागौर की डीडवाना तहसील में क्रमशः बाजरा, ग्वार, मोठ, चौला एवं मूंग फसलें संसूचित की गई थीं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार डीडवाना तहसील में बाजरा, ग्वार एवं मोठ फसल की वास्तविक उपज गारण्टी उपज से अधिक होने के कारण मुआवजा देय नहीं था।

(2) वर्ष 2009 में आयोजित फसल कटाई प्रयोग के संबंध में जिला कलक्टर, नागौर द्वारा जांच समिति गठित कर जांच कराई गई। जिला कलक्टर, नागौर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का परीक्षण राजस्व मण्डल अजमेर से भी कराया गया, जिन्होनें भी परीक्षण उपरान्त अपने निष्कर्ष में यह सूचित किया है कि जांच रिपोर्ट से तहसील में विभिन्न संसूचित फसलों की उत्पादकता की सूचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं पाया गया है ।

जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रिकार्डेड त्रुटियों के लिए कृषि विभाग के श्री भंवरलाल बाजीया, सहायक कृषि अधिकारी (तात्कालीन) एवं श्री

(कृषि मंत्री)

मनमोहन शर्मा, कृषि पर्यवेक्षक तथा राजस्व विभाग के श्री श्याम सुन्दर शर्मा, भू-अभिलेख निरीक्षक नूवां तहसील डीडवाना को निलम्बित कर दिया था व इनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की मार्गदर्शिका के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार खरीफ 2009 में नागौर जिले की डीडवाना तहसील के वंचित बीमित कृषकों को योजना के मापदण्डों के अनुसार मुआवजा दिया जाना सम्भव नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर नगरीय क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु निर्मित टंकियों की सफाई व्यवस्था

124. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमंद): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरीय क्षेत्र उदयपुर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिये कितनी टंकियां बनी हुई हैं?

(2) गत तीन वर्षों में उक्त टंकियों की सफाई किन-किन तिथियों में की गई तथा इन टंकियों की सफाई में अधिकतम कितना अन्तराल होना चाहिए?

(3) क्या उक्त टंकियों पर सफाई करवाने की तिथि प्रदर्शित की जा रही है?

(4) उक्त टंकियों की नियमित सफाई विभागीय स्तर पर की जाती है या संविदा पर करवाई जाती है?

उत्तर

(1) उदयपुर शहर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु 32 उच्च जलाशय, 22 स्वच्छ जलाशय एवं 15 भू-तल जलाशय, इस प्रकार कुल 69 जलाशय (टंकियां) वर्तमान में निर्मित हैं ।

(2) विभाग द्वारा पेयजल गुणवत्ता की प्रभावी निगरानी के संबंध में समस्त विभागीय पेयजल योजनाओं से संबंधित जलाशयों की सफाई नियमित रूप से करने के स्पष्ट निर्देश समस्त फील्ड अधिकारियों को जारी किये हुए हैं जिसके अन्तर्गत पेयजल टंकियों की सफाई एक वर्ष में दो बार (6 माह के अंतराल से) करने के निर्देश हैं । वर्णित अवधि में शहरी जल योजना, उदयपुर के अन्तर्गत उक्त निर्मित जलाशयों हेतु विभाग द्वारा कराई गई सफाई कार्य संबंधी वांछित विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है ।

(3) जी हां ।

(4) उदयपुर शहर में उक्त वर्णित जलाशयों की सफाई का कार्य वर्तमान में संविदा पर कराया जा रहा है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत ट्यूबवैल

125. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में गत तीन वर्षों में कितने ट्यूबवैल किस-किस मद से कब-कब बनवाये गये? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने ट्यूबवैल चालू हो गये व कितने चालू होने शेष हैं और शेष ट्यूबवैल कब तक चालू कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में गत तीन वित्तीय वर्षों (2008-09, 2009-10 एवं 2010-11) में विभिन्न मदों में कुल स्वीकृत/निर्मित एवं चालू किये गये तथा शेष रहे नलकूपों के संबंध में वांछित विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है ।

(2) उपरोक्तानुसार उक्त क्षेत्र में चालू किये गये तथा शेष रहे नलकूपों को चालू करने की अवधि संबंधित वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' में निहित है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वर्ष 2011 की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं

126. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सरकार द्वारा वर्ष 2011 में कौन-कौनसी नई पेयजल योजनाएं मंजूर की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पेयजल योजनाओं के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई एवं कब तक इनका कार्य प्रारम्भ कर कितने समय में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2011 में स्वीकृत पेयजल योजनाओं की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है ।

(2) वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य एवं केन्द्र मद से पेयजल हेतु उपलब्ध राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

राज्य मद (ग्रामीण) - रुपये 829.48 करोड़

राज्य मद (शहरी) - रुपये 591.46 करोड़ एवं

केन्द्र मद - रुपये 1747.39 करोड़

वर्ष 2011 में स्वीकृत की गई पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किये जाने वाले शहर/ग्राम/ढाणियों के लिए विभाग द्वारा बनाई गई कार्य योजना के अनुरूप राज्य के विभिन्न जिलों में धरातल पर कार्यवाही की जा रही है तथा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

परिशिष्ट 'अ'

वर्ष 2011 में जिलेवार स्वीकृत की गई पेयजल योजनाओं का विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. करोड़ में)
1	अजमेर	574	69.45
2	भीलवाड़ा	633	84.92
3	नागौर	459	57.13
4	टोंक	134	25.96
5	बीकानेर	357	60.95
6	चूरू	427	429.62
7	श्रीगंगानगर	576	63.46
8	हनुमानगढ़	157	45.21
9	उदयपुर	214	36.74
10	राजसमंद	167	31.91
11	डूंगरपुर	100	14.87
12	चित्तौड़गढ़	313	9.11
13	प्रतापगढ़	146	13.21
14	बांसवाड़ा	190	20.53
15	कोटा	148	154.23
16	झालावाड़	200	73.64
17	बारां	384	21.75
18	बूंदी	84	18.11

क्रम संख्या	जिले का नाम	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. करोड़ में)
19	जोधपुर	1375	643.81
20	जैसलमेर	369	47.76
21	पाली	469	66.46
22	जालोर	277	64.27
23	सिरोही	135	26.84
24	बाड़मेर	817	91.99
25	भरतपुर	608	53.21
26	धौलपुर	57	12.67
27	करौली	1017	27.17
28	सवाईमाधोपुर	171	26.50
29	जयपुर	2802	140.73
30	अलवर	2241	98.24
31	सीकर	1607	86.49
32	झुन्झुनूं	1466	84.13
33	दौसा	1812	50.63

सिरोही जिले में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना

127. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सिरोही के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत फ्लोराइड की मात्रा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वर्तमान में कहां-कहां फ्लोराइड निवारण यंत्र लगे हुए हैं एवं उनमें कितने चालू व कितने खराब हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं । जिला सिरोही के कुल 455 गांवों में से 356 गांवों में उपलब्ध स्थानीय जल स्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अनुरूप है । शेष 99 ग्रामों में उपलब्ध स्थानीय जल स्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा यद्यपि निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है परन्तु 3.0 मिलीग्राम प्रति लीटर तक की सीमा में है। प्रदेश में विशेषकर रेगिस्तानी जिलों में जहां उचित पेयजल गुणवत्ता के जल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा स्थापित रिलेक्स नार्म्स के अन्तर्गत पेयजल में फ्लोराइड की 3.0 मिलीग्राम प्रति लीटर तक की छूट दी गई है । पंचायत समिति क्षेत्रवार फ्लोराइड मात्रा वाले गांवों संबंधी विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है ।

(2) जिला सिरोही में कुल स्थापित 254 डि-फ्लोरिडेशन संयंत्रों में से 230 डि-फ्लोरिडेशन संयंत्र हैण्डपम्पों पर तथा 24 डि-फ्लोरिडेशन संयंत्र भू-तल जलाशयों पर स्थापित हैं । स्थानवार सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक की अवधि में उक्त जिले की तहसील शिवगंज, सिरोही, पिण्डवाड़ा, आबूरोड तथा रेवदर में मरम्मत किये गये डि-फ्लोरिडेशन संयंत्रों संबंधी विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है ।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार । इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा जिले में पेयजल की कमी होने पर आवश्यकतानुसार समय-समय पर योजनाओं का संवर्धन/पुनर्गठन किया जाकर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाई रखी जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु क्षतिग्रस्त पाइप लाइनें

128. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर शहर की सुखाड़िया नगर, पुरानी आबादी व अन्य कच्ची बस्तियों में माह दिसम्बर, 2011 से जनवरी, 2012 तक पेयजल हेतु गंदा पानी आने की लोगों ने शिकायत की है? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति व किस-किस कालोनी में गंदा पानी आया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शिकायत के बाद सरकार ने अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी? उक्त टीम ने कितनी पाइप लाइनें खुदवाई तथा क्या-क्या कमी पाई गई? क्या उक्त कमियों को अब दुरस्त कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शहर की पुरानी आबादी, सुरजीत सिंह कालोनी, प्रेम नगर,

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

सेतिया फार्म ब्लाक एरिया में पाइप लाइन किस वर्ष में डाली गई थी और उक्त पाइप लाइन कहां-कहां से जर्जर हो चुकी है? अब उक्त कालोनियों में पाइप लाइन कब तक बदल दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्रीगंगानगर शहर के सुखाड़िया नगर, पुरानी आबादी एवं कच्ची बस्तियों में वर्णित अवधि में पेयजल वितरण पाइप लाइन में लीकेज होने एवं प्रदूषण की शिकायतों संबंधी वांछित विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है ।

(2) सुखाड़िया नगर में प्रदूषित पानी की आपूर्ति के संबंध में दिनांक 23 जनवरी, 2012 को प्राप्त दो शिकायतों के आधार पर विभाग द्वारा इसी दिनांक को वितरण प्रणाली की गहन जांच कराई जाकर, पाये गये दो लीकेजों को तत्काल बंद किया गया । पेयजल गुणवत्ता की जांच करने के उपरान्त ही उक्त क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की गई । शहर की पुरानी आबादी एवं कच्ची बस्तियों में वर्णित अवधि में प्राप्त लीकेज संबंधी शिकायतों का विभाग द्वारा तत्काल समाधान किया जाकर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है ।

(3) श्रीगंगानगर शहर के वर्णित क्षेत्रों में वर्ष 1991 एवं इससे पूर्व के वर्षों में नगर परिषद द्वारा पेयजल पाइप लाइनें बिछाई गई थीं । शहर की पुरानी एवं जर्जर पाइप लाइनों (कुल स्वीकृत 18020 मीटर) को बदलने हेतु दिनांक 17 जून, 2010 को राशि रुपये 185.09 लाख की जारी स्वीकृति के अन्तर्गत वर्णित क्षेत्रों की कालोनियों में बिछाई गई पाइप लाइन एवं प्रगतिरत कार्यों संबंधी वांछित विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है । प्रगतिरत कार्यों को माह मई, 2012 तक पूर्ण करना लक्षित है ।

परिशिष्ट 'अ'

सुखाड़िया नगर, पुरानी आबादी व अन्य कच्ची बस्तियों में माह दिसम्बर 2011 से जनवरी 2012 तक प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र. सं.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का पता	दिनांक	कैसे प्राप्त हुई
(अ) सुखाड़िया नगर				
1	डा. दर्शन आहूजा	जुबिन हास्पीटल श्रीगंगानगर	22.12.11	दूरभाष पर
2	श्री रमेश नागपाल	1डी/4 सुखाडियानगर	23.01.12	दूरभाष पर
3	श्री रमेश नागपाल	1डी/9 सुखाडियानगर	23.01.12	दूरभाष पर
(ब) पुरानी आबादी				
1	श्री गुरचरण बेदी	वार्ड नं. 10 पुरानी आबादी	03.01.12	दूरभाष पर
2	श्री मनोज गम्भीर पार्षद	हनुमान चौक वार्ड नं. 10	20.01.12	दूरभाष पर
3	श्री अशोक मेठीया पार्षद	वार्ड नं. 13 उतमाराम नाई के मकान के पास लीकेज	01.12.11	दूरभाष पर
4	श्री महावीर नायक पार्षद	वार्ड नं. 05 केदार चौक पर लीकेज पुरानी आबादी	03.12.11	दूरभाष पर
5	श्री रमेश कुमार पार्षद	वार्ड नं. 15 पटवार ट्रेनिंग स्कूल के पास लीकेज	05.12.11	दूरभाष पर
6	श्री प्रेमनायक पार्षद	पुरानी आबादी श्यामनगर बसंत मेडिकल के पास लीकेज	06.12.11	दूरभाष पर
7	श्री विनोद कौशिक पार्षद	भरतनगर पार्क के पास स्कूल के सामने लीकेज	08.12.11	दूरभाष पर
8	श्री मनोज गम्भीर पार्षद	वार्ड नं. 9 लुणा मेडिकल स्टोर के पास लीकेज	30.12.11	दूरभाष पर

क्र. सं.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का पता	दिनांक	कैसे प्राप्त हुई
(स) कच्ची बस्ती				
1	श्री रविनागपाल पार्षद	गंगामाई मंदिर के पास लीकेज	10.12.11	दूरभाष पर
2	श्री केशव स्वामी	तुलसी कालोनी स्वामी क्लीनिक के पास	26.12.11	दूरभाष पर
3	श्री सुरेन्द्र स्वामी	हरदीप सिंह कालोनी गंदे पानी के खाली के पास लीकेज	26.01.12	दूरभाष पर
4	श्री इन्द्रजीत सेठी	भांभू कालोनी गली नं. 3 के पास लीकेज	15.12.11	दूरभाष पर

ह.

अधीक्षण अभियंता

जन स्वा. अभि. विभाग वृत्त श्रीगंगानगर

परिशिष्ट 'ब'

श्रीगंगानगर शहर की पुरानी आबादी, सुरजीतसिंह कालोनी, प्रेमनगर, सेतिया फार्म एवं ब्लाक एरिया क्षेत्र में चिन्हित जर्जर पाईप लाइनें जिनके स्थान पर नई पाइप लाइन डाली जानी है का विवरण

(अ) पुरानी आबादी

क्र. सं.	पाइप लाइन का विवरण	स्वीकृत पाइप लाइन का विवरण (साइज (एमएम में)					कार्य की वर्तमान स्थिति
		90	110	160	200	300	
1	करणपुर रोड पर भाटों के मोहल्ले गली नं. 1 से 3 में शंकरराम से श्यामलाल के घर तक	150	--	--	--	--	पूर्ण
2	भरतनगर गली नं. 1 में कोने से अन्तिम छोर तक	250	--	--	--	--	पूर्ण
3	देवनगर गली नं. 1, 2 व 3 में पाइप लाइन कुई के नीचे एवं नाली के नीचे है	450	--	--	--	--	पूर्ण
4	शक्तिनगर गली नं. 2 में 4'' सीआई पाइप कोने से अन्तिम छोर तक मकानों के नीचे है	--	500	--	--	--	पूर्ण
5	देवनगर गली नं. 1, 2 व 3 में पाइप लाइन कुई के नीचे, नाली के नीचे है।	--	750	--	--	--	पूर्ण
6	मिनी मायापुरी में परनामी इनवेटर से लेकर एसएस सर्विस स्टेशन तक	--	300	--	--	--	पूर्ण
7	कोड़ियोवाली पुली से हाउसिंग बोर्ड मैन रोड तक	--	--	1500	--	--	800 मी. पाइप डाली जा चुकी है।

क्र. सं.	पाप लाइन का विवरण	स्वीकृत पाइप लाइन का विवरण					कार्य की वर्तमान स्थिति
		90	110	160	200	300	
8	मैन रोड देवनगर	--	--	--	815	--	पूर्ण
9	मोहरसिंह चौक पर बतरा फ्लोर मिल के सामने पूरी गली में	400	--	--	--	--	प्रगति पर
10	वार्ड नं. 6 में हाऊसिंह बोर्ड में गली नं. 1 व 3 में नाली व कुई के नीचे है।	350	--	--	--	--	प्रगति पर
11	वार्ड नं. 3 की गली नं. 2 कोने से गली के मध्य तक	--	300	--	--	--	प्रगति पर
12	वार्ड नं. 10 में रामस्वरूप के मकान से मेन गली तक	--	300	--	--	--	प्रगति पर
13	पार्षद जानकी मिठिया वाली गली	--	250	--	--	--	प्रगति पर
14	रामकुमार ज्याणी के घर से लेकर करनपुर रोड तक 100 मीटर एसी पाइप मकानों के नीचे है	--	800	--	--	--	प्रगति पर
15	वार्ड नं. 10 झांकी वाले बालाजी मन्दिर से लीला धर्मशाला तक	--	400	--	--	--	प्रगति पर
16	श्यामनगर सिकलीगर मोहल्ला गली नं. रोशन के घर से लाल के घर तक	--	300	--	--	--	प्रगति पर
17	श्यामनगर जोन में विभिन्न थड़ों के नीचे	--	750	--	--	--	प्रगति पर
18	हनुमान मंदिर वाली गली से ताराचन्द वाटिका	--		200	--	--	प्रगति पर
19	वार्ड नं. 50 अच्छेलाल के घर से रेलवे क्रासिंग तक	--	--	--	--	254	प्रगति पर
(ब) सुरजीतसिंह कालोनी							
1	सुरजीत सिंह कॉलोनी में गली नं. 5 से मंगलसिंह के मकान से दशमेश फ्लोर मिल तक	400	--	--	--	--	पूर्ण

क्र. सं.	पाइप लाइन की लोकेशन	स्वीकृत पाइप लाइन का विवरण साइज (एमएम में)			कार्य की वतर्मान स्थिति
		90	110	160	
(स) प्रेमनगर, सेतिया फार्म					
1	प्रेम नगर म.न. 51ए से मैन रोड तक	130	--	--	पूर्ण
2	सेतिया कालोनी एनएनडी फर्नीचर स्टोर से कालूराम की दुकान तक	250	--	--	पूर्ण
3	संत किरपाल नगर में 11 किरपाल से मंदिर तक	200	--	--	पूर्ण
4	हरमिलापी कालोनी में खाले से लेकर श्मशान भूमि तक	150	--	--	पूर्ण
5	पायल सिनेमा से प्रेम नगर रोड होते हुये बलवन्तसिंह की ढाणी तक		270	--	पूर्ण
(द) ब्लाक एरिया					
1	रविन्द्र पथ (महेश गुप्ता उपसभापति वाली रोड) से सुखाड़िया सर्किल, रामलीला मैदान, पीएचईडी परिसर को जाने वाली सड़क तक	--	490	--	पूर्ण
2	मैन बस स्टैण्ड पदमपुर मार्ग से एच ब्लाक डिग्गी होते हुये (एनएच-15) तक	--	--	1000	पूर्ण
3	रविन्द्र पथ (चितलागिया, कोण्डा के मकान वाली रोड) से सुखाड़िया सर्किल, रामलीला मैदान, पीएचईडी परिसर को जाने वाली सड़क तक	--	490	--	प्रगति पर
4	रविन्द्र पथ (एस.डी. स्कूल वाली गली) से सुखाड़िया सर्किल, रामलीला मैदान, पीएचईडी परिसर को जाने वाली सड़क तक	--	490	--	प्रगति पर

1	2	3	4	5	6
5	रविन्द्र पथ (अजय चाण्डक, चन्द्रलोक ढाबा के घर वाली गली) से सुखाड़िया सर्किल, रामलीला मैदान, पीएचईडी परिसर को जाने वाली सड़क तक	--	490	--	प्रगति पर
6	एल ब्लाक हनुमान मंदिर से पी-ब्लाक डग्गी होते हुये पदमपुर रोड तक	--	490	--	प्रगति पर

ह.

अधीक्षण अभियंता

जन स्वा. अभि. विभाग वृत्त श्रीगंगानगर

सोजत विधान सभा क्षेत्र रोंडावास एवं गजनाई बांधों से पेयजल अपूर्ति

129. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सोजत में रोंडावास बांध ग्राम पंचायत गुड़ाकला में स्थित है? क्या सरकार उक्त बांध का पानी ग्राम पंचायत गुडाकला, गुडा रामसिंह व हरियामाथी गांवों को पेयजल हेतु देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गजनाई बांध की रपट 3 फीट नीचे करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । विधान सभा क्षेत्र सोजत स्थित रोडावास बांध की क्षमता, जल उपलब्धता एवं निर्भरता सुनिश्चित नहीं होने के कारण इस बांध से ग्राम पंचायत गुडाकला, गुडा रामसिंह व हरिया माली के गांवों को पेयजल देने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

उक्त वर्णित ग्राम पंचायतों के गांवों में विभागीय विभिन्न पेयजल योजनाओं द्वारा पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं सामान्य है । ग्रामवार पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं । गजनई बांध की कुल भराव क्षमता 225 मिलियन घनफुट है जिसमें से 88 मिलियन घनफुट पीने के पानी का आरक्षण स्थाई रूप से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2005 को किया जा चुका है । बांध की रपट 3 फीट नीचे किये जाने पर भराव क्षमता कम होने से उसकी निर्भरता प्रभावित होगी । अतः भराव क्षमता घटाना उचित नहीं है ।

परिशिष्ट 'अ'

सोजत विधान सभा क्षेत्र, की वर्णित ग्राम पंचायतों के गांवों में वर्तमान पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	जनसंख्या		योजना का प्रकार	क्रियाशील जल स्त्रोतों का विवरण			योजना से वर्तमान जल सेवा स्तर (लीटर/व्यक्ति/दिन)
			वर्ष 2001	वर्तमान		नलकूप	खुला कुआं	हैण्ड पम्प	
1	हरिया माली	हरिया माली	2367	2674	पाइप्ड	2	0	11	30
		सारंगवास	1277	1443	जनता जल योजना	0	1	4	30
		केरखेड़ा	296	334	हैण्डपम्प	0	0	5	-
		गुडा भदावता	480	542	हैण्डपम्प	0	0	4	-
2	गुडा रामसिंह	गुडा रामसिंह	1461	1651	पाइप्ड	2	0	16	35
		ढुंढा लांबांडी	728	823	हैण्डपम्प	0	0	9	-
		खेड़ा नबरा	338	382	हैण्डपम्प	0	0	8	-
		दादी	682	771	हैण्डपम्प	0	0	17	-
		हीरावास	603	681	जनता जल योजना	1	0	4	नलकूप में पम्पसैट फंसा होने के कारण योजना बंद है।

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	जनसंख्या		योजना का प्रकार	क्रियाशील जल स्त्रोतों का विवरण			योजना से वर्तमान जल सेवा स्तर (लीटर/व्यक्ति/दिन)
			वर्ष 2001	वर्तमान		नलकूप	खुला कुआं	हैण्ड पम्प	
3	गुडा कला	गुडा कला	2830	3198	जनता जल योजना	1	1	42	30
		गुडा श्यामा	1244	1406	हैण्डपम्प	0	0	7	-
		गुडा चतरा	694	784	पम्प एवं टैंक	1	0	9	30

सिवाना विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की पेयजल योजनाएं

130. **श्री कानसिंह कोटड़ी** (सिवाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिवाना के गांवों के लिये प्रस्तावित उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी खण्ड व पोकरण फलसूण्ड पेयजल योजना के प्रस्तावित गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दो वृहद् पेयजल परियोजनाओं क्रमशः उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी-खण्डप एवं पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के क्रमशः 64 एवं 101 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी-खण्डप योजनान्तर्गत तख्तसागर से उम्मेदसागर के मध्य पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है तथा उम्मेदसागर से समदड़ी वाया कोरना, नागाणा, बरनावा जागीर, कलावतसर तक आधारभूत संरचना कार्य (यथा पाइप लाइन, मुख्य जलाशय आदि) का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है । उक्त परियोजना अन्तर्गत दिनांक 6 फरवरी, 2012 से समदड़ी शहर में आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है । योजना के अन्य पैकेजों के तहत मुख्य जलाशयों से मुख्य गांवों को नहरी जल से लाभान्वित करने हेतु कलस्टर पैकेज वर्तमान में तकनीकी स्वीकृति पूर्व जांच प्रक्रिया में है।

पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, सिवाना के उक्त 101 गांवों हेतु पैकेज संख्या-2ब के अन्तर्गत राशि रुपये 203.63 करोड़ की निविदा आमन्त्रित कर ली गई है जो दिनांक 10.04.2012 को प्राप्त की जाकर दिनांक 11.04.2012 को खोली जानी है। योजना की समयावधि 30 माह आंकी गई है।

उक्त दोनों परियोजनाओं के कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाकर इन्हें शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे ।

जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल योजनाओं पर व्यय राशि

131. **श्री छोटू सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री छोटू सिंह भाटी)

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में विगत तीन वर्षो में पेयजल की योजनायें स्वीकृत की गई हैं? यदि हां, तो उसके प्रस्ताव किस आधार पर तैयार किये गये हैं? मानदण्डों व नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभिन्न पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव स्थानीय जन प्रतिनिधियों से प्राप्त किये जाते हैं? यदि हां, तो विगत तीन वर्षो में कितने प्रस्ताव स्थानीय विधायक की अनुशंसा से प्राप्त कर स्वीकृत किये गये? वर्षवार, कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले की तीनों पंचायत समितियों में विगत तीन वर्षो में कितनी राशि व्यय की गई और उक्त राशि में से कितनी राशि जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र में एवं कितनी राशि पोकरण विधान सभा क्षेत्र में व्यय की गई?

(4) क्या उक्त राशि वितरण में अत्यधिक असमानता है, यदि हां, तो क्यों?विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देश माह अप्रैल, 2010 एवं शहरी क्षेत्र हेतु भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी वाटर सप्लाई मैन्युअल के मानदण्डों के अनुसार प्रस्ताव बनाये जाकर स्वीकृतियां जारी की गई हैं। मानदण्डों की प्रतियां भारत सरकार की वेबसाइट क्रमशः (www.ddws.nic.in) एवं (cpheeo.nic.in) पर उपलब्ध है।

(2) स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा जिला/ब्लाक स्तर पर समय-समय पर विभिन्न समितियों की होने वाली बैठकों तथा पत्राचार आदि के माध्यम से क्षेत्र से संबंधित पेयजल समस्या के समाधान हेतु प्राप्त सुझावों पर विभागीय नीति अनुरूप कार्यवाही की जाकर योजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं । विगत तीन वर्षों में विभाग द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं के संबंध में वांछित विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) जिला जैसलमेर की तीन पंचायत समितियों क्रमशः जैसलमेर, सम एवं सांकड़ा एवं जिले के दो विधान सभा क्षेत्रों क्रमशः जैसलमेर एवं पोकरण में वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में पेयजल संबंधी कार्यों पर व्यय का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) पंचायत समिति, सांकड़ा की तीन क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं क्रमशः राजमथाई-फलसूण्ड, कलाउ-खुमानसर एवं कलाउ-भनियाना की विद्यमान पेयजल व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु (कुल स्वीकृत लागत रुपये 2625.97 लाख) संवर्धन योजनाओं की स्वीकृत राशि अधिक होने के कारण इस पंचायत समिति में शेष दो पंचायत समितियों की तुलना में अधिक व्यय हुआ है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फव्वारा सिंचाई प्रणाली में वृद्धि हेतु कार्य योजना

132. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ड्रिप सिंचाई से होने वाले लाभ का पता लगाने हेतु कोई सर्वे अथवा अध्ययन कराया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राज्य में ड्रिप सिंचाई प्रणाली के उपयोग को बढ़ाने हेतु विशेष योजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार) एच 1045-1048, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-3, टोंक रोड, जयपुर के माध्यम से अध्ययन करवाया गया। जिसका प्रतिवेदन फरवरी, 2011 मे प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के निष्कर्ष के तौर पर ड्रिप सिंचाई संयंत्र 40 से 50 प्रतिशत प्रभावी बताया गया है। रिपोर्ट में अनुदान प्रकिया में सरलीकरण, शीघ्र अनुदान भुगतान तथा सौर ऊर्जा से जोड़ें जाने संबंधी सुझाव दिये गये।

(2) राज्य सरकार द्वारा ड्रिप सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बजट घोषणा द्वारा इस हेतु अनुदान सीमा 70 प्रतिशत से बढ़ायी जाकर 90 प्रतिशत की गई है। इस निर्णय के फलस्वरूप सब्जी, फूल, फल, कपास एवं अरण्डी जैसी फसल उत्पादन से जुडे कृषकों का रूझान व्यापक रूप से बढ़ा तथा माह जनवरी, 2012 तक 13551 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापित हो सके जो कि राज्य मे एक रिकार्ड है।

नवीन राशन कार्ड हेतु मानदण्ड/प्रक्रिया

133. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2011 में नये राशन कार्ड बनाये जाने अपेक्षित थे? यदि हां, तो अब तक नये राशन कार्ड नहीं बनाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया कब तक शुरू कर दी जायेगी और किन मानदण्डों के आधार पर नये राशन कार्ड बनाये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 07.09.2000 को विभाग द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए राशन कार्ड बनाने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में जिलों द्वारा वर्ष 2000 एवं 2001 में राशनकार्ड जारी किए गए थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अन्तर्गत दिनांक 30.08.2007 को वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के लिए राशन कार्ड जारी करने हेतु कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देश जारी किए गए, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश पारित हो जाने के कारण राशन कार्ड नहीं बनाये जा सके। वर्ष 2011 में नवीन कम्प्यूटरीकृत राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा माह नवम्बर, 2011 से प्रारम्भ किए गए आर्थिक-सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के साथ राशन कार्ड से संबंधित अतिरिक्त सूचना एकत्रित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, किन्तु इस कार्य में समय लगने की संभावना के कारण राज्य सरकार द्वारा पूर्व की भांति सामान्य प्रक्रिया के द्वारा पुनः राशन कार्ड बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। राशन कार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है, जो यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जावेगी।

(2) वर्तमान में पूर्व की भांति नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। एपीएल, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा पांच श्रेणी के पृथक्-पृथक् राशन कार्ड (प्रत्येक परिवार हेतु जो एक रसोई में खाना पकाते हैं), जारी किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रतापगढ़ जिले में आरक्षित वर्ग के राशन डीलर्स

134. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नन्दलाल मीणा)

जिला प्रतापगढ़ में उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये कितना–कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया तथा नि:शक्तजनों को कितना आरक्षण दिया गया और आरक्षण के तहत कुल उचित मूल्य की दुकानों में से उक्त वर्गों को कितनी दुकानें आबंटित की गई? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला प्रतापगढ में पांच तहसीलें हैं, जिनमें आरक्षण की स्थिति निम्नानुसार है:-

नाम तहसील	**एस.टी.**	**एस.सी.**	**ओ.बी.सी.**	**सामान्य**	**योग**
प्रतापगढ़	10	01	01	15	27
अरनोद	06	02	01	08	17
छोटी सादड़ी	02	02	04	08	16
धरियाबद	05	01	01	07	14
पिपलखुंट	05	01	01	06	13
	28	07	08	44	87

नि:शक्तजनों को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। ऐसा कोई आवेदन भी नहीं था।

उपरोक्तानुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण किया जाकर उक्त सभी को दुकानों का आबंटन किया जाना प्रस्तावित था।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/2008 दिनांक 21.02.2012 के द्वारा उचित मूल्य दुकान आवंटन पर रोक हटा ली गई है तथा दुकानें आबंटन करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। शीघ्र ही उचित मूल्य दुकान आबंटन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावेगी।

फोर्टिफाइड आटा वितरण हेतु मानदण्डों में संशोधन

135. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अनिल जैन)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा फोर्टिफाइड आटा वितरण के लिए राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से राज्य की आटा मिलों से निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं? क्या उक्त में तकनीकी क्षमताओं एवं आवश्यक उपकरणों की सूची के साथ शर्त उल्लेखित की गई थी? यदि हां, तो फोर्टिफाइड आटा वितरण हेतु निर्धारित आवश्यक तकनीकी योग्यताओं एवं शर्तों से संबंधित विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा फोर्टिफाइड आटा वितरण हेतु आमन्त्रित की गई निविदाओं के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों की जी.एफ. एण्ड ए.आर. नियमों की पालना की गई? क्या निविदा आमन्त्रण के क्रम में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी निर्देशों की समय-समय पर पालना की गई? यदि हां, तो संबंधित आदेशों/निर्देश/परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 24-01-2012 को खाद्य मंत्री द्वारा आयोजिक कोटा संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में यह घोषणा की गई है कि कोई भी आटा मिल आटा वितरण करने हेतु तैयार है तो उसे बिना किसी तकनीकी सक्षमता एवं बिना किसी शर्त के कार्य दिया जावे? क्या सरकार ने उक्त घोषणा/निर्देश के क्रम में कोई आदेश/निर्देश जारी किए हैं?यदि हां, तो बैठक की कार्यवाही का विवरण/जारी आदेश/निर्देश/परिपत्र/पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त घोषणा/निर्देश के क्रम में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में संशोधन करने का विचार रखती है? क्या उक्त घोषणा के संबंध में जी.एफ. एण्ड ए.आर. नियमों में संशोधन किया गया या किया जाना प्रस्तावित है? क्या सरकार निविदा आमन्त्रण के क्रम में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के जारी आदेशों/निर्देशों में संशोधन करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो खाद्य मंत्री की घोषणा/आदेश की पालना सरकार किस प्रकार करवाना चाहती है/क्या खाद्य मंत्री के आदेश/निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए/किये जाने वाले सभी प्रकार की निविदाओं पर लागू होंगे? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त घोषणानुसार बिना निविदा के कार्य देने के संबंध में जारी निर्देश को वैध एवं कानूनी मानती है? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। फोर्टिफाइड आटा वितरण के लिए राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा राज्य की आटा मिलों से निविदाऐं आमंत्रित की गई थीं। उक्त निविदाओं में 20 मै.टन प्रतिदिन आटा निर्माण/उत्पादन की तकनीकी क्षमता से युक्त निविदादाताओं से आवश्यक उपकरणों की सूची चाही गई थी। फोर्टिफाइड आटा वितरण हेतु निर्धारित आवश्यक तकनीकी अहर्ताओं एवं शर्तों से संबंधित निविदा की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। निगम द्वारा फोर्टिफाइड आटा वितरण हेतु आमंत्रित की गई निविदाओं के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों की जी.एफ. एण्ड ए.आर. नियमों की पालना की गई। निविदा आमंत्रण के क्रम में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना की गई है। निर्देशों/आदेशों की प्रति परिशिष्ट-2 व 3 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। कोटा संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई।

(5) इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में फर्जी राशन कार्डों का निरस्तीकरण

136. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार ने प्रदेश में फर्जी राशन कार्डों को निरस्त करने के आदेश जिला रसद अधिकारियों को दिये थे? यदि हां, तो राज्य में कुल कितने राशन कार्ड फर्जी पाये गये?

(2) उक्त फर्जी राशन कार्ड प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राशन कार्डों का सत्यापन कर बोगस राशन कार्डों को निरस्त करने के आदेश जिला रसद अधिकारियों को प्रदान किये गये थे। राज्य में कुल 5234 राशन कार्ड फर्जी/बोगस पाए गए।

(2) उक्त फर्जी राशन कार्डो में से अधिकांशतः कार्ड भौतिक सत्यापन या वक्त जांच परिवारों के अन्यत्र पलायन कर जाने से एवं किसी की मृत्यु हो

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

जाने से प्रचलन में थे, उन्हें मौके पर निरस्त किए गए। चार प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।

राशन कार्ड आवेदक द्वारा आवेदन पत्र 'अ' भरकर एवं आवेदन पत्र पर राजपत्रित अधिकारी/जनप्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही जारी किए जाते हैं। उक्त सभी राशन कार्ड इसी प्रक्रिया के तहत जारी किए गए। उपरोक्त प्रक्रिया के तहत राशन कार्ड बनाए जाने में किसी का दुराशय प्रतीत नहीं होने के कारण कार्यवाही नहीं की गयी है। जिलेवार फर्जी/बोगस पाए गए राशन कार्डों की संख्या एवं की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	जिला	फर्जी पाये गये राशन कार्डों की संख्या	की गई कार्यवाही
1	अजमेर	0	-
2	अलवर	0	-
3	बांसवाड़ा	0	-
4	बारां	0	-
5	बाडमेर	2	निरस्त किये गये
6	भरतपुर	0	-
7	भीलवाड़ा	0	-
8	बीकानेर	0	-
9	बून्दी	0	-
10	चित्तौड़गढ़	0	-
11	चूरू	0	-
12	दौसा	0	-
13	धौलपुर	0	-
14	डूंगरपुर	0	-
15	गंगानगर	1382	निरस्त किये गये
16	हनुमानगढ़	1589	निरस्त किये गये
17	जयपुर (ग्रामीण)	1453	निरस्त किये गये

क्र.सं.	जिला	फर्जी पाये गये राशन कार्डों की संख्या	की गई कार्यवाही
18	जयपुर (शहर)	43	निरस्त किये तथा दो प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई
19	जैसलमेर	0	-
20	जालौर	0	-
21	झालावाड़	282	निरस्त किये गये
22	झुन्झुनूं	0	-
23	जोधपुर	34	निरस्त किये तथा दो प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई
24	करौली	0	-
25	कोटा	0	-
26	नागौर	0	-
27	पाली	0	-
28	प्रतापगढ़	0	-
29	राजसमंद	0	-
30	सीकर	35	निरस्त किये गये
31	सिरोही	0	-
32	सवाई माधोपुर	0	-
33	टोंक	238	निरस्त किये गये
34	उदयपुर	176	निरस्त किये गये
	योग	**5234**	

प्रदेश में गठित उपभोक्ता कल्याण कोष का आय-व्यय

137. **श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में वर्तमान में कुल कितने बी.पी.एल. 2002/अन्त्योदय/स्टेट बी.पी.एल./ए.पी.एल./आस्था/अन्नपूर्णा कार्डधारी हैं? जिलेवार/कार्डवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(2) उक्त कार्डधारियों को कितना-कितना गेहूं/आटा किस-किस दर पर प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आधार पर कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं व आटे की आवश्यकता होती है तथा उक्त आवश्यकता की तुलना में कितना कितना गेहूं/आटा आबंटन हेतु उपलब्ध कराया गया? जिलेवार/माहवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि राज्य में उपभोक्ता कल्याण कोष गठित है? यदि हां, तो कब से और उक्त कोष के गठन के उद्देश्य क्या थे तथा वर्तमान में इसमें कितनी राशि जमा है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2011 तक किन-किन के द्वारा कितनी-कितनी राशि उक्त कोष में जमा कराई गई तथा किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि आटे पर 30 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राशि उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराई जा रही है? यदि हां, तो कब से तथा तत्संबंधी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में योजनावार निम्नानुसार राशनकार्डधारी हैं:-

क्र.सं.	योजना का नाम	कार्डधारियों की संख्या
1	एपीएल	12745564
2	बीपीएल	1827152
3	स्टेट बीपीएल	1124245
4	अन्त्योदय	932101
5	अन्नपूर्णा	105293
6	आस्था	6977

जिलेवार राशनकार्डधारियों की संख्या की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गेहूं/आटा वितरण की मात्रा एवं दर निम्नानुसार है:-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

क्र.सं.	राशनकार्ड की श्रेणी	मात्रा	दर
1	एपीएल	15 किग्रा. गेहूं या 20 किग्रा. आटा पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पर	6.70/8.10/ 8.60
2	बीपीएल	25 किग्रा.	2.00
3	स्टेट बीपीएल	25 किग्रा.	2.00
4	अन्त्योदय	35 किग्रा.	2.00
5	अन्नपूर्णा	10 किग्रा.	निःशुल्क
6	आस्था	25 किग्रा.	2.00

राज्य के सात जिलों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़, उदयपुर एवं सिरोही के बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को माह अगस्त, 2011 से मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए 25 किलो गेहूं के अलावा पीयूसीएल के अन्तर्गत 10 किलो गेहूं का अतिरिक्त वितरण 4.75/- रु. की दर से कराया जा रहा है।

एपीएल परिवारों को अधिकतम 20 किलो आटा (10-10 किलो के पैकेट में) प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह 8.10/- रु. संभागीय मुख्यालयों एवं बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, नागौर तथा शेष जिलों में 8.60/- रु. की दर से दिया जा रहा है।

(3) गेहूं व आटे की आवश्यकता का जिलेवार, माहवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है तथा आबंटन का जिलेवार, माहवार विवरण परिशिष्ट -3 पर संलग्न है।

(4) जी हां। यह सही है कि राज्य में उपभोक्ता कल्याण कोष गठित है। यह कोष दिनांक 22.12.2004 से गठित है। कोष का उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देना तथा राज्य में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए वित्त सहायता देना है। उपभोक्ता कल्याण कोष के आदेश/उद्देश्य परिशिष्ट-4 पर संलग्न हैं। वर्तमान में इस कोष में जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

दर समानीकरण कोष पीडी खाता संख्या 163 (11.01.12) को	1782263.00
राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष पीडी खाता संख्या 160	9541825.01
बचत खाता संख्या 51088903738 एस.बी.बी.जे. सचिवालय	7300658.32

(5) वर्ष दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2011 तक जमा हुई राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

विवरण	12/08 से 03/09	04/09 से 03/10	04/10 से 03/11	04/11 से 12/11
खाता संख्या 163	1400.00	0.00	20000000.00	0.00
खाता 160	858291.00	1693687.00	2255443.00	972349.00
बचत खाता	91251762.11	784765180.00	784353210.00	131003447.27

खाता संख्या 160 में परिवाद फीस की राशि राज्य आयोग एवं जिला मंचों से प्राप्त होती है। बचत खाते में केरोसीन अन्तर राशि, ब्याज राशि, राशनकार्ड-राशन टिकट से प्राप्त राशि, अनुपयोगी रिफण्ड राशि, मूंग दाल, मटर दाल, आटा, सोया तेल की राशि प्राप्त होती है। पीडी खाता संख्या 163 में बचत खाते से 2.00 करोड़ स्थानान्तरित राशि शामिल है।

दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2012 तक व्यय हुई राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

विवरण	12/08 से 03/09	04/09 से 03/10	04/10 से 03/11	04/11 से 01/12
खाता संख्या 163	8726024.00	12248755.00	34113077.00	19325289.00
खाता 160	1540000.00	0.00	0.00	0.00
बचत खाता	82463996.00	776447784.00	794880475.00	130620653.37

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

खाता संख्या 163 से वाहन किराया, फोटोस्टेट, मोबाईल खर्च, केरोसीन अन्तर राशि, कम्प्यूटर किराया, उपभोक्ता दिवस, वाटर कूलर, उपभोक्ता मंगल पत्रिका का प्रकाशन, वाहन किराया, विज्ञापन, केरोसीन/खाद्यान्न अन्तर राशि, स्टेशनरी खर्च, चल-प्रयोगशाला, सोया तेल खरीद, कार्यालय व्यय, संविदाकर्मी का पारिश्रमिक, बीपीएल कार्ड वितरण इत्यादि मद में व्यय किया जाता है।

खाता संख्या 160 से उपभोक्ता दिवस हेतु जिला रसद अधिकारियों को राशि का आबंटन किया गया है।

बचत खाता से कार्यालय व्यय, फोटोस्टेट, पेट्रोल व्यय, मोबाईल खर्च, राजकोष में जमा राशि, वाहन किराया, विज्ञापन, मीटिंग खर्च, बचत राशि की एफडी, मानदेय, एनसीसीएफ को मूंग दाल का भुगतान, राजकाम को अग्रिम, कथोडी एवं सहरिया जनजाति को निःशुल्क गेहूं का वितरण, चल-प्रयोगशाला, संविदाकर्मी का पारिश्रमिक, लेखांकन खर्च, एनसीसीएफ को मटर दाल, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा उदघाटन खर्च, सोया तेल खर्च, टेलीफोन खर्च, उपभोक्ता संघ को दाल एवं चीनी हेतु अग्रिम, राज्य आयोग को फर्नीचर क्रय हेतु, राशन कार्ड मुद्रण हेतु, खाद्यान्न एवं केरोसीन परिवहन अन्तर राशि, बीपीएल कार्ड मुद्रण, उपभोक्ता दिवस, सोया तेल परिवहन, वाहन बीमा, आयकर भुगतान, बैंक चार्ज इत्यादि पर व्यय किया जाता है।

(6) जी नहीं। माह अक्टूबर, 2009 से संभागीय मुख्यालयों की कार्यरत मिलों के द्वारा उपभोक्ता कल्याण कोष में 20.60/- रु. प्रति क्विंटल की दर से राशि जमा कराई जा रही थी, परन्तु दिनांक 31.03.2011 से यह राशि उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा नहीं कराई जा रही है। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 का गठन हो जाने के पश्चात् यह कार्य निगम द्वारा किया जा रहा है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत राशन डीलर्स

138. **श्री अब्दुल सगीर खां** (धौलपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में गत तीन वर्षों से कितने राशन डीलर कार्यरत हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में सरकार द्वारा उक्त राशन डीलरों को रियायती दरों पर कौन-कौनसी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में 89 राशन डीलर हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त राशन डीलरों को सरकार द्वारा रियायती दर पर प्रतिमाह निम्न सामग्री का आबंटन उपभोक्ताओं में निम्न निर्धारित दरों पर वितरण हेतु उपलब्ध कराई जाती है:-

क्र. सं.	योजना	सामग्री का विवरण	वितरण मात्रा प्रतिमाह	निर्धारित वितरण दर
1	एपीएल नियमित	गेहूं (आटा)	10 किलो प्रति परिवार	8.60 रु. प्रतिकिलो से
2	एपीएल तदर्थ	गेहूं (आटा)	10 किलो प्रति परिवार	8.60 रु. प्रतिकिलो से
3	बीपीएल	गेहूं	25 किलो प्रति बीपीएल परिवार	02 रु. प्रतिकिलो से
4	स्टेट बीपीएल	गेहूं	25 किलो प्रति स्टेट बीपीएल परिवार	02 रु. प्रतिकिलो से
5	अन्त्योदय	गेहूं	35 किलो प्रति अन्त्योदय परिवार	02 रु. प्रतिकिलो से
6	अन्नपूर्णा	गेहूं	10 किलो प्रति लाभार्थी	निःशुल्क
7	बीपीएल+ अन्त्योदय	चीनी	02 किलो प्रति परिवार	13.50 रु. प्रतिकिलो से
8	समस्त श्रेणी के उपभोक्ता (बिना गैस कनेक्शनधारी)	केरोसीन	03 लीटर प्रति परिवार	15.25 रु. प्रति लीटर से

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कार्यरत उचित मूल्य दुकानदारों की सूची

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	नाम डीलर
1	पंचगांव	चन्द्रशेखर
2	पंचगांव	कृष्ण कुमार
3	पंचगांव	प्रकाश चन्द
4	पुरानी छावनी	महावीर सिंह
5	पुरानी छावनी	नीरज शर्मा
6	बसई सामन्ता	रामप्रकाश
7	बसई सामन्ता	रामदास
8	सरानीखेड़ा	लज्जाराम
9	सरानीखेड़ा	अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति लि. सरानीखेड़ा
10	कोटरा	राममुरारी
11	कोटरा	अटैच राममुरारी
12	विश्नौंदा	सुरेश चन्द्र
13	विश्नौंदा	धौलपुर महिला सहकारी समिति लि. विश्नौंदा
14	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 1	अटैच सुखवीरसिंह वार्ड सं. 2 भाग 1/2
15	न;पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 2	सुखवीर सिंह
16	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 3 1/2 भाग	श्रीमति रामबेटी 1/2
17	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 3 1/2 भाग	जगदीशप्रसाद 1/2
18	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 4, 21	श्रीमती मीरा देवी
19	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 5, 6	श्रीमती मीरा देवी
20	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 7	अटैच जगदीशप्रसाद वार्ड सं. 3 भाग 1/2

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	नाम डीलर
21	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 8, 9, 28	अटैच मुकेश राना वार्ड सं. 7 शहर धौलपुर
22	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 10, 11, 12	के.वी.एस.एस. धौलपुर
23	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 13, 14, 15	धौलपुर होलसेल सह.उप.भं.लि.
24	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 16, 17	धौलपुर सह.उप.भं. धौलपुर
25	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 18	श्रीमती इन्दु जाटव
26	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 19, 20	धौलपुर होलसेल सह.उप.भं.लि.
27	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 22, 23, 24	गफूरखां
28	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 22, 23, 24	अटैच गफूर
29	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 25, 31	धौलपुर होलसेल सह.उप.भं.
30	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 26, 27	जशोदा देवी
31	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 29, 30	के.वी.एस.एस. धौलपुर
32	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 32, 33	धौलपुर महिला सह.उप.भं.लि.
33	न.पा. क्षेत्र धौलपुर वार्ड संख्या 34, 35	अशोक कुमार
34	तगावली	अनवार राईन
35	तगावली	घनश्यामसिंह
36	भैंसेना	यादवसिंह
37	भैंसेना	अटैच यादवसिंह
38	मौरोली	श्रीमान सिंह

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	नाम डीलर
39	मौरोली	दशरथ सिंह
40	बसई नीम	अटैच श्रीमानसिंह मौरोली
41	ओदी	परसादी लाल
42	ओदी	सुल्तान सिंह
43	ओदी	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि. ओदीकापुरा
44	दूबरा	प्रवीण कुमार
45	दूबरा	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि., दूबरा
46	लुहारी	रामरूप
47	लुहारी	अटैच अन्नपूर्णा महिला सह.स.लि., लुहारी
48	लुहारी	अन्नपूर्णा महिला सह.स.लि., लुहारी
49	जाटौली	मुकेश कुमार
50	जाटौली	सत्यप्रकाश
51	कासिमपुर	भंवर सिंह
52	कासिमपुर	विशम्भर सिंह
53	सिंघावली	कोक सिंह
54	सिंघावली	चरण सिंह
55	सादिकपुर	कैलाश चन्द
56	सादिकपुर	अंगनाराम
57	सादिकपुर	रामकिशोर
58	सादिकपुर	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि., सादिकपुर अटैच अंगनाराम
59	मूसलपुर	केदारनाथ शर्मा
60	मूसलपुर	जमुना प्रसाद
61	सखवारा	यादवेन्द्र सिंह
62	सखवारा	भूरी सिंह
63	निधेरा कलां	अटैच बद्रीप्रसाद

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	नाम डीलर
64	निधेरा कलां	बद्रीप्रसाद
65	तसीमों	कलुआ सिंह
66	तसीमों	श्री कृष्ण शर्मा
67	तसीमों	विष्णु कुमार
68	गढीचटौला	राजेन्द्र प्रसाद
69	गढीचटौला	अटैच विजयराज
70	गढीचटौला	विजयराज
71	करीमपुर	जी.एस.एस.
72	करीमपुर	योगेन्द्र कुमार
73	करीमपुर	विक्रम सिंह
74	पुरैनी	महेश चन्द
75	पुरैनी	सतीश शर्मा
76	पुरैनी	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पुरैनी
77	कोलुआ	रोशनलाल
78	कोलुआ	अटैच जीएसएस करीमपुर
79	चितौरा	मेघाराम
80	चितौरा	पूरनसिंह
81	चितौरा	शैलेन्द्र कुमार
82	मानपुर	महाराज सिंह
83	मानपुर	गोरेलाल
84	कौलारी	द्वारका प्रसाद
85	कौलारी	महेन्द्रसिंह त्यागी
86	टेहरी	सुरेन्द्र त्यागी
87	टेहरी	अटैच सुरेन्द्र त्यागी
88	मालोनी खुर्द	अटैच महात्मा जयोतिराव फुले महिला बहुउद्देशीय सह. समिति लि. नरसिंह गढ (मालौनीखुर्द)
89	मालोनी खुर्द	महात्मा ज्योतिराव फुले महिला बहुउद्देशीय सह. समिति लि. नरसिंह गढ़ (मालौनीखुर्द)

जिला रसद अधिकारी

धौलपुर

अलवर जिले के धार्मिक स्थलों/पर्यटन स्थलों की क्षतिग्रस्त सड़कें

139. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों से सरिस्का/थानागाजी क्षेत्र की सड़कें खराब हैं? क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण कार्य करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि अलवर से थानागाजी के मध्य योगीराज भर्तृहरि, श्री पाण्डुपोल हनुमान मंदिर, नारायणी माता धाम व अन्य अनेक धार्मिक स्थल हैं? क्या उक्त स्थलों में बड़ी संख्या में श्रृद्धालु दर्शन हेतु आते-जाते हैं? क्या सरकार आमजन को हो रही परेशानी को दूर करने हेतु उक्त सड़क निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या भर्तृहरि से थानागाजी के मध्य सरिस्का क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़क के कारण पर्यटकों की संख्या में निरन्तर गिरावट आई है? क्या सरकार पर्यटकों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त सड़क की मरम्मत कराये जाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरिस्का से 2 सड़कें गुजरती हैं जो कि क्षतिग्रस्त हैं। इनमें से एक सड़क दौसा सरिस्का सड़क स्टेट हाईवे-29-ए है जिसके 22 कि.मी. (कि.मी. 270/0 से कि.मी. 292/0) सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में है एवं क्षतिग्रस्त है। सड़क के इस भाग का रख-रखाव वन विभाग द्वारा किया जाता है।

दूसरी सड़क कुशालगढ़ थानागाजी सड़क ओ.डी.आर.-10 है जिसकी लम्बाई 15 कि.मी. है। इस सड़क के 7 कि.मी. (कि.मी. 0/0 से 4/500 व 12/500 से 15/0) सार्वजनिक निर्माण विभाग की संधारण सूची में है एवं सही स्थिति में है1 शेष 8 कि.मी. (कि.मी. 4/500 से 12/500 भर्तृहरि तिराया से थैंक्यू बोर्ड तक, पूर्व कि.मी. 196/0 से 204/0 स्टेट हाईवे-13) सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में है एवं क्षतिग्रस्त है। सड़क के इस भाग का रख रखाव वन विभाग द्वारा किया जाता है। उक्त सडकें मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक एफ.12(602) अनु.2/जन/वन/08/डी-1332 दिनांक 15.10.2009 द्वारा विभाग की रख-रखाव सूची से हटाई जा चुकी है।

जी हां। राज्य सरकार द्वारा सड़क मरम्मत के प्रस्तावों पर राज्य वन्य

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जीव मण्डल का अनुमोदन प्राप्त कर इन्हें राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल की स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 14.09.2006 में कुछ शर्तों के अधीन इन प्रस्तावों का अनुमोदन कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्वीकृति की अनुशंषा की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इन प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आई.ए. नं. 2068 दायर की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सी.ई.सी.) की सिफारिशों के अनुसार इन सड़कों की मरम्मत/निर्माण की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन अपने निर्णय दिनांक 08.05.2009 द्वारा प्रदान की गई।

1. four traffic barriers will be erected and maintained by the Forest Department at Kushalgarh Bharthari junction near 'Thank You Board' and Ghata Bandrole for restricting the traffic within the sanctuary;
2. diversion boards at Ghata Bandrole, Kushalgarh and Bharthari junction will be installed by the PWD. In addition two direction boards indicating commencement of the sanctuary area will be installed by the PWD at Natni Ka Bara and near 'Thank you Board' (km. 204/0):
3. the Tehla-Sariska road (State Highway 29-A) which passes through the core area of sanctuary will be closed to traffic. The existing road between Burja Tiraya to Thanagazi via Kishori- Ajabgarh will be repaired/renovated and used as an alternative road;
4. movement of the commercial vehicles on the State Highway No. 13 between Kushalgarh Tiraya (km. 196/0) to near 'Thank you Board' (km. 204/00) will be stopped; and
5. during the night no movement of vehicles on the above stretch will be permitted. The traffic will pass through the bye-pass road.

वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सरिस्का अभ्यारण्य में सड़क मरम्मत एवं वैकल्पिक मार्ग की कार्यवाही उपरोक्त वर्णित शर्ताधीन कराई जानी है।

(2) जी हां।

जी हां।

जी हां।

(3) जी नहीं। वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सरिस्का में गत तीन वर्षों में पर्यटकों एवं वाहनों की संख्या निम्नानुसार रही है:-

वर्ष	पर्यटकों की संख्या	वाहनों की संख्या
2008-09	36429	7988
2009-10	44248	9668
2010-11	44236	14988

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सरिस्का अभ्यारण्य में सड़क मरम्मत एवं वैकल्पिक मार्ग की कार्यवाही उपरोक्त वर्णित शर्ताधीन कराई जानी है।

मालपुरा विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

140. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने वर्षा से क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत के लिये इस वर्ष बजट में प्रावधान किया है? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ने क्षतिग्रस्त सडकों का आंकलन किया है? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कों का और नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब क्षतिग्रस्त सड़कों का आंकलन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की अधिकतर सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं? यदि हां, तो उक्त पर कितनी राशि व्यय की जानी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों के लिये वर्ष 2011-12 में मरम्मत मद से रुपये 72.00 करोड़, 13वें वित्त आयोग से रुपये 141.00 करोड़ एवं राज्य आपदा मोचन निधि से रुपये 43.08 करोड़, कुल राशि रुपये 256.08 करोड़ का प्रावधान किया है।

(2) जी हां। क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	सड़कों का वर्गीकरण	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि.मी.)	नवम्बर 2011 तक बीटी पैच की प्रगति (कि.मी.)	प्रतिशत प्रगति
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	1502.00	1500.00	99.87
2	स्टेट हाईवे	4753.98	4698.38	98.83
3	एमडीआर	4307.50	4270.10	99.13
4	ओडीआर	4468.87	4268.79	95.52

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

क्र. सं.	सड़कों का वर्गीकरण	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि.मी.)	नवम्बर 2011 तक बीटी पैच की प्रगति (कि.मी.)	प्रतिशत प्रगति
5	ग्रामीण सड़कें	23018.57	21729.74	94.40
	योग	**38050.92**	**36467.01**	**97.55**

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की अधिकांश सड़कों पर मरम्मत कार्य पूर्ण किया जा चुका है, स्वीकृत कार्यों के अलावा शेष सड़कों पर मरम्मत कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(4) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की सड़कों की कुल लम्बाई 733.04 कि.मी. में से 329.50 कि.मी. वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई थीं तथा 19.10 कि.मी. क्षतिग्रस्त सड़कों पर मरम्मत कार्य कराया जाना शेष है। अधिकांश क्षतिग्रस्त सड़कों पर मरम्मत/नवीनीकरण के कार्य स्वीकृत एवं प्रगतिरत हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

जिला टोंक के विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (वर्ष 2011-12) में क्षतिग्रस्त सड़कों पर नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	वर्गीकरण	योजना का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (रू. लाख)	पूर्ण किये गये कार्य की लम्बाई (कि.मी)	खर्च की गई राशि (रु. लाख)	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	टोरडी डूंगरी रोड से डूंगरीकला किमी 4/500 से 6/0	ग्रामीण सड़कें	कृषि उपज मण्डी-17 नाबार्ड	1.50	15.00	1.50	0.00	कार्य प्रगति पर
2	चावण्डिया से किरावल किमी 0/0 से 3/700	ग्रामीण सड़कें	कृषि उपज मण्डी-17 नाबार्ड	3.70	37.00	-	0	कार्य प्रगति पर
3	नगर से लाम्बाहर सिंह किमी 0/0 से 1/500	ग्रामीण सड़कें	कृषि उपज मण्डी-17 नाबार्ड	1.50	15.00	1.50	0	कार्य प्रगति पर
4	व्यास सर्किल से बृजलालनगर – 12 किमी 0/0 से 1/200	ग्रामीण सड़कें	कृषि उपज मण्डी-17 नाबार्ड	1.20	8.00	1.20	0	कार्य प्रगति पर
	योग			**7.90**	**75.00**	**4.20**	**0.00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बरोल से बापूण्डा किमी 0/0 से 3/900	ग्रामीण सड़कें	तेरहवां वित्त आयोग	3.90	27.30	-	-	कार्य प्रगति पर
2	अजमेर-अरोई-लाम्बाहरीसिंह-मालपुरा किमी 3/0 से 6/0, 8/0 से 10/0 एण्ड 13/500 से 13/600	मुख्य जिला सड़कें	तेरहवां वित्त आयोग	5.10	47.81	-	-	कार्य प्रगति पर
3	अजमेर-अरोई-लाम्बाहरीसिंह-मालपुरा किमी 3/0 से 6/0, 8/0 से 10/0 से 12/0 एण्ड 13/600 से 13/17/0	मुख्य जिला सड़कें	तेरवा वित्त आयोग	7.40	69.38	-	-	कार्य प्रगति पर
4	झिराना-टोडारायसिंह बगेरा केकडी रोड किमी 18, 25, 27, 28, 29 एण्ड 30	मुख्य जिला सड़कें	तेरवा वित्त आयोग	7.00	65.63	-	-	कार्य प्रगति पर
	योग			**23.40**	**210.12**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दूदू मालपुरा टोडा-खरेडा छान सखना-नगर नैनवा रोड किमी 16/0 से 17/0, 20/0 से 25/0, 26/0 से 29/0, 30/0 से 34/0, 34/0 से 36/0, 38/0 से 39/0, 39/0 से 40/0, से 40/0 से 41/0, 43/0 से 44/0, 44/0 से 45/0, 45/0 से 47/0, 48/500 से 50/0, 50/0 से 58/0	राज्यमार्ग	राज्यमार्ग योजना	31.50	630.00	-	-	कार्य प्रगति पर
2	दूदू मालपुरा टोडा-खरेडा छान साखना-नगर नैनवा रोड किमी 80/0 से 85/0	राज्यमार्ग	राज्यमार्ग योजना	5.00	75.00	-	-	पांच बार निविदा आमंत्रित की जा चुकी है छटी बार कार्यों की अलग-अलग निविदाऐं पुन: 02.03.12 को प्राप्त की जानी हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	दूदू मालपुरा टोडा-खरेडा छान साखना-नगर नैनवा रोड किमी 68/0 से 76/0	राज्यमार्ग	राज्यमार्ग योजना	8.00	120.00	-	-	पांच बार निविदा आमंत्रित की जा चुकी है छठी बार कार्यों की अलग-अलग निविदाएं पुन: 02.03.12 को प्राप्त की जानी है।
4	दूदू मालपुरा टोडा-खरेडा छान साखना-नगर नैनवा रोड किमी 76/0 से 79/200	राज्यमार्ग	राज्यमार्ग योजना	3.20	45.00	-	-	
	योग			**47.70**	**870.00**			

भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लम्बित विद्युत कनेक्शन

141. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में वर्ष 2010-11 से जुलाई 2011 तक कुल कितने कृषकों द्वारा कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन किया एवं उनमें से कितने कनेक्शन जारी किये गये तथा बकाया कितने हैं और लम्बित कनेक्शन कब तक कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील भोपालगढ़ में किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि का मांग पत्र किस-किस दिनांक को जारी किया गया एवं आवेदक द्वारा मांग पत्र की राशि कब-कब जमा कराई गई? क्या इन्हें कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त तहसील के घरेलू बिजली कनेक्शन हेतु अनेकों आवेदन लम्बित हैं? यदि हां, तो इनको कनेक्शन कब तक जारी किये जायेंगे? वरिष्ठता सूची, ग्राम पंचायत नाम, पते सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में वर्ष 2010-11 से जुलाई, 2011 तक कृषकों द्वारा श्रेणी वार प्राप्त आवेदन, जारी कनेक्शन तथा बकाया आवेदनों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

राज्य सरकार की नीति के अनुसार वर्ष 2011-12 में दिनांक 1 जनवरी, 2008 से माह दिसम्बर, 2008 तक के मांग पत्र वर्ष 2011-12 में दो चरणों में जारी करना प्रस्तावित किया गया। प्रथम चरण में दिनांक 1.1.2008 से दिनांक 30.9.2008 तक आवेदित आवेदनों के मांग पत्र दिनांक 15.04.2011 से दिनांक 15.08.2011 तक जारी करना प्रस्तावित था। प्रथम चरण के उक्त सभी आवेदकों के मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा मांग पत्र राशि जमा आवेदकों के कनेक्शन (विवादित प्रकरणों को छोड़कर) नियमानुसार दिये जा रहे हैं।

द्वितीय चरण में दिनांक 01.10.2008 से दिनांक 31.12.2008 तक आवेदित आवेदनों के मांग पत्र दिनांक 15.09.2011 से दिनांक 15.01.2012 तक जारी करना प्रस्तावित किया गया था किन्तु राज्य में विद्युत की सीमित उपलब्धता तथा विद्युत निगमों की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर द्वितीय चरण में जारी होने वाले उक्त मांग पत्रों के जारी करने पर आगामी आदेशों तक रोक

(ऊर्जा मंत्री)

लगा दी गई है किन्तु स्प्रिंगलर व डिग्गी कनेक्शनों पर यह रोक नहीं है। माह दिसम्बर, 2008 के बाद के आवेदकों को भविष्य में राज्य सरकार की नीति अनुसार विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जायेंगे।

(2) तहसील भोपालगढ़ के अन्तर्गत उक्त कृषि श्रेणी के आवेदकों का मांगपत्र जारी की तिथि व मांगपत्र की जमा राशि व जारी कनेक्शनों का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है ।

जिन उपभोक्ताओं के मांगपत्र जमा हैं उनका वरीयता एवं सामान व संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कनेक्शन शीघ्र करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) तहसील भोपालगढ में लम्बित घरेलू आवेदनों की वरीयता सूची, ग्राम पंचायत/नाम सहित विवरण प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है।

वरीयता एवं सामान व संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कनेक्शन जारी करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले के नवसृजित अधिशासी/सहायक अभियन्ता कार्यालय

142. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले गये? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त में से कितने कार्यालय चालू कर दिये तथा कितने कार्यालय अभी चालू नहीं हो पाये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नव स्वीकृत कार्यालयों के भवन बनाये जाने के लिये सरकार की क्या योजना है तथा इनके भवन कब तक बना दिये जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर में दो अधिशासी अभियन्ता तथा आठ सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले गए हैं। जिनका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उपरोक्त सभी नये सृजित खण्ड/उप खण्डों पर अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ताओं को पदस्थापित कर दिया गया है। नये सृजित अधीनस्थ पदों पर कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। शीघ्र नियुक्तियां कर दी जायेंगी।

(3) नये कार्यालय भवन बनाये जाने हेतु आवश्यक प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाने की प्रक्रिया जारी है। स्वीकृति जारी होने पर कार्यालय भवन का निर्माण कार्य किया जा सकेगा, तब तक उक्त स्थानों पर नये स्वीकृत कार्यालय प्रपत्र 'ब' में दर्शाये गये स्थानों पर अस्थायी रूप से संचालित किये जा रहे हैं।

प्रपत्र 'अ'

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर
जिला सीकर में वर्तमान वित्तीय वर्ष में खोले गये नये अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता कार्यालयों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण

क्र. सं.	**नये अधिशासी अभियंता कार्यालय का नाम**	**स्थान**	**विधान सभा क्षेत्र का नाम**
1	अधिशासी अभियंता (पवस)	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़
2	अधिशासी अभियंता (पवस)	दांतारामगढ़	दांतारामगढ़
क्र. सं.	**नये सहायक अभियंता कार्यालय का पता**	**स्थान**	**विधान सभा क्षेत्र का नाम**
1	सहायक अभियन्ता (न.उ. तृतीय)	सीकर	सीकर
2	सहायक अभियंता (पवस)	नेछवा	लक्ष्मणगढ़
3	सहायक अभियंता (पवस)	कुदन	धोद
4	सहायक अभियंता (पवस)	थोई	श्रीमाधोपुर
5	सहायक अभियंता (पवस)	कांवट	खण्डेला
6	सहायक अभियंता (ग्रामीण)	नीमकाथाना	नीमकाथाना
7	सहायक अभियंता (सतर्कता)	दांतारामगढ़	दांतारामगढ़
8	सहायक अभियंता (सतर्कता)	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़

प्रपत्र 'ब'

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

जिला सीकर में वर्तमान वित्तीय वर्ष में खोले गये नये अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता कार्यालयों का विधान सभा क्षेत्र वार विवरण :-

क्र. सं.	नये अधिशासी अभियंता कार्यालय का नाम	स्थान	विधान सभा क्षेत्र का नाम	कार्यालय संचालन का वर्तमान स्थान
1	अधिशासी अभियंता (पवस)	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	कार्या स.अ. (पवस), लक्ष्मणगढ़
2	अधिशासी अभियंता (पवस)	दांतारामगढ़	दांतारामगढ़	कार्या स.अ. (पवस), दांतारामगढ़
क्र. सं.	**नये सहायक अभियंता कार्यालय का नाम**	**स्थान**	**विधान सभा क्षेत्र का नाम**	**कार्यालय संचालन का वर्तमान स्थान**
1	सहायक अभियंता (न.उ. तृतीय)	सीकर	सीकर	कार्या स.अ. (न.उ. द्वितीय), सीकर
2	सहायक अभियंता (पवस)	नेछवा	लक्ष्मणगढ़	33/11 केवी नेछवा सब-स्टेशन निर्मित भवन में
3	सहायक अभियंता (पवस)	कुदन	धोद	कार्या स.अ. (पवस), पिपराली
4	सहायक अभियंता (पवस)	थोई	श्रीमाधोपुर	कार्या क.अ. (पवस), थोई
5	सहायक अभियंता (पवस)	कांवट	खण्डेला	कार्या कअ. (पवस), कांवट
6	सहायक अभियंता (ग्रामीण)	नीमकाथाना	नीमकाथाना	कार्या अधि. अ. (पवस), नीम का थाना
7	सहायक अभियंता (सतर्कता)	दांतारामगढ़	दांतारामगढ़	कार्या स.अ. (पवस), दांतारामगढ़
8	सहायक अभियंता (सतर्कता)	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	कार्या स.अ. (पवस), लक्ष्मणगढ़

जयपुर शहर में हाईटेंशन लाइन से जन हानि

143. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जयपुर शहर में आवासीय कालोनियों से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइनों को हटाने/अण्डरग्राउण्ड करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त लाइनों को हटाने हेतु कोई जन सहभागी योजना प्रस्तावित है? यदि हां, उक्त योजना के क्या नियम हैं?

(3) क्या उक्त हाईटेंशन लाइनों के कारण होने वाली जन हानि एवं सामान के होने वाले नुकसान पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है?यदि हां, तो अब तक हुये नुकसान पर क्या क्षतिपूर्ति दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर वृत के अन्तर्गत वर्तमान में आवासीय कालोनियों से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइनों को हटाने/अण्डरग्राउण्ड करने की विद्युत निगम की कोई योजना नहीं है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति, संस्था, आवासीय कालोनियों से गुजरने वाली ऐसे हाईटेंशन लाइनों को हटाने के लिए आवेदन करता/करती है एवं स्थापित लाइन से खतरों की संभावना हो तो ऐसी विद्युत लाइनों को हटाने के लिए बनाये गये तकमीने की आधी राशि आवेदक से वसूल की जाती है तथा शेष आधी राशि निगम के द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान है। अगर पूर्व में स्थापित लाइन से खतरे की संभावना नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में आवेदक से लाइन हटाने की तकमीने की सम्पूर्ण राशि वसूल की जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। पूर्व स्थापित लाइनों के नीचे लोगों के द्वारा अवैध रूप से निर्माण कर लिये जाने के कारण जनक्षति व सामान का होने वाले नुकसान के लिए अवैध निर्माणकर्ता का उत्तरदायित्व है ।

पाली जिले में देवनारायण योजना पर व्यय राशि

144. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में जिला-पाली में देवनारायण योजना में किस-किस परिवार को लाभान्वित किया गया? वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(2) उक्त योजना के तहत गत तीन वर्षों में अन्य कौन-कौन से कार्य कहां-कहां करवाये गये एवं उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

(1) जिला पाली में गत तीन वर्षों में देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एवं अनुप्रति योजना में लाभान्वितों की वर्ष वार स्थिति निम्न प्रकार है :-

वित्तीय वर्ष	लाभान्वित संख्या	व्यय
2008-09	-	-
2009-10	-	-
2010-11	161	9.36 लाख

देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एवं अनुप्रति योजना 01.04.2010 से प्रारम्भ हुई है।

(2) देवनारायण योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 में 100 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत विकास कार्य ही सम्बन्धित विभागों द्वारा तीन वर्षों में पांच जिलों धौलपुर, अलवर, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर की 13 तहसीलें यथा सवाई माधोपुर की खण्डार व सवाई माधोपुर, अलवर की थानागाजी, बानसूर, राजगढ़ व अलवर, करौली की सपोटरा व नादौती, धौलपुर की सैपऊ एवं बाडी, झालावाड़ की झालरापाटन, अकलेरा एवं खानपुर तहसीलों में करवाये गये हैं। विकास कार्यों पर गत तीन वर्षों में वर्षवार व्यय की स्थिति निम्न प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	व्यय
2008-09	19.18 करोड़ रुपये
2009-10	23.61 करोड़ रुपये
2010-11	20.59 करोड़ रुपये
2011-12 (आदिनांक 28.02.2012 तक)	9.76 करोड़ रुपये

विभागवार करवाये गये विकास कार्यों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

देवनारायण योजनान्तर्गत विभागवार करवाये गये कार्यों एवं व्यय राशि का विवरण

(राशि करोड़ों में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों का विवरण	वर्ष 08-09	वर्ष 09-10	वर्ष 10-11	वर्ष 11-12 28.02.12	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	हैण्डपम्प स्थापना 1364	9.81	1.78	0.31	0.00	11.90
2	स्कूल शिक्षा विभाग (प्राथमिक एवं माध्यमिक)	20 नवीन प्रा.वि., 10 उ.प्रा.वि. से मा.वि., 16 मा.वि. से उ.मा.वि. में क्रमोन्नयन एवं विद्यालयों का संचालन व कक्षा कक्षों का निर्माण कार्य, कोचिंग कैम्प आदि कार्यक्रम	0.15	1.49	1.99	0.84	4.47
3	तकनीकी शिक्षा विभाग	आईटीआई भवन निर्माण एवं संचालन 6 बानसूर, सैपऊ, सपौटरा, नादौती, झालरापाटन, खण्डार	1.12	5.79	5.29	0.95	13.15
4	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना 207 एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण 152	0.49	3.59	4.40	5.22	13.70

1	2	3	4	5	6	7	8
5	डेयरी विभाग	महिला डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना 650 प्राकृतिक गर्भाधान हेतु बैलों का वितरण 130 Bulk Milk कूलर की स्थापना 40	4.00	5.41	0.00	0.00	9.41
6	सा.न्या.अ. विभाग	छात्रावास भवन निर्माण एवं संचालन 12 छात्रावास क्रमशः खण्डार, सवाई माधोपुर, अकलेरा, खानपुर, थानागाजी, बानसूर, राजगढ़, अलवर, सपोटरा, नादौती, सैपउ, बाड़ी	1.16	3.05	6.11	2.62	12.95
7	महिला एवं बाल विकास विभाग	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम एवं आंगनबाड़ी भवन निर्माण 195	0.00	2.50	2.49	0.13	5.11
8	सैनिक कल्याण विभाग	सै.वि. गृह, बानसूर अलवर, एवं झालावाड़	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95
9	देवस्थान विभाग	मंदिर जीर्णोद्धार कार्य 2 मन्दिर थाना (बूंदी) एवं आसींद (भीलवाड़ा), का जीर्णोद्धार	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
		योग :-	**19.18**	**23.61**	**20.59**	**9.76**	**73.14**

हनुमानगढ़ जिले में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लम्बित पेंशन प्रकरण

145. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वृद्धावस्था विकलांग तथा विधवा महिलाओं के पेंशन वितरण करने के नवीनतम मानदण्ड निर्धारित हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में जिला हनुमानगढ़ में वृद्धावस्था व विधवा महिलाओं को पेंशन के कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उनमें से कितनों को पेंशन वितरित की गई? वर्षवार व वर्गवार आवेदकों की संख्या तथा लाभार्थियों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के तहत कितने लोगों ने उक्त पेंशन के लिये आवेदन किया तथा कितनों को पेंशन स्वीकृत की गई? पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राज्य वृद्धावस्था, विधवा पेंशन देय है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों के पेंशन नियम 1965 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राज्य विकलांग पेंशन देय है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

भारत सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत एवं 40 से 59 वर्ष आयु की विधवाओं को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत तथा 18 से 59 वर्ष आयु के वे व्यक्ति जो बहुनि:शक्तता या गुरूत्तर नि:शक्तता से ग्रसित हैं, को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन देय है। आदेशों की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-3, 4 व 5 पर संलग्न है।

(2) विगत तीन वर्षों में हनुमानगढ़ जिले में वृद्धावस्था व विधवा

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

पेंशन के लिए प्राप्त आवेदनों एवं पेंशन वितरण का वर्षवार एवं वर्गवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन		पेंशन वितरण	
	वृद्धावस्था	विधवा	वृद्धावस्था	विधवा
2008-09	857	791	848	770
2009-10	588	551	541	462
2010-11	1028	721	926	632

(3) "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम के तहत हनुमानगढ़ जिले में प्राप्त आवेदन एवं स्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों का पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

फलौदी विधान सभा क्षेत्र में नवीन आवासीय विद्यालय

146. श्री ओम जोशी (फलौदी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य के कई जिलों में आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं?राज्य में संचालित आवासीय विद्यालयों की जिलेवार सूची अध्ययन कर रहे छात्र/ छात्राओं की संख्या सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त आवासी विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये कोई नियम तय कर रखें हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर में संचालित आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत पदों में से कई पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय में कौन कौन से?

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फलौदी में नये आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। आवासीय विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्र/छात्राओं को उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है।

राज्य में संचालित आवासीय विद्यालयों की जिलेवार सूची एवं अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। निमयों की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिला जोधपुर में एक मात्र आवासीय विद्यालय मण्डोर में संचालित है, जिसमें वाणिज्य व्याख्याताओं के तीन पद शैक्षणिक सत्र 2009-10 से रिक्त चल रहे हैं व एक पद वार्डन का 23.09.2011 से रिक्त है।

(4) अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है तथा रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु समय-समय पर शिक्षा विभाग में उच्च स्तर पर आग्रह किया जाता रहा है।

(5) जिला जोधपुर के विधान सभा क्षेत्र फलौदी में आवासीय विद्यालय खोलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2011-12 में जिलेवार अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सूची

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	जिला	अध्ययननरत छात्र/छात्राऐं
1.	बालक आवासीय विद्यालय, मण्डोर	जोधपुर	537
2.	बालक आवासीय विद्यालय, केनपुरा	पाली	414
3.	बालक आवासीय विद्यालय, खेडाआसपुर	डूंगरपुर	400
4.	बालक आवासीय विद्यालय, बगडी	दौसा	419
5.	बालक आवासीय विद्यालय, अटरू	बारां	191
6.	बालक आवासीय विद्यालय, हरियाली	जालौर	270
7.	बालक आवासीय विद्यालय, मण्डाना	कोटा	105
8.	बालक आवासीय विद्यालय, धनवाडा	झालावाड़	106
9.	बालिका आवासीय विद्यालय, खोडन	बांसवाड़ा	522

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	जिला	अध्ययनरत छात्र/छात्राऐं
10.	बालिका आवासीय विद्यालय, भैंसवाडा	जालौर	542
11.	बालिका आवासीय विद्यालय, हिंगी	कोटा	540
12.	बालिका आवासीय विद्यालय, पावटा	नागौर	485
13.	बालिका आवासीय विद्यालय, छाण	सवाई माधोपुर	536
14.	बालिका आवासीय विद्यालय, आटूण	भीलवाड़ा	514
15.	बालिका आवासीय विद्यालय, वजीरपुरा	टोंक	244

परिशिष्ट 'ब'

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक/ बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी नियम

गैर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में स्थापित आवासीय विद्यालयों में 80 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति के लिए, 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु, 7 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 1 प्रतिशत विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित है तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में स्थापित आवासीय विद्यालयों में 80 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए, 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 7 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 1 प्रतिशत विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है।

कुल रिक्त स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थान स्थानीय जिले के छात्र/ छात्राओं से तथा शेष 50 प्रतिशत स्थान राज्य के अन्य जिलों के छात्र/छात्राओं से भरे जाते हैं। उपरोक्त मापदण्डों के पश्चात स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रतिपूरक वर्गों एवं जिलों के छात्र/छात्राओं से भरे जायेंगे।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, विधवाओं के बालक-बालिका व अनाथ को प्राथमिकता। इसके उपरान्त स्थान रिक्त रहने की स्थिति में एक लाख रुपये तक आय सीमा वाले परिवारों के छात्र/छात्राओं से भरे जा सकेंगे।

मण्डाना जिला कोटा में विशिष्ट रूप से भिक्षावृत्ति एवं अवांछित गतिविधियों में लिप्त परिवारों के बालकों के लिए तथा धनवाड़ा (झालावाड़) एवं हरियाणी (जालौर) में पशुपालकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय संचालित है, जिनमें सम्बन्धित वर्ग के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाता है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (वंचित वर्ग) के गरीब प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को उनके द्वारा पिछली उत्तीर्ण कक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

प्रवेश हेतु राज्य स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

राज्य में बाल अपराधों की रोकथाम पर व्यय राशि

147. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में बाल अपराध रोकने तथा बाल अपराधियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार की योजना चलाई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में उक्त योजनाओं के लिए कितनी राशि आबंटित की गई तथा उसमें से कितनी राशि व्यय की गयी? वर्षवार, जिलेवार, आबंटित राशि, व्यय राशि व लाभान्वित बालक/बालिका की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा संचालित सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृहों में विधि से संघर्षरत किशोर एवं किशोरियों को किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों से रखा जाता है। ऐसे बच्चों का ठहराव अल्पकालिक होता है। गृह में रहने की अवधि के दौरान गृह में नियुक्त परामर्शदाता/अधीक्षक इस प्रकार के बच्चों की काउंन्सलिंग करते हैं एवं भविष्य में अपराध न करने की प्रेरणा दी जाती है।

(2) राज्य सरकार द्वारा संचालित सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृहों में आवासित बालक/बालिकाओं पर आबंटित एवं व्यय राशि तथा लाभान्वितों का विगत तीन वर्षों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट 'अ'

राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृहों में आवासित बालक/बालिकाओं पर वर्षवार जिलेवार आबंटित राशि/व्यय राशि कुल लाभान्वितों का विवरण

	संस्था का नाम	जिला	वर्षवार आबंटन			वर्षवार व्यय			वर्षवार लाभान्वित					
			2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09		2009-10		2010-11	
									बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, कोटा	कोटा	17.18	23.54	16.32	17.65	23.54	16.32	180	0	126	0	144	0
2	राजकीय अपचारी बालिका गृह, कोटा		8.61	8.96	7.42	8.5	8.96	7.42	0	25	0	32	0	16
3	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, अजमेर	अजमेर	26.68	29.34	30.93	26.68	29.34	30.93	130	0	141	0	143	0
4	राजकीय अपचारी बालिका गृह, अजमेर		8.61	11.07	11.78	11.52	11.07	11.78	0	40	0	29	0	29
5	राजकीय किशोर गृह, जयपुर	जयपुर	42.17	50.36	49.6	40.48	50.36	49.6	266	0	315	0	393	0
6	राजकीय बालिका गृह, जयपुर		31.65	45.47	47.13	41.54	45.47	47.13	0	209	0	64	0	169
7	राजकीय किशोर, गृह, जोधपुर	जोधपुर	30.72	35.17	17.96	30.04	35.17	17.96	116	0	69	0	95	0
8	राजकीय अपचारी बालिका गृह, जोधपुर		11.81	13.27	10.61	11.81	13.27	10.61	0	18	0	4	0	26

	संस्था का नाम	जिला	वर्षवार आबंटन			वर्षवार व्यय			वर्षवार लाभान्वित					
			2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09		2009-10		2010-11	
									बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
9	राजकीय किशोर गृह, बीकानेर	बीकानेर	22.88	28.51	1.41	21.64	28.51	1.41	96	0	84	0	67	0
10	राजकीय अपचारी बालिका गृह, बीकानेर		10.84	8.48	11.2	5.94	8.48	11.2	0	9	0	19	0	24
11	राजकीय किशोर गृह, उदयपुर	उदयपुर	21.42	28.7	21.26	21.34	28.7	21.26	591	0	30	0	448	0
12	राजकीय अपचारी बालिका गृह, उदयपुर		10.22	11.33	10.58	10.83	11.33	10.58	0	24	0	7	0	38
13	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, अलवर	अलवर	11.23	15.64	12.78	10.9	15.64	12.78	97	2	21	2	130	1
14	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, भरतपुर	भरतपुर	9.22	10.64	14.39	9.29	10.64	14.39	94	3	59	0	79	0
15	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, दौसा	दौसा	8.43	12.93	10.74	8.25	12.93	10.74	17	0	32	0	31	0
16	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, धौलपुर	धौलपुर	6.84	7.05	6.77	7.09	7.05	6.77	38	0	44	2	33	0
17	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, सीकर	सीकर	5.93	5.6	3.26	5.93	5.6	3.26	37	1	67	0	53	0
18	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, झुन्झुनूं	झुन्झुनूं	7.59	8.29	4.39	6.74	8.29	4.39	32	0	0	0	32	0

	संस्था का नाम	जिला	वर्षवार आबंटन			वर्षवार व्यय			वर्षवार लाभान्वित					
			2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09		2009-10		2010-11	
									बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
19	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, श्रीगंगानगर	श्री गंगानगर	5.49	4.37	10.36	4.01	4.37	10.36	0	0	0	0	77	5
20	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, चूरू	चूरू	18.87	9.43	7.82	15.58	9.43	7.82	20	0	19	1	49	0
21	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	7.15	4.52	0.89	0	4.52	0.89	0	0	0	0	0	0
22	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, टोंक	टोंक	9.25	8.87	6.62	4.05	8.87	6.62	41	3	48	4	51	0
23	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	12.05	8.56	6.5	6.54	8.56	6.5	68	0	82	0	81	0
24	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नागौर	नागौर	11.31	15.82	11.76	6.73	15.82	11.76	15	0	37	0	29	0
25	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बारां	बारां	9.25	6.8	12.62	9.25	6.8	12.62	68	1	87	1	50	1
26	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बूंदी	बूंदी	6.69	6.27	3.69	6.58	6.27	3.69	34	0	34	0	49	0
27	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, झालावाड़	झालावाड़	8.99	6.1	10.33	8.99	6.1	10.33	62	0	29	0	145	2
28	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	5.49	7.59	8.06	5.49	7.59	8.06	70	1	1	0	37	0

	संस्था का नाम	जिला	वर्षवार आबंटन			वर्षवार व्यय			वर्षवार लाभान्वित					
			2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09		2009-10		2010-11	
									बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
29	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, करौली	करौली	16.8	8.36	9.07	7.7	8.36	9.07	21	0	27	0	38	0
30	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, डूंगरपुर	डूंगरपुर	8.1	8.42	7.65	8.06	8.42	7.65	18	0	7	0	71	25
31	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, राजसमंद	राजसमंद	11.7	9.53	10.6	9.7	9.53	10.6	84	0	37	0	36	1
32	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	5.02	8.31	6.75	5.02	8.31	6.75	8	0	34	2	32	0
33	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	2.46	3.6	3.57	2.14	3.6	3.57	5	0	5	0	0	0
34	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जैसलमेर	जैसलमेर	9.49	9.08	9.57	9.35	9.08	9.57	12	0	15	0	29	0
35	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बाड़मेर	बाड़मेर	5.56	6.75	6.01	5.5	6.75	6.01	13	0	7	0	20	0
36	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, सिरोही	सिरोही	2.94	4.51	3.22	2.93	4.51	3.22	0	0	0	0	0	0
37	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जालौर	जालौर	4.44	5.29	5.95	3.65	5.29	5.95	10	0	2	0	12	0
38	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, पाली	पाली	3.66	5.96	3.96	2.77	5.96	3.96	13	0	24	0	28	0

बस्सी पंचायत समिति में वृद्घावस्था/विधवा/विकलांगों को स्वीकृत पेंशन

148. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक पंचायत समिति बस्सी जिला जयपुर में कितने वृद्घावस्था/ विधवा/विकलांगों ने पेंशन हेतु आवेदन किया? श्रेणीवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदकों में से सरकार द्वारा किन-किन को पेंशन स्वीकृत की गई और शेष को पेंशन नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे? व्यक्तियों के नाम एवं पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर में निम्नानुसार वृद्घावस्था, विधवा एवं विकलांग आवेदकों ने पेंशन हेतु आवेदन किया :-

क्र. सं.	श्रेणी	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1	वृद्घावस्था	1429
2	विधवा	1068
3	विकलांग	366
	योग-	**2863**

(2) कुल प्राप्त 2863 आवेदनों में से 2671 आवेदकों को विभिन्न श्रेणियों में पेंशन स्वीकृत की गई। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। विभिन्न पेंशन श्रेणियों के कुल 192 आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं जिनका अस्वीकृति के कारण सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

149. डा. [श्रीमती] परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा राज्य में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत कौन-कौन से

(डा. (श्रीमती) परमनवदीव सिंह)

कार्यक्रम व योजनायें संचालित की जा रही हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से जनवरी, 2012 तक स्वीकृत राशि, उपलब्ध राशि व व्यय राशि का मदवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार से उक्त अवधि में स्वीकृत राशि, उपलब्ध राशि व व्यय राशि का मदवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रम व योजनाओं का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) बीस सूत्रीय कार्यक्रम पृथक से योजना विशेष नहीं है। इसमें योजनाओं का समूह है एवं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिये पृथक से प्रावधान नहीं किया जाता है। विभिन्न विभागों को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की योजनाओं में आबंटित राशि से ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम में समाहित योजनाओं के कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

(3) उपरोक्तानुसार

परिशिष्ट ''अ''

बीस सूत्री कार्यक्रम में 20 मदों की मासिक आधार पर मानिटरिंग की जाती है। मासिक रूप से मानिटरिंग की जा रही 16 मदों के संबंध में प्रगति रिपोर्ट राज्य द्वारा और बाकी 4 मदों के सम्बन्ध में सम्बन्धित नोडल मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाती है। प्रदेश में वर्तमान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम-2006 के अन्तर्गत क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रम व योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजना	मद	विशेष विवरण
1	गरीबी हटाओ	1- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के अधीन रोजगार पैदा करना	सभी जिलों में लागू
		2- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	सभी जिलों में लागू
		3- स्वसहायता ग्रुप जिन्हे आय अर्जन के कार्यकलाप प्रदान किए गए।	सभी जिलों में लागू
2	किसान मित्र	4- भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नये नियम 2007 के अनुसार भारत सरकार के कार्यक्रम के अनुसार पृथक से भूमिहीन परिवारों को वेस्ट लैण्ड का आबंटन संभव नहीं है।
3	श्रमिक कल्याण	5- न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म श्रमिकों सहित)	सभी जिलों में लागू
4	खाद्य सुरक्षा	6- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्त्योदय अन्न योजना	सभी जिलों में लागू परन्तु मानिटरिंग केन्द्रीय नोडल मंत्रालय द्वारा की जा रही है।
5	सबके लिए आवास	7- ग्रामीण आवास-इन्दिरा आवास योजना	सभी जिलों में लागू

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजना	मद	विशेष विवरण
		8- शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग आवास	सभी जिलों में लागू परन्तु क्रियान्विति आवासन मण्डल, नगरीय विकास न्यास/स्थानीय निकायों पर निर्भर हैं।
6	शुद्ध पेयजल	9- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सभी जिलों में लागू
7	जन-जन का स्वास्थ्य	10- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम	सभी जिलों में लागू परन्तु मानिटरिंग केन्द्रीय नोडल मंत्रालय द्वारा की जा रही है।
		11- सांस्थानिक प्रसव	सभी जिलों में लागू
8	अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	12- सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार	सभी जिलों में लागू
9	बाल कल्याण	13- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का वैश्वीकरण	सभी जिलों में लागू
		14- क्रियाशील आंगनबाड़ियां	सभी जिलों में लागू
10	बस्ती सुधार	15- सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार	सभी जिलों में लागू परन्तु क्रियान्विति स्थानीय निकायों पर निर्भर है।
11	पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि	16- सार्वजनिक एवं वन भूमि पर वन रोपण	सभी जिलों में लागू
12	ग्रामीण सड़क	17- ग्रामीण सड़कें–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	सभी जिलों में लागू
13	ग्रामीण ऊर्जा	18- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	सभी जिलों में लागू
		19- पम्पसैटों को बिजली	सभी जिलों में लागू
		20- विद्युत आपूर्ति	सभी जिलों में लागू परन्तु मानिटरिंग केन्द्रीय नोडल मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

प्रदेश में पशुपालकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

150. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्तमान में पशुपालकों के कल्याण हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में किस-किस योजना पर कितना-कितना अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में पशुपालकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट अ पर उपलब्ध है।

(2) इन योजनाओं में दिया जाने वाला अनुदान परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है ।

परिशिष्ट–अ

प्रदेश में पशुपालकों के कल्याण के लिए राजकीय अनुदानित योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुदान
1	भेड़ बीमा योजना (अविका कवच)	25 प्रतिशत
2	भेड़पालक बीमा योजना (अविकापाल)	25 प्रतिशत
3	भेड़रक्षक बीमा योजना (अविकारक्षक)	33.33 प्रतिशत
4	ऊंट बीमा योजना	25 प्रतिशत
5	ऊंटपालक बीमा योजना	25 प्रतिशत
6	ऊंटरक्षक बीमा योजना	33.33 प्रतिशत
7	गाय बीमा योजना (कामधेनु)	50 प्रतिशत
8	गोपालक बीमा योजना	25 प्रतिशत
9	गोरक्षक बीमा योजना	33.33 प्रतिशत
10	भैंस बीमा योजना	50 प्रतिशत
11	सरस सुरक्षा कवच (जनश्री एवं दुर्घटना बीमा)	सामान्य जाति-55 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति/ महिला-70 प्रतिशत

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुदान
12	सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना	70 प्रतिशत
13	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (नेशनल मिशन फार प्रोटीन सप्लीमेंट) 1. उन्नत पशु क्रय 2. ठाण छप्पर योजना 3. मिल्को टैस्टर 4. प्लान्ट मशीनरी का आधुनिकीकरण	 25 प्रतिशत 25 प्रतिशत 50 प्रतिशत 50 प्रतिशत
14	प्राकृतिक परिसेवा हेतु सांड क्रय	2000 रुपये प्रति सांड/पाड़ा
15	बछड़ा पालक पशुपालक के द्वार	10000 रुपये प्रति बछड़ा/पाड़ा
16	केन्द्रीय प्रवर्तित पशुधन बीमा योजना (22 जिलों में)	50 प्रतिशत
17	राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र अभिकरण (भारत सरकार) जिला नागौर के लिए पशुधन केन्द्रित पायलेट स्टडी मेढा एवं बकरा क्रय हेतु	5000 रुपये प्रति मेढा/बकरा
18	केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड (भारत सरकार) द्वारा भेड़पालकों को मेढा क्रय हेतु	5000 रुपये प्रति मेढा
19	डेयरी उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत	सामान्य श्रेणी 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को 33.33 प्रतिशत
	1. लघु डेयरी (10 पशु) इकाइयों की स्थापना	
	2. बछड़ी पालन	
	3. वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना	
	4. मिल्किंग मशीन (दुग्ध दोहन मशीन)/मिल्को टेस्टर/वृहद दुग्ध अवशीतन इकाइयां (क्षमता 2000 लीटर)	
	5. डेयरी उत्पादों के परिवहन एवं कोल्ड चेन सुविधाओं की स्थापना।	

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुदान
	6. दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा	
	7. डेयरी विपणन केन्द्र (मार्केटिंग आउटलेट)/डेयरी पार्लर	
20	साख सम्बद्ध अनुदानित योजनाएं	सामान्य श्रेणी 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व जनजाति को 33.33 प्रतिशत
	1. भेड़ व बकरी पालन के लिये एकीकृत विकास योजना	
	2. शूकर प्रजनन फार्म की स्थापना	परियोजना लागत (अधिकतम 6 लाख) का 25 प्रतिशत अनुदान
	3. भैंस पाड़ा बछड़ा पालन योजना (1 से 9 भैंस पाड़ा बछड़ों की ईकाई पर)	अल्प अवधि ऋण के लिये ब्याज पर 100 प्रतिशत अनुदान
	4. भैंस पाड़ा बिछला पालन योजना (10 से 50 भैंस पाड़ा बछड़ों की इकाई पर)	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान तथा ब्याज पर अनुदान नहीं
21	केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत विभिन्न चारा विकास योजना	
	1. फोडर ब्लॉक मेंकिग यूनिट	इकाई लागत का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में अधिकतम 42.50 लाख रुपये।
22	ग्रास लैण्ड डवलपमेंट इन्क्लूडिंग ग्रास रिजर्व	
	1. गौचर/सामुदायिक/बंजर भूमि (भूमि उपचारण की दशा में)	अधिकतम 10.00 लाख
	2. गौचर/सामुदायिक/बंजर भूमि (भूमि बिना उपचारण की दशा में)	अधिकतम 8.50 लाख
	3. गौशाला/राजकीय फार्म के लिए	अधिकतम 6.50 लाख

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुदान
	4. वनभूमि/ग्रास लैण्ड इन रिमूव एरिया	अधिकतम 5.00 लाख
	5. एकल किसान	अधिकतम 1.50 लाख
	6. चारा बीज संग्रहण एवं वितरण	75 प्रतिशत अनुदान
	7. साइलेज बनाने की इकाई स्थापित करना	100 प्रतिशत सहायता अधिकतम रु. 1.05 लाख रुपये प्रति इकाई
	8. अजौला कल्टीवेशन एण्ड प्रोडक्शन	रु. 5000 प्रति इकाई का 50 प्रतिशत अनुदान
	9. मिनरल मिक्सचर/फीड पेलेटिंग/ फीड मेन्यूफेक्चरिंग इकाई स्थापित करना	इकाई लागत का 25 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 25.00 लाख।
	10. हस्तचलित चारा काटने की मशीन	हस्तचलित कुतर मशीन अधिकतम रुपये 5000/- पर 75 प्रतिशत अनुदान
	11. ऊर्जा चलित चारा काटने की मशीन	मोटर चलित कुतर मशीन, अधिकतम रुपये 20000/- पर 75 प्रतिशत अनुदान।

ग्राम सेवा सहकारी समिति विहिन ग्राम पंचायतें

151. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें ग्राम सेवा सहकारी समिति स्थापित है एवं कितनी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश की कुल 9177 ग्राम पंचायतों में से 5370 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति स्थापित हैं एवं 3807 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति स्थापित नहीं है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) ग्राम पंचायत स्तर से प्रस्ताव होने तथा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने पर नियमानुसार ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

परिशिष्ट-1

ग्राम पंचायत एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायत में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समितियों की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या, जहां ग्राम सेवा सहकारी समिति स्थापित नहीं है
1	अजमेर	276	150	126
2	अलवर	472	299	173
3	बांसवाड़ा	307	133	174
4	बारां	214	143	71
5	बाड़मेर	380	244	136
6	भरतपुर	371	267	104
7	भीलवाडा	383	274	109
8	बीकानेर	219	136	83
9	बून्दी	181	121	60
10	चित्तौड़गढ़	288	154	134
11	चूरू	249	159	90
12	दौसा	225	129	96
13	धौलपुर	153	95	58
14	डूंगरपुर	237	101	136
15	गंगानगर	320	297	23
16	हनुमानगढ़	251	165	86
17	जयपुर	489	264	225
18	जैसलमेर	128	72	56
19	जालौर	264	137	127
20	झालावाड़	252	148	104
21	झुन्झुनूं	288	153	135
22	जोधपुर	339	224	115
23	करौली	223	77	146

क्र. सं.	नाम जिला	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायत में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समितियों की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या, जहां ग्राम सेवा सहकारी समिति स्थापित नहीं है
24	कोटा	156	118	38
25	नागौर	461	251	210
26	पाली	320	201	119
27	प्रतापगढ़	152	79	73
28	राजसमंद	205	81	124
29	स. माधोपुर	197	111	86
30	सीकर	329	186	143
31	सिरोही	151	61	90
32	टोंक	230	172	58
33	उदयपुर	467	168	299
	योग	**9177**	**5370**	**3807**

शांतिनगर गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर के दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

152. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर की शिक्षक विहार आवासीय योजना के भू-आबंटियों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर सरकार द्वारा कराई गई जांच में समिति पदाधिकारीगण एवं भूमि खातेदारों को दोषी पाये जाने पर न्यायालय में आपराधिक षड्यन्त्र का केस दायर किया गया है? यदि हां, तो कब किस-किस के विरुद्ध एवं अब तक किस-किस को गिरफ्तार किया।

(2) क्या उक्त मामले में संलिप्त भू-माफियों, समिति पदाधिकारी एवं भूमि खातेदारों को गिरफ्तार किया जाकर जमानत पर छोड़ा गया है? यदि हां, तो कब? प्रकरण की वर्तमान स्थिति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या समिति सदस्यों को आवंटित उक्त भूमि को एक प्रभावी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

राजनेता ने भू-माफियाओं से मिलकर अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री करा ली है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि समिति पदाधिकारियों के दोषी पाये जाने पर सरकार द्वारा समिति भंग कर प्रशासक नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो कब और उक्त प्रशासक द्वारा समिति पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार समिति के भू-आबंटियों को कोई राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं किस प्रकार?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 में आयोजित विशेष सहकारी अभियान के दौरान शिक्षक विहार आवासीय योजना के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर समिति के निम्न वर्तमान एवं भूतपूर्व प्रबन्धकारिणी के विरुद्ध दिनांक 27.04.1990 को शिविर प्रभारी द्वारा थाना मालवीय नगर में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई:-

1 श्री कैलाश चन्द अग्रवाल-अध्यक्ष

2 श्री मोहनलाल अग्रवाल-मंत्री

3 श्री मखन्न लाल गर्ग-उपाध्यक्ष

4 श्रीमती उषा अग्रवाल-कोषाध्यक्ष

5 श्री दाउदयाल अग्रवाल-सदस्य प्रबन्ध समिति

6 श्रीमती बबीता देवी-सदस्य

7 श्री नन्द सिंह शेखावत-सदस्य

8 श्री सांवरमल गर्ग-पूर्व प्रबन्धकारिणी

9 श्री रमेश पुत्र श्री मोहन लाल

10 श्री विनोद कुमार पुत्र उमाशंकर-उपाध्यक्ष

11 श्री मोहनलाल पुत्र प्रहलाद राय-मंत्री

12 श्री विनय कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द-कोषाध्यक्ष

13 श्री मोहन पुत्र श्री सीताराम14 श्री नन्द सिंह पुत्र श्री नेग सिंह

15 श्री नृसिंह पुत्र श्री चौथमल

16 श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री गुलाब चन्द

17 श्री मोहन लाल अग्रवाल-कोषाघ्यक्ष

(सहकारिता मंत्री)

निम्न व्यक्तियों के विरुद्ध चार्जशीट नम्बर 162/91 व मुलजिम बनाये जाकर गिरफ़्तार किया गया-

1. श्री महेश अग्रवाल पुत्र श्री द्वारका प्रसाद, उम्र 35 साल, प्लाट नं. डी-1, द्वारकापुरी संजय कालोनी, पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर। गिरफ्तार दिनांक 07.08.1991
2. श्री मदन लाल पुत्र छगन लाल, जाति ब्राह्मण, उम्र 51 साल, ए-1, करतारपुरा, रावजी का बाग, सोडाला, जयपुर। गिरफ्तार दिनांक 09.08.1991
3. श्री विनय कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, उम्र 40 साल, डी-9, संजय कालोनी, शास्त्री नगर, जयपुर । अग्रिम जमानत दिनांक 26.06.1991
4. श्री रामनाथ पुत्र श्री नन्दाराम, जाति मीणा, उम्र 35 साल, जगतपुरा, जयपुर। गिरफ्तार दिनांक 23.12.1991
5. श्री रामजीलाल पुत्र श्री फूलचन्द, उम्र 30 वर्ष, जगतपुरा, पुलिस थाना, मालवीय नगर, जयपुर । गिरफ्तार दिनांक 23.12.1991
6. श्री जगदीश पुत्र फूलचन्द, जाति मीणा, उम्र 34 साल, पुलिस थाना, मालवीय नगर, जयपुर। गिरफ्तार दिनांक 23.12.1991
7. श्री रामगोपाल पुत्र श्री कल्याण, जाति ब्राह्मण, उम्र 35 साल, रूपारामपुरा, जे.पी. कालोनी, जयपुर। गिरफ्तार दिनांक 23.12.1991
8. श्री नेतीराम पुत्र श्री श्योराम, जाति मीणा, उम्र 38 साल, जे.पी. कालोनी, जयपुर। गिरफ्तार दिनांक 23.12.1991
9. श्री रूपनारायण पुत्र श्री बक्शा मीणा, उम्र 40 साल, जगतपुरा, जयपुर। गिरफ्तार दिनांक 23.12.1991
10. श्री मोहन लाल पुत्र श्री प्रहलाद राम, जाति ब्राह्मण, उम्र 23 साल, डी-8, द्वारकापुरी, संजय कालोनी, शास्त्री नगर, जयपुर । गिरफ्तार दिनांक 23.12.1991

(2) इस संबंध में दर्ज मामला/प्र करण संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) विभाग में इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(4) जी हां। पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर के आदेश

(सहकारिता मंत्री)

क्र.फा. 15(7)सविरा/नियम/95/हाउ/प्रशासक दिनांक 07.07.1995 से राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा-36 (1-ख) के अन्तर्गत इस समिति में प्रशासक की नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई थी। प्रशासक को समिति द्वारा रिकार्ड नहीं उपलब्ध कराये जाने पर तत्समय प्रभावी राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा-132 के तहत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर के यहां प्रसंज्ञान प्रस्तुत किया गया, जो कि विचाराधीन है एवं वर्तमान में समिति द्वारा अवसायक को भी रिकार्ड नहीं दिये जाने पर दिनांक 07.07.2011 को एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है।

(5) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा- 58 के तहत भू-आबंटी राहत पा सकता है।

मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टे

153. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के पंचायत समिति रानी व मारवाड़ जं. की समस्त ग्राम पंचायतों में वर्ष जनवरी, 2008 से 2011 तक कितने आवेदन पट्टे हेतु प्राप्त हुए? आवेदकों के नाम सहित वर्षवार, ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदकों में से किन-किन को पट्टे जारी किये गये और किन-किन के रोके गये? रोके जाने का कारण सहित ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) अब उक्त पट्टे कब तक जारी कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के पंचायत समिति रानी व मारवाड़ जं. की समस्त ग्राम पंचायतों में वर्ष जनवरी, 2008 से 2011 तक क्रमशः 2406 एवं 4019 आवेदन पट्टे हेतु प्राप्त हुए। आवेदकों के नाम सहित वर्षवार, ग्राम पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट-क

(2) उक्त आवेदकों में से जिन-जिन आवेदकों को पट्टे जारी किये गये हैं और जिन-जिन आवेदकों के पट्टे रोके गये हैं उनकी रोके जाने का

(पंचायती राज मंत्री)

कारण सहित ग्राम पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । परिशिष्ट-क

(3) उक्त पट्टों को जारी करने के संबंध में अवधि विवरण उनके नाम के आगे अंकित कर दिया गया है । परिशिष्ट-क

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-154

(स्थगित)

मेवात विकास योजनान्तर्गत व्यय राशि

155. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार मेवात क्षेत्र में शैक्षणिक, सांस्कृतिक व अन्य विकास कार्यों हेतु मेवात विकास योजना की मौजूदा राशि में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी और कब तक?

(2) गत तीन वर्षों में मेवात विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में क्या-क्या व कितनी-कितनी राशि की लागत से विकास कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं । वर्ष 2011-12 में इस योजना के तहत राशि की बढ़ोतरी की जाकर प्रावधान 15.00 करोड़ किया गया है ।

(2) मेवात क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों में कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

कार्यालय जिला परिषद, भरतपुर (राज.)

मेवात जिला विकास कार्यक्रम स्वीकृत कार्यों का गतिविधिवार विवरण

28.02.2012

क्र.सं.	जिला	गतिविधि	योग	
			स्वी. कार्य	राशि
	अलवर	वर्ष 2008-09		
		शमशान/कब्रिस्तान की चारदीवारी	57	422.21
		वर्ष 2009-10		

क्र. सं.	जिला	गतिविधि	योग	
			स्वी. कार्य	राशि
		वर्ष 2009-10		
		शमशान/कब्रिस्तान की चारदीवारी	198	410.83
		वर्ष 2010-11		
		जिला मुख्यालय पर बालिका आवासीय छात्रावास	1	285.80
		योग	**256**	**1118.84**
	भरतपुर	वर्ष 2008-09		
1		शमशान/कब्रिस्तान की चारदिवारी	55	114.25
2		शिक्षा	4	6.00
3		स्वास्थ्य	2	28.00
		वर्ष 2009-10		
1		शमशान/कब्रिस्तान की चारदिवारी	68	183.80
2		शिक्षा	6	14.00
3		स्वास्थ्य	0	0.00
4		सीसी रोड/ईंट खरंजा	34	71.65
5		पेयजल	12	15.75
6		अन्य/सामुदायिक भवन/पटवार घर	5	14.50
		वर्ष 2010-11		
		कोई कार्य स्वीकृत नहीं	0	0.00
		योग	**186**	**447.95**

भीम विधान सभा क्षेत्र में विधायक मद से प्राप्त अनुशंसाओं की क्रियान्विति

156. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में विधायक मद से वर्ष 2008 से जनवरी, 2012 तक क्षेत्रीय विकास हेतु कितनी अनुशंसायें किन-किन कार्यों हेतु भेजी गई? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अनुशंसाओं में कितनी अनुशंसाओं की सरकार द्वारा वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वीकृति दी गई? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह रावत)

(3) उक्त प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति मिलने के उपरान्त कितनी अनुशंसाओं पर कार्य पूर्ण कर लिया गया तथा कितनी अनुशंसाओं का कार्य अभी अपूर्ण हैं? पृथक-पृथक सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कार्यों में से कितने कार्यों को निरस्त कर दिया गया? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम मे विधायक मद से क्षेत्रीय विकास हेतु वर्ष 2008 से अब तक जिन कार्यो की अनुशंसाएं भेजी गई हैं उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट के कॉलम संख्या 2,3 व 4 पर अंकित हैं ।

(2) उक्त अनुशंसाओं में से जारी की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का विवरण संलग्न परिशिष्ट के कॉलम संख्या 5 से 8 पर अंकित हैं।

(3) उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिलने के उपरान्त अनुशंसित कार्यों में से पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
2008-09	60	0	0
2009-10	52	3	2
2010-11	55	15	0
2011-12	40	32	2

कार्यवार विवरण संलग्न परिशिष्ट के कालम संख्या 11 पर अंकित है।

(4) उक्त कार्यों में से निरस्त किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	पूर्ण
2008-09	60
2009-10	52
2010-11	55
2011-12	40

(ग्रामीण विकास मंत्री)

कारण सहित विवरण संलग्न परिशिष्ट के कालम संख्या 12 पर अंकित है ।

(5) जी हां । योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों को कार्य की प्रकृति एवं जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले वर्षो में स्वीकृत कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में एवं इस वर्ष स्वीकृत कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करा लिये जायेंगे ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले हेतु मनरेगा योजना में आवंटित राशि

157. **श्रीमती गंगा बेन गरासिया** (पिण्डवाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सिरोही में वर्ष 2011-12 में मनरेगा योजना में सामग्री मद में किस-किस ग्राम पंचायत को कब-कब किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? उक्त अवधि में स्वीकृत पक्के कार्यों की पंचायतवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवंटित राशि में से कितनी राशि सामग्री मद में अब तक व्यय की गई?ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सिरोही में वर्ष 2011-12 में मनरेगा योजना में सामग्री मद में पंचायतों को हस्तान्तरित की गई राशि का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। योजनान्तर्गत राशि कार्यवार आवंटित/हस्तान्तरित नही की जाती है बल्कि ग्राम पंचायत के रिवाल्विंग फण्ड में राशि का हस्तानान्तरण किया जाता है।

स्वीकृत किये गये पक्के कार्यों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) सामग्री मद में व्यय की गई राशि का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा योजना हेतु प्रस्तावित ग्राम

158. **श्री महेन्द्र सिंह** (नसीराबाद) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री महेन्द्र सिंह)

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत कितने-कितने कार्य करवाये गये? योजनावार, ग्रामवार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत आगामी वर्षों में सरकार किस-किस ग्राम को लाभान्वित करने का विचार रखती है? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में गत तीन वर्षों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की वर्षवार एवं ग्राम पंचायतवार सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजना राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है एवं तदनुसार ही सभी ग्रामीण क्षेत्रों को लाभान्वित किया जाना है। योजना मांग आधारित योजना है। अत: सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में रोजगार की मांग के आधार पर ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

बून्दी जिले में अल्पसंख्यकों को स्वीकृत ऋण

159. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अल्पसंख्यक ऋण योजना के तहत जिला बूंदी में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी द्वारा गत एक वर्ष में कुल कितने आवेदकों को ऋण स्वीकृत किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत ऋणों में किस-किस समाज के अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है? प्रतिशत वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सिख समाज के अल्पसंख्यकों को भी उक्त योजना के तहत ऋण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो बूंदी में श्री गुरूमुख सिंह स्व. श्री बेअन्तसिंह सिख निवासी गुरूनानक कालोनी बूंदी के ऋण आवेदन को क्यों निरस्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी जिले में वर्ष 2011-12 में विभाग द्वारा 11 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है। (परिशिष्ट-1)

(अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री)

(2) उक्त स्वीक़त ऋणों में मुस्लिम एवं सिक्ख समाज के लोगों को सम्मिलित किया गया है।

मुस्लिम समाज लाभान्वित 81.81%

सिक्ख समाज लाभान्वित 18.18%

(3) जी हां। श्री गुरूमुख सिंह पुत्र श्री बेअन्त सिंह निवासी गुरूनानक कालोनी बूंदी के आवेदन पत्र को निरस्त नहीं किया गया है। श्री गुरूमुख सिंह के प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2012 के आधार पर इनकी ऋण पत्रावली को ऋण स्वीकृति हेतु पंजाब नेशनल बैंक, बूंदी को भिजवा दिया गया है।

परिशिष्ट-1

अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम बून्दी द्वारा वर्ष 2011-12 में स्वीकृत आवेदन

क्र.सं.	नाम लाभान्वित	राशि
1	साजिद अली आत्मज श्री मगदूम अली	50000
2	सैयद आबीद अली आत्मज श्री सरफराज अली	50000
3	अब्दुल वहीद आत्मज श्री रजानू मो.	50000
4	जेनुल आबेदीन आत्मज जफर हुसैन	50000
5	वाजिद अली आत्मज श्री रईस अली	50000
6	लियाकत अली आत्मज श्री शफक्कत अली	50000
7	मोइनुद्दीन आत्मज श्री शाहाबुद्दीन	50000
8	मोहम्मद हफीज आत्मज श्री नूर मोहम्मद	50000
9	मोहम्मद पुत्र श्री मौलवी नजीर	40000
10	कुलवीर सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह	40000
11	मित्र सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह	40000
	योग	**5,20,000**

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-88 का विवरण)

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	सड़क का वर्गीकरण	कुल लम्बाई (कि.मी.)	क्षतिग्रस्त लम्बाई (किमी.)	स्वीकृत/ अनुमानित राशि (रु. लाख)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर-श्रीनगर-मालपुरा रोड किमी 18/0 से 21/0	MDR-6	19.00	3.00	24.00	13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगतिरत।
2	नसीराबाद-रामसर-मावासिया रोड किमी 18/80 से 22/0	ODR-3	19.50	3.20	25.60	13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगतिरत।
3	बाघसूरी-न्यारा-बांदनवाड़ा सड़क किमी 6/0 से 9/0	VR-40	9.00	3.00	24.00	13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगतिरत।

1	2	3	4	5	6	7
4	बनेवडा-आंसरी सडक किमी 5/0 से 9/500	VR-44	9.50	4.50	36.00	13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगतिरत।
5	भवनी खेड़ा से चैनपुरा	VR	1.50	1.50	12.00	13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगतिरत।
6	सम्पर्क सड़क मोतीपुरा	VR	1.20	1.20	9.60	13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगतिरत।
7	भवनी खेड़ा राजोसी सड़क 0/0 से 3/0, 7/0 से 9/0	VR	10.00	5.00	50.00	13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगतिरत।
8	रामसर रोड से ढाल-मण्डियाणी सड़क	VR	5.00	5.00	50.00	13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगतिरत।
9	नसीराबाद-मांगलियावास-पीसांगन सड़क	MDR-39	59.00	4.00	40.00	स्टेट हाईवे (प्लान) के अन्तर्गत नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगतिरत।
10	डूमाडा-भावता-पीसांगन सड़क	ODR-24	22.50	2.00	20.00	13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगतिरत।
	योग (1 से 10)		**156.20**	**32.40**	**291.20**	

1	2	3	4	5	6	7
	योग :- (1 से 10)		156.20	32.40	291.20	
11	नसीराबाद-मांगलियावास-पीसांगन-पादुकला सड़क किमी. 36/0 से 38/0, 43/0 से 47/0, 57/0 से 59/500	MDR-39	59.50	8.50	68.00	उक्त सभी सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त स्थिति में है, जिनकी मरम्मत एवं संधारण पेच रिपेयर/नवीनीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।
12	डुमाडा-भंवता-पीसांगन सडक किमी 17/0 से 21/400	ODR-24	9.50	4.40	35.20	
13	पीसांगन मेवाडिया करनोस सडक किमी 6/0 से 8/0, 11/0 से 12/500	VR-58	16.00	3.50	28.00	
14	पिचोलिया सवाईपुरा सड़क किमी 0/0 से 1/0	VR-268	4.20	1.00	8.00	
15	अजमेर नसीराबाद लोहरवाडा रामपुरा हनुतिया सड़क 4/0 से 7/0	VR	7.00	3.00	24.00	
16	अजमेर श्रीनगर अरांई मालपुरा 16/500 से 18/0	MDR-6	19.00	1.50	12.00	
17	जेठाना गोला रोड 0/0 से 3/800	VR	5.00	3.80	30.00	
	योग (11 से 17)		**120.20**	**25.70**	**205.20**	

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-91 की सूची)

प्रदर्श ''क''

राज्य पंजीकरण प्राधिकरण के अधीन
कार्यरत पंजीकृत निजी डेयरियों की सूची

क्रम संख्या	नाम एवं पता	क्षमता लीटर प्रतिदिवस
1	राजस्थान कृषि एण्ड दुग्ध जन्य उत्पादक सहकारी समिति लि., बीकानेर	10,000
2	जयपुर गोसंवर्धन समिति, जी' 251, डी, मानसरोवर, जयपुर	20,000
3	राजपुरोहित डेयरी, लाडपुरा रोड, गूगरा, अजमेर	25,000
4	लोटस डेयरी प्रोडक्टस प्राईवेट लि. रीको एरिया, जी-1, 104/158-59 बस्सी, जयपुर।	20,000
5	अनु मिल्क प्रोडक्टस प्राईवेट लि., वी.के.आई. जी -1/48-49, जयपुर	1,000 मै. टन देशी घी
6	श्री वृन्दावन डेयरीज, बी-1, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बस्सी, जयपुर	10,000
7	पालीवाल सन्स डेयरी प्राईवेट लि. ग्रोथ सेन्टर, एक्सटेशन, प्लाट नं. 475-76, धौलपुर।	10,000
8	भागीरथ डेयरी, आसनपुरा पोस्ट, कुचामन सिटी (नागौर)	30,000
9	मिल्कफूडस एडस प्रा. लि. ए 21, सार्दुलगंज, बीकानेर	10,000
10	गजानन्द मिल्क प्रोडक्स प्रा. लि. भीनमाल रोड, भागल, जालौर	35,000
11	वर्धमान मिल्क डेयरी प्रा. लि. ई-42 ई, रीको, कालाडेरा, जयपुर	1,00,000
12	प्रभुजी डेयरी फूड प्रोसेसर्स प्रा. लि. मनोहरपुर, देहली रोड, एन.एच. 8, जयपुर	1,50,000
13	एसेन्सियल मिल्क प्रोडयूसर का. लिमिटेड, 310, श्रीगोपाल नगर, जयपुर	13,000

क्रम संख्या	नाम एवं पता	क्षमता लीटर प्रतिदिवस
14	हाईटैक एग्रो एग्रोकेयर प्राईवेट लि. 310, श्री गोपाल नगर, जयपुर	13,000
15	खरसिया मिल्क प्राईवेट लि. रींगस, सीकर	50,000
16	गुरूप्रिया मिल्क फूडस प्राईवेट लि. एफ-473-74, जी-485-486, ग्रोथ सेण्टर एक्सटैंशन, रीको, धौलपुर	1,20,000
17	गोविन्द देवजी बिजनेस बेन्चर्स प्राईवेट लि. वी.के.आई. रोड संख्या-14, जयपुर	8000 मै. टन वार्षिक
18	असलम फूडस प्रा.लि. जयपुर	2,00,000
19	व्हाईट गंगा मिल्क फूड प्रा.लि. किशोरपुरा, झुन्झुनूं	20,000

कुल 19 (उन्नीस) पंजीकृत प्राईवेट डेयरिंया कार्यशील हैं।

राज्य पंजीकरण प्राधिकरण के अधीन

अकार्यशील पंजीकृत निजी डेयरियों की सूची

क्र.सं.	डेयरी इकाई का नाम एवं पता
1	अरावली डेयरी एण्ड फूड प्रोडक्ट लि. 765 झोटा हाउस रानी रोड, उदयपुर
2	परोलिया डेयरी प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड, आगरा रोड राजाखेडा, (धौलपुर)
3	अंकुर मिल्स लि. बी-77, ग्रोथ सेन्टर रीको, धौलपुर
4	न्यूटीसिया (इण्डिया) प्राईवेट लि. न्यू देहली
5	नवरन बैद, 1/60, ललिता पार्क, गंगा अपार्टमेन्ट, लक्ष्मी नगर, दिल्ली
6	झुन्झुनवाला डेयरी फूड प्राईवेट लि. 1/469, विद्याधर नगर, जयपुर।

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-95 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

कोटा जिले में गत दो वर्षों में वितरित छात्रवृत्ति, लाभान्वितों का विवरण

क्र. सं.	नाम योजना	वर्ष			
		2009-10		2010-11	
		लाभान्वितों की संख्या	वितरित की गई छात्रवृत्ति की राशि	लाभान्वितों की संख्या	वितरित की गई छात्रवृत्ति की राशि
1	अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	8193	630.50	8472	432.79
2	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	9707	47.32	11987	48.06
3	अस्वच्छ कार्यों में लिप्त परिवारों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	1468	27.27	2733	46.81
	योग	**19368**	**705.09**	**23192**	**527.66**
4	अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	7511	602.96	6020	351.06
5	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	4246	20.52	5040	22.99
	योग	**11757**	**623.48**	**11060**	**374.05**
6	अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	605	34.51	1543	74.45
7	अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	1950	8.84	1797	5.50
	योग	**2555**	**43.35**	**3340**	**79.95**
8	विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	0	0	887	108.78
	योग	**0**	**0**	**887**	**38.38**

क्र. सं.	नाम योजना	वर्ष			
		2009-10		2010-11	
		लाभान्वितों की संख्या	वितरित की गई छात्रवृत्ति की राशि	लाभान्वितों की संख्या	वितरित की गई छात्रवृत्ति की राशि
9	अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	143	7.98	654	38.38
10	अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति	40	9.47	40	9.32
11	अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	2001	16.87	1143	15.72
	योग	**2184**	**34.32**	**1837**	**63.42**

परिशिष्ट 'ब'

कोटा जिले में गत दो वर्षों में छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण

क्र. सं.	नाम योजना	वर्ष	
		2009-10	2010-11
		प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1	अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	8505	9557
2	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	9708	14460
3	अस्वच्छ कार्यों में लिप्त परिवारों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	1468	2735
	योग	**19681**	**26752**
4	अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	7688	7932
5	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	4246	5440
	योग	**11934**	**13372**

क्र. सं.	नाम योजना	वर्ष	
		2009-10	2010-11
		प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
6	अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	1525	2681
7	अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	4575	3983
	योग	**6100**	**6664**
8	विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	0	921
	योग	**0**	**921**
9	अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	397	744
10	अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति	136	136
11	अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	2001	1303
	योग	**2534**	**2183**

परिशिष्ट-4

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं)

नगर के पहाड़ी माइनर के पानी को सीकरी डायवर्जन में डलवाने के सम्बन्ध में

महोदय,

मैं विधान सभा क्षेत्र नगर की पेयजल व सिंचाई की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगी कि 80 प्रतिशत पानी खारा व फ्लोराइडयुक्त है तथा 20 प्रतिशत पानी ही मीठा उपलब्ध है। आम आदमी के पेयजल हेतु सरकार का पूर्ण दायित्व है। सिंचाई के लिये पानी की स्थिति और भी खराब है। गुडगांव कैनाल का केन्द्र सरकार द्वारा बंटवारा हुआ था जिसमें 800 क्यूसेक पानी राजस्थान को दिया जाना था। हमारी नहर की क्षमता 500 क्यूसेक की है, इसे बढ़ाया जाए। गुडगांव कैनाल को लालपुर तक पक्का बनाया गया है, आगे कच्ची है, जिसमें साल्ट भर जाती है। हिण्डोली चौकी (कामां) पर कैनाल में कवर्ड बैरल बनी हुई है तथा पीछे कैनाल कच्ची होने के कारण बैरल में साल्ट आ जाती है जिससे डीग की तरफ पानी आना बंद हो जाता है। अतः कैनाल को पक्का किया जाए व कवर्ड बैरल को ओपन किया जाए जिससे उसकी सफाई हो सके। पहाड़ी माइनर जीराहेड़ी, जुरहरा के पास गुडगांव कैनाल के पास से निकलती है, यह पहाड़ी मंडल में आकर गिरती है। लिफ्ट सिस्टम से सीकरी डायवर्जन डाला जाएं, जिसमें से 26 नहरें निकलती हैं और जो पहाडी, नगर, डीग, कुम्हेर तहसीलों की 80 प्रतिशत आबादी में पीने के पानी व सिंचाई की पूर्ति कर सकता है और बंटवारे के अनुरूप 800 क्यूसेक पानी भी आ सकता है। इसी तरह डीग एस्केप नाला हाथिया हैड उत्तर प्रदेश से निकला गया है, इसका उपयोग डीग के तालाब के रास्ते में पड़ने वाले गांवों नरैना, पास्ता, परमदरा, दीदावली, बद्रीपुर आदि की पोखरों को भरने के काम आता है। इससे पोखरों के आसपास के कुएं व हैडपम्प में पानी मीठा हो जाता है, जिससे मवेशी व आम आदमी लाभान्वित होता है। डीग एस्केप में पानी साल में दो बार डाला जाता है लेकिन पिछले कई वर्षों से पानी नहीं आ रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि एक सर्वे कराकर पहाड़ी माइनर के पानी को लिफ्ट से सीकरी डायवर्जन में डलवाएं और डीग एस्केप में नियमित पानी डलवाएं।

अनीता सिंह

(नगर)

सूरजगढ़ में पत्थर के ओवर लोड वाहनों पर कार्यवाही

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के निकट हरियाणा में खनन विभाग पर रोक लगी हुई है, अब राजस्थान के निकटतम क्षेत्र सूरजगढ़ व खेतडी में खनन कार्य किया जा रहा है। ट्रक 60 व 70 टन भरकार मेरे विधान सभा क्षेत्र से हरियाणा में जाते हैं, इतने ओवरलोड ट्रकों की वजह से सड़कों में 1 फुट के खड्डे हो गये हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग को बार निवेदन करने पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

अतः मेरा सदन में केवल एक ही प्रश्न है कि इस प्रकार सरकार की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें और तत्काल ओवर लोड पर प्रतिबन्ध लगावें जिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति को बचाया जा सके और राजस्थान के सौन्दर्यकरण को बचाया जा सके। ओवरलोड बन्द करवाएं, यही मेरी आपसे विनती है।

श्रवण कुमार

(सूरजगढ़)

कालाडेरा कोका कोला प्लांट का स्थानान्तरण

महोदय,

राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कालाडेरा स्थित कोका कोला प्लांट के बारे में अनुरोध है कि उक्त कोका कोला प्लांट की स्थापना लगभग 15 वर्ष पूर्व हुई थी। प्लांट में पानी का दोहन इतनी मात्रा में हो रहा है कि कालाडेरा ग्राम के आस-पास का भू-जल स्तर काफी नीचे चला गया है, जिसके कारण यह क्षेत्र डार्क जोन में आ गया है। जहां 20-25 वर्ष पहले ग्राम कालोडरा का जलस्तर 20 फीट था, आज 500 फीट से भी अधिक गहरा चला गया, जिसका जनता में आक्रोश है। किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिल रहा है आने वाले समय में पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। अधिक जल दोहन के कारण केरल राज्य में भी कोको कोला प्लांट को बन्द किया गया था।

मेरा इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार एवं उद्योग मंत्री महोदय

निवेदन है कि जनहित में ग्राम कालाडेरा में स्थित कोका कोला प्लांट को बन्द करा कर अन्यत्र स्थानान्तरित करवाने की कृपा करें।

भगवान सहाय सैनी

(चौमूं)

शाहपुरा सैटेलाइट अस्पताल की शैयाओं में वृद्धि

महोदय,

राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-भीलवाड़ा की शाहपुरा रियासत 22 रजवाड़ों में ही नहीं, पूरे देश में उत्तरदायी शासन एवं एकीकरण में अग्रणी रियासत रही, मगर इस क्रांतिकारी निर्णय से देश का मार्ग प्रशस्त करने वाला शाहपुरा जिसकी 35 हजार से ज्यादा जनसंख्या है, 15-20 वर्ष से सैटेलाइट अस्पताल से काम चला रहा है जो समूचे क्षेत्र की जनता के लिए अपर्याप्त है।

अत: विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि चालू होने वाले वित्तीय वर्ष में इस अस्पताल को 50 बैड के स्थान पर 100 बैड कराने का श्रम करें।

महावीर प्रसाद जीनगर

(शाहपुरा)

दौसा व महुवा में पाले से हुए नुकसान का मुआवजा

महोदय,

मैं राज्य सरकार व आपदा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इस वर्ष विधान सभा क्षेत्र दौसा, महुवा तथा आस पास के बडे क्षेत्र में रबी की फसलों की पैदावार काफी अच्छी थी, परन्तु जनवरी माह में ओलावृष्टि व फरवरी के मध्य शीतलहर (पाला) से चना, सरसों, तारामीरा, जो, गेहूं की सम्पूर्ण फसलें 100 प्रतिशत तक खराब हो चुकी हैं। महंगाई के इस दौर में आम किसानों को भयंकर आर्थिक नुकसान हो गया है। किसान द्वारा बैंकों से ऋण लेकर फसलों की बुवाई की गई थी, किसानों को इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। दौसा एवं महुवा के अलावा जहां भी फसलों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई किसानों को अतिशीघ्र मिल सके। इसके लिए सरकार से निवेदन है कि विशेष गिरदावरी अविलम्ब कराकर किसानों को राहत प्रदान करे। प्राकृतिक आपदा में शीतलहर (पाला) नहीं है, सरकार किसानों को आर्थिक पैकेज प्रदान करे, किसानों को फरवरी

माह का बिजली के बिल माफ करे। मेरा सरकार से विधान सभा में चर्चा कराकर किसानों को मुआवजा प्रदान कर राहत दिलाने का निवेदन है।

गोलमा

(महुवा)

जयपुर में व्याप्त गदंगी का समाधान

महोदय,

जयपुर शहर को राज्य सरकार द्वारा वर्ल्ड क्लास सिटी बनाये जाने की घोषणा किये जाने एवं वादों के बावजूद जयपुर शहर वर्तमान समय में सबसे ज्यादा गंदगी एवं कूड़े-कचरे के ढेर के कारण कीचड़ एवं बदबू से ग्रसित शहर बन रहा है। जयपुर शहर की चारदीवारी के अन्दर प्रत्येक दो मकानों के बीच गंदी गली है, इसकी सफाई वर्तमान में नहीं होने के कारण काफी गदंगी फैल रही है। पूर्व में आर यू आई ई डी पी एवं नगर निगम के द्वारा प्रोपटी कनेक्शन योजना लागू कर इन्हें सीवर लाइन से जोडा गया था जिसमें लोगों के घरों के बाथरूम एवं रसोई घरों के पानी का निकास होता था। प्रोपर्टी कनेक्शन योजना बीच में कई स्थानों पर रोक दी गई। इन गलियों की सफाई एवं देखभाल की व्यवस्था नहीं होने से जयपुर शहर की चारदीवारी के इलाके में गम्भीर स्थिति बन गई है जिसके कारण आमजन के मकानों में सीलन आने के कारण बदबू एवं गदंगी होने से नारकीय जीवन जीने को बाध्य होना पड रहा है। तकनीकी व्यक्ति नहीं होने से गली टैप, पाइप, मैन होल आदि की मरम्मत का काम ठप पड़ा है। मरम्मत ठप होने से चारदीवारी के पार्षद भी अपने आप को असहाय समझने लगे हैं। एक ओर सरकार जयपुर शहर को हैरिटेज शहर बनाये रखने का मानस रखती है, दूसरी ओर यह शहर गंभीर बीमारियों जैसे स्वाइन फ्लू, टीबी, मस्तिष्क ज्वर आदि गम्भीर रोगों का शहर बनता जा रहा है।

अतः मेरा माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से अनुरोध है कि उपरोक्त समस्या को अविलम्ब हल करने के लिए सम्बन्धित विभागों को निर्देश देकर जयपुर शहर की चारदीवारी की अन्दर रहने वाले लोगों को कीचड़, गंदगी एवं बदबू की समस्याओं से निजात दिलाने का कष्ट करें।

मोहनलाल गुप्ता

(किशनपोल)

निवाई की सड़क एन.एच. 12 के क्षतिग्रस्त हिस्से का पुनर्निर्माण

महोदय,

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना

चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बे निवाई में होकर एन.एच.-12 निकल रहा है। एनएच-12 (जयपुर से कोटा) निवाई शहर के बाहर बाई पास के रूप में निकलने से सड़क का वह शहरी हिस्सा जो एनएच-12 से कट गया है तथा निवाई शहर के बीचों बीच है, बिलकुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। सा.नि.वि. के द्वारा इसकी देखरेख नहीं किये जाने के कारण नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आये दिन इस सड़क पर दुर्घटना होने का अन्देशा बना रहता है जिससे आम जनता में रोष व्याप्त है।

अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण करवाया जावे अथवा इसको नगरपालिका निवाई के अधीन किया जावेगा जिससे उक्त का रखरखाव नगरपालिका द्वारा किया जा सके।

धन्यवाद।

कमल बैरवा
(निवाई)

वृद्धावस्था पेंशन प्रकरणों में आ रही अड़चनें

महोदय,

निवेदन है कि वृद्धावस्था पेंशन प्रकरणों में आ रही अड़चनों से वास्तविक गरीब को पेंशन नहीं मिल पाती। क्या वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन लाभ में सुधार करने की सरकार की मंशा है। वृद्धावस्था में पुरुष 58 वर्ष एवं महिला 55 वर्ष के पश्चात बालिग पुत्र होने से उसकी पेंशन नहीं हो पाती है। आज के युग में बेटा जवान होने पर शादी करके अपनी बीवी व बच्चों का ध्यान रखता है। बूढे मां और बाप भूखे-प्यास दर-दर की ठोकरें खाकर मौत के शिकार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को वृद्धावस्था की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। हर वृद्ध पेंशन लेने की मंशा भी नहीं रखता है। लेकिन जिसे आवश्यकता है उसे लाभ दिलाना है तो बालिग पुत्र का हवाला हटाना जरूरी है।

विकलांग व्यक्ति जो विकलांग मान लिया जाता है, जिसे मेडिकल जांच में डाक्टरों द्वारा 40 प्रतिशत विकलांग मान लिया जाता है, उसे भी परिवार के अन्य सदस्य की आय को जोड़ कर पटवारी की रिपोर्ट से पेंशन नहीं मिल पाती है। जो व्यक्ति विकलांग हो जाता है उसकी जिन्दगी कमाने लायक नहीं

रह जाती है। ऐसे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को देखकर अपनी विकलांगता पर आंसू बहाता है। विकलांग पेंशन में परिवार के अन्य सदस्यों की आय को जोड़ने की अड़चन हटेगी तो ही वास्तविक गरीब विकलांग को इस पेंशन का लाभ मिल पाएगा।

जिस औरत का पति मर जाता है उसके जीवन की सारी खुशियां ही लुट जाती हैं। ऐसी माताओं व बहनों को पेंशन बालिग पुत्र की वजह से नहीं हो पाती है। सरकार ऐसी विधवा माताओं व बहनों को पेंशन का लाभ दिलाने के लिए बालिग पुत्र का हवाला हटाकर विधवा माताओं व बहनों को पेंशन का लाभ दिलाए। सरकार से मेरी मांग है कि गरीब लोगों को पेंशन का फायदा दिलवाया जाए।

शंकर सिंह
(ब्यावर)

धानका समाज को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र में आ रही कठिनाई

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संवैधानिक प्रक्रिया संविधान आदेश (अनुसूचित जनजाति) संशोधित राजपत्र संख्या बीसी/12016/34/दिनांक 05 सितम्बर, 1976 क्रमांक 4 पर अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया, जो राजस्थान में 27 जुलाई, 1977 से प्रभावी हुआ, तभी से धानका जाति के अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र बनते आ रहे थे, परन्तु 13 जुलाई, 2010 को भारत सरकार जनजाति मंत्रालय से एक असंवैधानिक व तथ्यहीन पत्र आया जिसको आधार बनाकर पूरे राजस्थान में धानका जाति को एस.टी. प्रमाण पत्र बनाने पर अघोषित रोक लगा दी गई है जिससे पूरे राजस्थान के लाखों लोगों का भविष्य अंधकारमय में हो गया है साथ ही असंवैधानिक कार्यवाही कर संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।

यहां यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि धानका जनजाति को उपरोक्त तिथि से मिल रहे आरक्षण को एक अधिकारी द्वारा बिना किसी संवैधानिक प्रक्रिया अपनाये ही पत्र जारी कर दिया गया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार बिना किसी विधिक संशोधन किये ऐसे कोई पत्र का महत्व व औचित्य नहीं है।

मेरा इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि पत्र जारी करने वाले असंवैधानिक कृत्य के दोषी अधिकारी के खिलाफ कठोरतम

कार्यवाही की जाए एवं राजपत्र संख्या बीसी/12016/34/दिनांक 05 सितम्बर, 1976 के अनुसार पूर्व की तरह धानका जाति के लिए अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करवाने का श्रम करावें।

सूरजभान धानका

(राजगढ़-लक्ष्मणगढ़)

धरियावद की सड़कों का सुदृढ़ीकरण

महोदय,

राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र धरियावद के अन्तर्गत निम्नांकित सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। धरियावद-बान्सी रोड दो प्रदेशों को जोड़ती है, साथ ही स्थानीय जनता की महत्वपूर्ण सड़क है, इस सड़क पर घाट सैक्शन होने की वजह से आये दिन दुर्घटना होती रहती है। जिससे जन हानि होती है।

1. धरियावद- बान्सी रोड
2. धरियावद-झल्लारा रोड
3. धरियावद-लसाड़िया रोड
4. धरियावद-पारसोला वाया मांडवी रोड

जनहित में उक्त सड़कों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण करवाने का श्रम करें।

नगराज मीणा

(धरियावद)

अनुसूचित जाति के विकास पथ में बाधक नियम-कानूनों की समीक्षा

महोदय,

अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास का वचन देता है, परन्तु राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा प्रयास करने पर भी स्थिति कमोबेश यथावत् बनी हुई है। अनुसूचित जाति तथा जनजातियों का कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने समाज के कल्याणार्थ कार्य करने की भावना रखते हुए भी सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियोंवश कुछ नहीं कर सकता, संगठित रूप में शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के प्रयास करने में वर्तमान नियम/कानून बाधक हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात समाज के कमजोर वर्ग-अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य/केन्द्र सरकारों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के नियम कानून बनाये गये, परन्तु आज वक्त के अनुसार उन सभी कानूनों/नियमों की समीक्षा किया जाना आवश्यक है। राज्य में अनुसूचित जाति की अधिकांश जनता भूमिहीन है। यदि किसी के पास दो-तीन बीघा भूमि है भी तो वह बंजर है तथा कृषि योग्य नहीं है। अनुसूचित जाति के जिस किसान के पास 40-50 वर्ष पूर्व 2-3 बीघा भूमि थी, उन परिवारों की सदस्यता बढ़ने के फलस्वरूप आज प्रति व्यक्ति भूमि गजों या फुटों में आ गई है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति उस भूमि का क्या करे? आज भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की क्रय शक्ति अन्य समाजों के मुकाबले शून्य है। पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जो भूमिहीन थे, देश के सभी राज्यों में सरप्लस (अतिरिक्त) भूमि का आबंटन किया गया था।

उक्त आबंटन प्रक्रिया को उदाहरण मानकर राज्य में एक बार पुनः अनुसूचित जाति समुदाय के भूमिहीन किसानों अथवा व्यक्तियों के लिये एक स्पेशल भूमि आबंटन ड्राईव (अभियान) चलाया जाए जिससे राज्य में बेकार पड़ी भूमि का उपयोग किया जा सके तथा राज्य में भूमिहीनों की संख्या को भी कम किया जा सके। सरप्लस भूमि आबंटन प्रक्रिया अपनाते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि भूआबंटित व्यक्ति बिना किसी रोक-टोक के खेत तक आ सके। हर आबंटी को अपने खेत तक आवश्यक पहुंच मार्ग भी दिया जाए।

मैं इस सदन में अजमेर जिले के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य के अन्य जिलों में भी अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्ति प्रायः शिकायत करते हैं कि हमें भूमि के जो टुकड़े आबंटित किये गये थे, वहां तक जाने के लिये आज तक भी पहुंच मार्ग की व्यवस्था नहीं है। दूसरे व्यक्तियों के खेतों में से अपने खेत तक जाने से संबंधित किसानों के झगड़े हजारों की संख्या में न्यायालयों में विचाराधीन हैं। वर्तमान स्थिति में अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति भारी खर्च को बर्दाशत नहीं कर पाते और अंततः उस भूमि को त्यागने में ही अपना हित समझकर घर बैठ जाते हैं।

इस संबंध में तथ्यों की वास्तविकता की जानकारी के लिये एक राज्यव्यापी सर्वे किया जाए तथा हर खातेदार को अपने खेत तक जाने हेतु पहुंच-मार्ग उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि पूरे राज्य में

जिलाधीशों को इस समस्या का निदान करने के अधिकार दिये जाएं तथा एक निश्चित समय सीमा में यह कार्य पूरा किये जाने की भी हिदायत दी जाए।

अतः मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जाति के विकास पथ में बाधक सभी नियम कानूनों की समीक्षा की जाए और जहां-जहां आवश्यक हो, उनमें संशोधन किया जाए जिससे अनुसूचित जाति का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर बढ़ाया जा सके।

अनिता भदेल

(अजमेर दक्षिण)

मकराना की सड़कों के लिए विशेष राशि की स्वीकृति

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मकराना नगरपालिका क्षेत्र में छोटे-छोटे उद्योग, गढ़ाई व हैण्डीक्राफ्ट के कारखाने स्थापित हैं, घरों के अन्दर ही संचालित हैं। वाहनों में उक्त स्थान से ही लोडिंग-अनलोडिंग किया जाता है। बड़ी तादाद में वाहनों का आवागमन रहता है, जिससे क्षेत्र की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। मकराना नगरपालिका में उक्त सड़कों के लिए बजट नहीं होने की वजह से सड़कों का कार्य नहीं हो रहा है।

मकराना औद्योगिक क्षेत्र से राजस्थान सरकार को प्रति वर्ष रायल्टी माइनिंग किराया, वैट टैक्स, बिजली एवं पर्यावरण व अन्य विभागों की ओर से करीब 70-75 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है।

मकराना शहर वो शहर है जिसने आगरा का ताजमहल, कोलकाता का विक्टोरिया के अलावा देश-विदेश में हजारों की तादाद में मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे और अन्य सुन्दर-सुन्दर इमारतें बनाकर राजस्थान का नाम रोशन किया है। इसी वजह से देश-विदेश के व्यापारी एवं पर्यटक मकराना शहर में आते हैं जो शहर में घूमते हैं। किन्तु सड़कों की बदहाली के कारण उन्हें आने-जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अतः मान्यवर से निवेदन हे कि मकराना क्षेत्र में 20 किमी की नवीन सड़क के निर्माण के लिए लगभग 10-12 करोड़ रुपये के 2012-13 में विशेष पैकेज की घोषणा कर अनुग्रहित करें।

जाकिर हुसैन गैसावत

(मकराना)